खण्ड-442, अंक-7
शनिवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1924
(17 अगस्त, 2002 ई0)

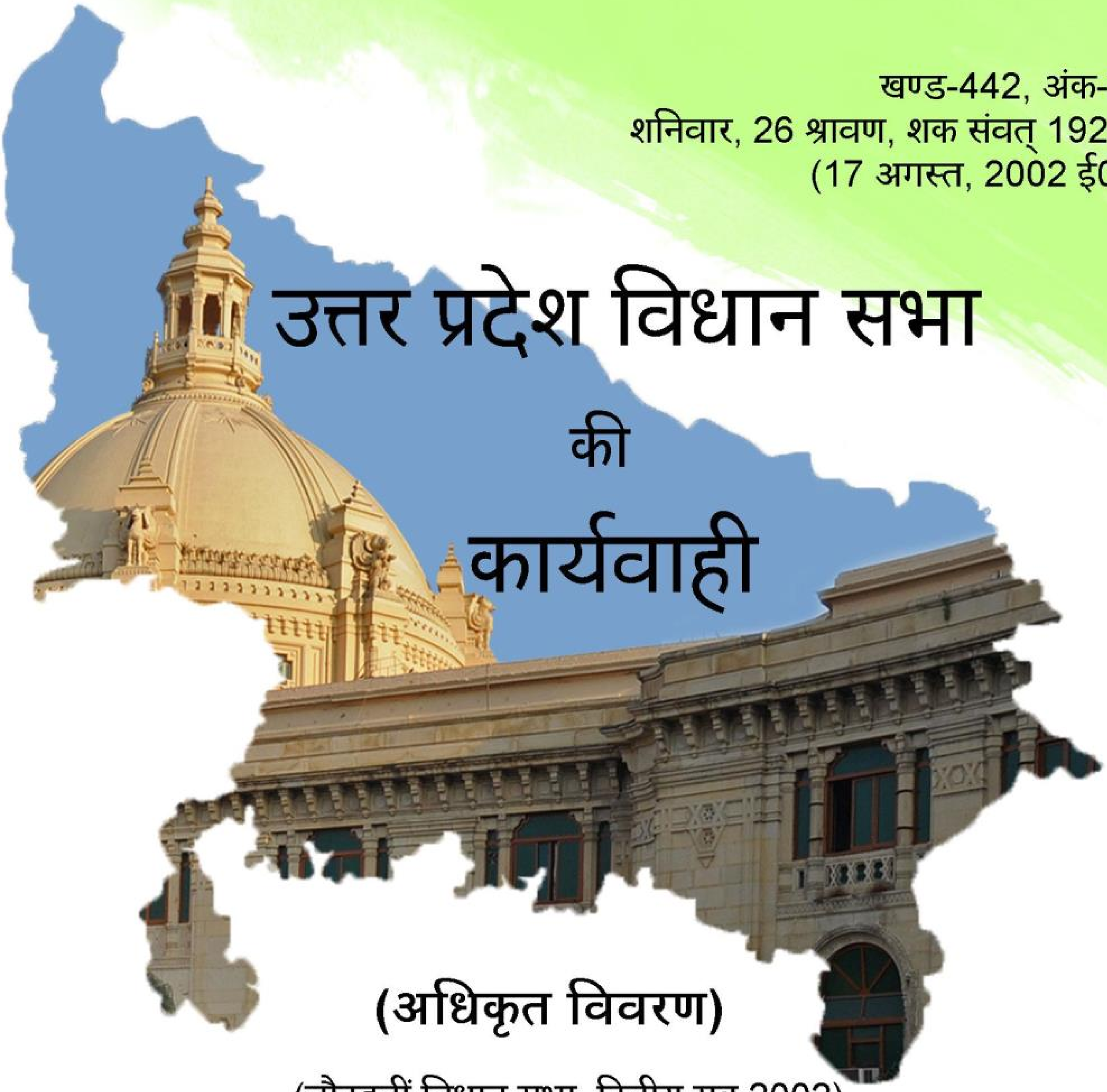

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	1
भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित) ...	1
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन) ...	2-84
उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	85-100
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन... ...	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
अमरमणि, श्री	महराजगंज	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
आदित्य विक्रम सिंह		बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर	भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	मदन भैया, श्री	बागपत
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद	महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी	मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
ओइमवेश, स्वामी,	बिजनौर	मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर	याकूब, हाजी	मेरठ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर	राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
काजिम अली खां उर्फ		रणवीर राणा, श्री	मेरठ
नवेद मियां, नवाब	रामपुर	रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ		राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई	राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर	राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत	राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव	राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा	राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास-नगर, भदोही
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
समर पाल सिंह, श्री	बागपत
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, 'हरीश जी'', श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 2002 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1 में कोई सूचना नहीं है । मद संख्या–2 व 3 में कुछ नहीं है । मद संख्या–4 में भी कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोट :– † दिनांक 24-8-02 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक 9-9-02 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष–

मद सं०–9 के अन्तर्गत हम वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रखेंगे । मेरा एक अनुरोध है कि पहले नये सदस्यों को, चूंकि यह साधारण चर्चा है, 5–5 मिनट का मौका दे दें । विभिन्न दलों के जो नेता हैं, वह इसके समापन के समय बोल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । दो विपक्ष के नये माननीय सदस्य तथा एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को बुलवाऊंगा तो इस तरह अधिक अवसर मिल जायेगा । सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मुख्य मंत्री इसका उत्तर भी देंगी । माननीय मंत्रीगण जो इन्टरवीन करके बात करना चाहेंगे, उनको भी अवसर मिल जायेगा । अगर मुझे सूची मिल जायेगी तो अच्छा रहेगा । अब कौन नये सदस्य विपक्ष की ओर से प्रारम्भ करना चाहेंगे ।

* श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, यह जो बजट भाषण हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यह पुस्तक के रूप में ज्यादा है, इसके अन्दर जो मद हैं वह तो बहुत कम हैं और इसी के अन्दर उसी चक्रव्यूह में हम लोगों को गुमराह करने की एक सुनियोजित योजना बनाई गई है मगर स्वयं ही सरकार इस चक्रव्यूह में रह कर घूम रही है । श्रीमन्, हम लोग तो यही अभी तक जानते थे कि हमारे प्रदेश की 17 करोड़ की जो जनता है इसकी सदैव विकास की योजनाओं में अन्य योजनाओं में उनकी भागीदारी रही है, हिस्सेदारी रही है मगर, अगर हर दूसरे पृष्ठ पर हम देखें तो माननीय एक वर्ग विशेष में बताया, ये राज्य एक ही वर्ग का नहीं है । इसमें चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के हों, सिक्ख हों, ईसाई हों, मुसलमान भाई हों, बुद्धिष्ठ हों इन सबका अपने देश, अपने प्रदेश की रचनात्मक प्रक्रिया में सब का योगदान है, हिस्सेदारी है अगर उनकी भागीदारी है तो मान्यवर, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिये ।

आपने अपने बजट में यह कहा है कि सर्व समाज की भलाई होगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सर्व समाज में अन्य वर्ग के लोग नहीं है, अन्य जातियों के लोग नहीं है, यह तो वस्तुस्थिति से परे है । क्या हमारे जो दलित भाई हैं क्या एक ही वर्ग के हो सकते हैं, क्या सामान्य वर्ग के गरीब नहीं हैं, अति गरीब नहीं हैं, क्या पिछड़े वर्गों के लोग नहीं हैं, क्या अल्पसंख्यकों में नहीं हैं ? अगर आपको बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के शब्दों को साकार करना है अगर आपको भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना है तो आपको स्वान्तः सुखाय के रास्ते को छोड़कर बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, के रास्ते पर चलना होगा । सबके हित की बात करनी चाहिए, सबकी भलाई की बात करनी चाहिए, जो आपके इस बजट में नहीं है । श्रीमन् जब आपने इस बजट की शुरुआत की तो आप घाटे से चले । सन् 2001-2002 में आपको आय की बढ़ोत्तरी मात्र 12 प्रतिशत की हुई और आपका जो व्यय है 14.3 प्रतिशत और आपका राजकोषीय घाटा है 22.2 प्रतिशत है । आपको प्रस्तावित बजट 2002-2003 में 2.64 प्रतिशत अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे है । आप किस तरह से इसको बैलेन्स करेंगे, किस तरह से घाटे को कम करेंगे, यह मेरी समझ में आपके बजट को पढ़कर कतई नहीं आया । अध्यक्ष महोदय यह प्रदेश अकाल की बड़ी भयंकर स्थिति से गुजर रहा है । सरकार की मानसिकता नहीं थी कि वह सूखाग्रस्त की घोषणा करे ।

नोट:– 1 दिनांक 16-8-2002 का कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूखे के विषय में मीटिंग होती थी मगर उनका उद्देश्य कभी यह नहीं था सूखाग्रस्त घोषित करने का लेकिन मुझे बड़ा दुःख तब हुआ जब उनके अधिकारियों ने कहा कि मात्र 20 प्रतिशत सूखे से नुकसान हुआ है। तो हम लोग उठ खड़े हुये और कहा कि कलेक्ट्रेट के सारे लोगों को बुला लिया और उनसे पूछ लिया जाये कि फसल का कितना नुकसान हुआ है। मान्यवर 70 से 80 फीसदी फसल का नुकसान हुआ है। सरकार कहती है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है। बगैर शस्त्र के यह कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं, अभी तक केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आया, जिलों में इसके लिए कोई पैसा नहीं गया है। किसान भुखमरी के कगार पर है, मवेशी मर रहे हैं, किसान बेहाल है पर सरकार की ओर से उनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी। श्रीमन् आपने 5601 करोड़ रुपये मांगा है पर क्या 70 जिलों में उसका विभाजन करेंगे। आज जल स्तर काफी नीचे गिर गया है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रकृति ने तो हम पर कहर ढाया ही है लेकिन श्रीमन्, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं उनकी लापरवाही के कारण सूखे की परिस्थिति और विषम हो गयी है। समय से अगर ट्यूबवेल चल जाता, समय से पानी मिल जाता, समय से बीज मिल जाता और सूखे के विषय में जानकारी मिल जाती कि ऐसे में किस प्रकार की फसल बोयें तो निश्चित रूप से किसान अपनी कुछ फसल बचा सकता था। अध्यक्ष महोदय, आज न ट्यूबवेल चल रहे हैं और न नहरों में पानी है। यह सरकार कृषि के विषय में कतई उदासीन है। कहीं बजट का एलोकेशन नहीं किया गया है कि मत्स्य पालन पशु पालन या कृषि के लिए क्या करेंगे ?

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 70 से 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और अगर गांव का किसान खुशहाल नहीं होगा और हमारे मजदूर और दलित भाई खुशहाल नहीं हैं तो इस राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह जायेगी, किसान के पास पैसा नहीं होगा तो जो छोटे दुकानदार हैं, जो मजदूर हैं, छोटे कारीगर हैं, उनके पास पैसा नहीं आयेगा तो वह कस्बे से अपने लिए सामान नहीं खरीद पायेंगे, कस्बे वाले बड़े शहरों से सामान नहीं खरीद पायेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर तक एक चेन बनी है। इससे अर्थव्यवस्था पंगु हो जायेगी। किसान तो मरेगा ही लेकिन अपना प्रदेश भी प्रभावित होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि की बढ़ोत्तरी का औसत 5.1 प्रतिशत रखा गया है। श्रीमन्, यह पूर्व में भी था और उससे पहले भी था, क्यों नहीं कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरेनी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यह "ग्रे एरिया" है, सतांव का क्षेत्र 'ड्राई एरिया' में है, पानी की कमी है। हम लोग नहरों की ओर देखते हैं। खजूर गांव में पूर्वी ब्रांच और शारदा सहायक की टेल खण्ड तक नहरों में कभी पानी नहीं पहुंचा। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करायें क्योंकि हम नहरों पर ही निर्भर हैं।

सरकार की ओर से अब कोई भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगेंगे इसलिए नहर ही एकमात्र सहारा है। गंगाजी बह रही हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह बंगाल की खाड़ी में चली जायेगी और किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। विश्व बैंक से 7000 करोड़ रुपया 15 वर्षों के लिए लिया गया है जिससे घाघरा–गोमती दोआब में शारदा सहायक एवं सरयू नहर के लिए। अगर श्रीमन्, जो पुरानी नहरें हैं और संचालित हो रही हैं उसके विषय में आपने क्या सोचा है ? इसका कोई खुलासा आपने इस बजट में नहीं किया है। 7000 करोड़ रुपये को अगर 15 साल में बांटे तो रु० 466.66 करोड़ होता है और 70 जिलों में बांटे तो 66.66 लाख रुपये होता है। मान्यवर, हम तो कहते हैं कि आप उनको जितना हो

सके दे दीजिए । इससे किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, दूध की नदियां बहेंगी । आप उनको फ्री बोरिंग देते हैं, वर्ग के लोगों को देते हैं मैं यह बात मानता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर रिमोट सेंसिंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि भू-गर्भ जल कहां पर कितना-कितना है तो इससे हमारे ट्यूबवेल फेल नहीं होंगे । इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इसमें दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ा दें ताकि हमारे जो किसान हैं, जो अत्यधिक गरीब हैं उनको सहूलियत हो जाए । इसके साथ ही बिजली का बड़ा योगदान है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दें । मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है । मगर इस सरकार को विश्व बैंक से अत्यधिक पैसा मिल रहा है । मान्यवर, इस सरकार को विश्व बैंक से 252.87 करोड़ गांवों के विकास के लिए मिला है और जो हमारा उत्पाद प्रतिशत है वह 58 प्रतिशत है । जबकि भू-जल से संबंधित खर्चे और ट्रान्समिशन में जो खर्च डिस्ट्रीब्यूशन है वह 68.00 प्रतिशत है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमको भी इस सबकी जानकारी दी जानी चाहिए । इसी प्रकार से जो हमारी सोलर एनर्जी है । आप उसमें 25 किलोवाट के कुछ पावर हाउस लगाने जा रहे हैं वह भी सिर्फ 300 गांवों में, इससे क्या भला होगा ? मान्यवर, इसके साथ ही जो हमारी चिकित्सा सुविधायें हैं सरकार को हेल्थ के क्षेत्र में सुविधायें देने के तहत 367 करोड़ रुपया मिला है । मैं कहना चाहता हूं कि सरैनी विधान सभा क्षेत्र में खेचड़ी गांव है, 25 करोड़ की जनता है सरकार को वहां पर एक सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खुलवाना चाहिए । मान्यवर, मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में शीतगृह नहीं है, बिजली नहीं है, आपको यह देखकर दया आ जाएगी । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए । इसके साथ ही हमारी जो ज्वलंत समस्या है वह हमारे हैण्डपम्पों की है । इस सरकार ने डेढ़ सौ की आबादी में एक हैण्ड पम्प देने का विचार किया है । मान लीजिए कि एक हैण्ड पम्प में 100 बाल्टियां रख दी जाएं पानी भरने के लिए तो कितने घण्टे में पानी भर पाएंगें लोग ? इसलिए मेरी यह मांग है कि कम से कम 50 लोगों की आबादी के बीच एक हैण्ड पम्प होना चाहिए । ताकि पानी की समस्या का हल हो सके । इसके साथ ही विकलांगों और विद्यार्थियों को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए । सारी चीजें क्या अम्बेडकर गांवों के लिए ही होंगी ? यहां तक कि विधायकों को पत्र में लिख कर दिया गया है कि अपने कोष का एक अंश अम्बेडकर गांवों में लगायें । मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि अगर हर जनपद में 100 गांव हैं अगर आप 11 जनपदों को लें तो उसमें आपको 4 जो अम्बेडकर गांव के अन्तर्गत हैं उनमें आपको सड़क, आवास, के जो आंकड़े हैं उनमें आपको काफी फर्क मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो लॉ एण्ड आर्डर की समस्या है वह बहुत खराब है । कत्ल हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं और एस०सी०, एस०टी० ऐक्ट जबरदस्ती लगाया जा रहा

है। गुंडा ऐक्ट ऐसे लोगों पर लगाया जा रहा है जिनकी उम्र 70–80 साल है। अनुसूचित जातियों के लिये जो सहायता दी जाती है उसका दलाल लोग नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के नाम पर लोग पिछड़े वर्गों और अन्य लोगों की निजी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। इसलिए आपको पारदर्शिता बनाये रखनी पड़ेगी और आपको अपने अधिकारियों को हिदायत देनी पड़ेगी कि ऐसे कार्य न हों। अगर ऐसा ही होता रहा तो आप [x x x] जो आप छुड़ा नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द निकाल दिया जाय। पिछली विधान सभा सत्र के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द असंसदीय तो नहीं है लेकिन अशोभनीय है। हमारे अभिलेख जो रहें वह सुन्दर रहें। माननीय देवेन्द्र सिंह जी, आपने आज की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से प्रारम्भ की है इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बजट की जो किताब बंटी है उसमें लिखा है कुमारी मायावती का बजट। यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का बजट नहीं है यह कुमारी मायावती का बजट है इसलिये मेरी आपत्ति है यह व्यक्तिगत बजट है इसलिये उन्होंने केवल एक वर्ग के लिये बजट में व्यवस्था की है। उन्होंने हर विधान सभा क्षेत्र में केवल 27 गांवों को चुना है विकास के लिये जो यह साबित करता है कि यह केवल कुमारी मायावती का बजट है, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की जनता का बजट नहीं है इसलिये इस बजट को खारिज किया जाय। मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है कि कितने अस्पताल बनाये जायेंगे और जिन अस्पतालों की बिल्डिंग नहीं हैं या गिर गयीं हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की जायगी। कितने नये सी०एच०सी० खोली जायेंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील हेडक्वार्टर बिलग्राम पर आज तक सी०एच०सी० नहीं खुला है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 साल से गिरा पड़ा हुआ है वहां पर डाक्टर पेड़ के नीचे बैठकर दवायें बांटता है। ऐसे तमाम पी०एच०सी० हैं जिनकी बिल्डिंग गिर गयी हैं और वहां पर दवायें व अन्य सुविधायें मरीजों को नहीं मिल रही हैं। तमाम ऐसे अस्पताल हैं हमारे जिले में, हमारी विधान सभा क्षेत्र में, दहेलिया, बड़ागांव, मंसूरपुर जहां पर कोई डाक्टर नहीं है, दवायें नहीं हैं और न अन्य सामान हैं जिससे मरीजों को असुविधा होती है . जो वहां डाक्टर हैं उनको हेड क्वाटर से अटैच कर दिया गया है इस बजट में सड़कों के बारे में कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं दी गयी जिससे पता चले कि कितनी सड़कें बनेंगी। स्टेट सेक्टर में जो सड़कें पहले स्वीकृत थीं उनका निर्माण नहीं हुआ है और वह अधूरी पड़ी हुयी हैं। इनके बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। 1994-95 में हमारे विधान सभा क्षेत्र में स्टेट सेक्टर में 7 सड़कें स्वीकृत हुयीं थीं उनमें से कोई भी सड़क पर एक इंच भी काम नहीं हुआ है। जिन सड़कों पर 5 वर्षों तक काम नहीं हुआ है वह कैंसिल हो जाती हैं इसलिये यह सड़कें कैंसिल हो गयीं हैं।

हमारे यहां बरौलिया से नानखारा, म्योढ़ा से भदार, नयागांव से बम्हरापुर चिल्लौर, लमकन से महितापुर, पलिया से बेड़ीजोर, खरगपुर से ऊँचागांव (तिथिगांव) खरगपुर से बड़ागांव, खरगपुर से राजा साहब खद्दीपुर सड़कें स्वीकृत हैं लेकिन इन सड़कों के निर्माण के बारे में बजट में कोई प्राविधान नहीं

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किया गया है। स्टेट सेक्टर से कितना पैसा सड़कों के लिये स्वीकृत किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, परिवहन के बारे में कहा गया है कि 800 बसें चलायी जायेंगी लेकिन कहां चलायी जायेगी किस जिले में कितनी-कितनी चलायी जायेंगी इसका स्पेसिफिक विवरण इस बजट में नहीं दिया गया हैं। मैंने कई बार कहा है कि बिलग्राम तहसील हेडक्वार्टर को हरदोई से वाया सांडी कोई बस नहीं चलायी जा रही है। पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने कहा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। परिवहन की एक बस हरदोई वाया सांडी शटल बस दुर्गागंज तक जाती है तहसील हेडक्वार्टर वहां से 5 किलोमीटर रह जाता है लेकिन वहां तक बस चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मैंने सवाल भी पूछा मेरे पास जवाब आया कहा गया यह स्टेट सेक्टर की सड़कें नहीं है, केन्द्र की सड़कें नहीं है इसलिए रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। क्या सरकार जो राज्य सेक्टर व केन्द्र की सड़कें नहीं होंगी उन पर बसें नहीं चलवायेंगी जो पिछड़े इलाके हैं वहां बसें नहीं चलाएगी ? तमाम ऐसी समस्याएं हैं शिक्षा की समस्या है स्कूल गिरे पड़े हैं, स्कूल में भवन नहीं हैं पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्रीवाल नहीं है, हैण्ड पम्प नहीं हैं। हमारी विधान सभा में बिलग्राम में क्या गवर्नमेंट इण्टर कालेज चल रहा है वह बिना बिल्डिंग के चल रहा है, एक जर्जर भवन में चल रहा है, लड़कियों के स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं की गई, बिल्डिंग कब बनेगी। किसी दूसरी बिल्डिंग में भेजा जाएगा कि नहीं क्या बच्चों की हत्या कराना चाहते हैं जबकि मकान मालिक ने कह दिया है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपना कालेज नहीं बना सकते हैं। अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। यह व्यवस्था आपको करनी है।

सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा सिंचाई के बारे में कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है। सूखा पड़ गया है, ट्यूबवेल चल नहीं रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है, नहरों में पानी दे नहीं रहे हैं। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। सिंचाई कैसे करेंगे ? हैण्ड पम्प लगा नहीं रहे हैं। जब तक इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं होगी बजट में तब तक कोई मायने नहीं रखता है। सुरक्षा के बारे में कहना है कि कहीं सुरक्षा नहीं रह गई है आदमी पता नहीं कहां मार डाला जाए ? प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत सड़क बन जाएगी तो पुल नहीं बनेगा पुल नहीं बनेगा तो आवागमन कैसे होगा। हमारे हरदोई में रेलवे का पुल बन रहा है। 15 साल से पुल बन रहा है रेलवे का कहना है कि हमारा काम एप्रोच रोड बनवाने का नहीं है जब एप्रोच रोड नहीं बनेगा तो आवागमन कैसे होगा ? हरदोई का कताई मिल बन्द पड़ा है, शुगर मिल बन्द पड़ा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है ? रूपापुर चीनी मिल माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में बनी थी वहां के गन्ना किसानों का लाखों रुपया बकाया है पता नहीं मालिक कहां चला गया शक्कर उसने खा डाली। किसानों का पैसा नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि बजट के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देव नारायण उर्फ जी० एम० सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर विचार रखने के लिए मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन सुश्री मायावती जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पर बल देने के लिए अपने विचार देना चाहता हूं। मान्यवर, बजट सरकार ही नहीं

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था होती है और प्रदेश में सिर्फ सरकार ही नहीं विपक्ष के लोग भी रहते हैं पूरी जनता रहती है। सरकार के सामने समस्या रहती है कि जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं जो आर्थिक पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक भागों को पब्लिक सेक्टर में सबके कल्याण के लिए व्यवस्था दी जाए। उसके अनुरूप बहन मायावती ने काम किया है बजट दिया है। आरोप लगाने की बात तो अलग है मान्यवर। सरकार की प्राथमिकताओं में क्या है यह इसमें स्पष्ट दिया है ? सदन में हमारे कुछ मित्र इस बजट को मात्र एक वर्ग जाति का बजट घोषित करते हुए अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि यहीं पर तीसरे नम्बर पर लिखा है कि–सर्वजन के हितों का पूरा ख्याल, परन्तु दलितों, पिछड़े, गरीब तबकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना और उनके उत्थान की दिशा में कार्य एवं सार्थक प्रयत्न। किसानों के लिये जो सरकार द्वारा पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं। मुझे एक बात याद आ गई कि सरकार, प्रदेश की स्थिति को समझना पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्त्तव्य होता है। इग्लैंड में एक प्रधान मंत्री हेरल्ड विल्सन थे उस समय वहां के कोयला खान के मजदूरों ने हड़ताल इसलिये की कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाय। हड़ताल जारी रही मान्यवर, और विल्सन साहब ने कहा कि हम सरकार को बर्खास्त करेंगे और जनता की अदालत में फैसला होगा। यह निर्णय सुनने से पहले जो वहां के प्रमुख विपक्षी नेता थे उनका बयान आया टेलीविजन पर, कि यदि मेरी गवर्नमेंट बनी तो मैं सैलरी नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छा होगा कि हम एक अच्छा आदर्श लेकर बोलेंगे। सरकार द्वारा रखे गये बजट पर कमेन्ट करने के अलावा उसकी परिस्थितियों पर भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हम अपना वक्तव्य दे रहे हैं वह सही दिशा में जायेगा। मान्यवर, जो हमारे सामने समस्या है आर्थिक समस्या, वह तत्कालीन सरकार की समस्या नहीं है अगर यह कोई कहता है कि यह सरकार प्रदेश को इस आर्थिक पोजीशन में ले जाने की जिम्मेदार है तो मैं तो मान्यवर, नया सदस्य जरूर हूं लेकिन इससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। किसी भी देश की नींव पड़ती है वहां आर्थिक पोजीशन खराब होती है। मेरा मानना यह है कि इस देश का नेतृत्व करने वाले प्रथम व्यक्ति से लेकर आज तक जो इसमें सम्मिलित हैं सभी दोषी हैं। बहिन मायावती एक बार 6 महीने और एक बार 4 महीने इस प्रदेश की सत्ता संभाली हैं और अबकी बार फिर प्रदेश की बागडोर सम्भाले हैं। इसमें आरोप लगाना कि आर्थिक पोजीशन खराब करने के लिये बहन मायावती जिम्मेदार हैं, यह सरासर गलत है। हमारे सामने जो समस्या है वह पूरे प्रदेश के सामने समस्या है। हम क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें ? और किसके लिये उत्पादन करें। इन तीनों का बैलेंस होता है तब जाकर पूरे देश की आर्थिक पोजीशन बनती है। अगर इनका बैलेंस नहीं बनता है तो आर्थिक पोजीशन खराब होती है। यह आर्थिक पोजीशन पहले से खराब होती चली आ रही है और मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के परिवेश में, प्रदेश में जो आर्थिक व्यवस्था है, जो कि इतनी जर्जर पोजीशन में है, ऐसे में उनको अतिरिक्त कर लगाना चाहिए था आर्थिक सुधार करने के लिये। लेकिन प्रदेश के सामने जो विषम परिस्थिति है, सूखे की परिस्थिति, उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया और ऐसी विषम परिस्थिति में बिना किसी अतिरिक्त राजस्व का फायदा उठाकर इसी में काम चलाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिये वे धन्यवाद की पात्र हैं। जो राजस्व घाटा है, पूंजीगत घाटा है। इन दोनों को मिलाकर सामने जो आंकड़े आये हैं, उसे हम दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि प्रदेश की मुखिया के सामने विषम परिस्थिति है और ऐसे में जो बजट पेश किया गया है। वह प्रदेश की परिस्थितियों और जनता के अनुकूल है। जहां तक मान्यवर, अम्बेडकर गांव का सवाल है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर योजना चलाई जा रही है।

मान्यवर, 10-5 गांव में चार पहिए की गाड़ी नहीं मिलती है बाकी सबको मिल जाती है चाहे वह योजना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो चाहे दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर हो अगर हम कहें पंडित दीनदयाल की योजना जाति पर है तो यह कहां तक उचित है ? राम मनोहर लोहिया के नाम पर योजना चली उसको जाति से संबंधित कर दिया जाए तो यह उचित नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो बजट मायावती जी ने पेश किया है इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पांच मिनट होने पर बत्ती जला दूंगा एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिएगा ।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मुख्य मंत्री मायावती जी का बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत में शोषण मुक्त और समता युक्त समाज का जो सपना देखा था वह आज भी अधूरा है । आज देश की आजादी के 56 साल के बाद से जो सरकारें बनी हैं, इसमें अम्बेडकर जी का जिकर है वह समता मूलक जाति विहीन समाज की बात करते थे, इसमें सुधारीकरण की आवश्यकता है जब तक गांव में रहने वाले 80 फीसदी जनता बच्चों को पढ़ाने के लिए टाट पट्टी उपलब्ध नहीं है, हर क्लास में टीचर नहीं हैं कक्षा-5 तक एक-दो टीचर हैं इस बजट में बेसिक शिक्षा के लिए न्यूनतम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही गई है । अगर कक्षा-5 तक दो टीचर होंगे तो वह किस कक्षा को पढ़ाने का काम करेंगे ? पहली क्लास से अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है एक जगह बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है गांव में 80 फीसदी लोग रहते हैं यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है जब तक शिक्षा एक समान नहीं दे पाएगा तब तक देश और समाज में सुधार नहीं हो सकता है बजट में इसका कोई जिकर नहीं किया गया है ? बाबा साहब की इच्छा थी कि एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है पैसे के आधार पर शहरों में शिक्षा दी जाती है जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में मां-बाप को अंग्रेजी में इण्टरव्यू देना होता है और गांव में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है । इलाज के विषय में मान्यवर, कहना चाहूंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैसा लेकर इलाज करने की बात होती है जबकि उनको मुफ्त इलाज करना चाहिए, इसका जिकर कहीं नहीं किया गया है ? बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई जिकर नहीं है कोई नये संसाधन नहीं है, बेरोजगारी भत्ता देने का कोई जिकर नहीं किया गया है !

उत्तर प्रदेश में राज्य में पूरे देश तो नहीं कह सकता लेकिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए जहां इनसे काम कराया जाता है वहां बेरोजगारों से काम कराया जाए तो बेरोजगारी कम हो सकती है । ठेकेदारी को माफिया चला रहे हैं, इसमें जो गुण्डागर्दी चल रही है ठेकेदारी को लेकर गोलियां चलती हैं मर्डर होते हैं उसमें पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को भंग करने का काम किया जाता है इसमें 80 प्रतिशत जिम्मेदारी ठेकेदारी की है इसको समाप्त करने का भी कोई जिकर नहीं किया गया है ।

कर्जा वसूली में मान्यवर बताया गया है कि कुल प्राप्तियां बावन हजार छः सौ उन्तालिस करोड़ सोलह लाख रुपये की दिखाई गई है मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों से कर्जा वसूली करने के लिए बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है 65 हजार करोड़ रुपया जो सुई बनाने वाले से लेकर बड़े कल कारखानों को दिया गया उनका कर्जा माफ कर दिया गया उनसे वसूली के लिए क्या करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई

जिकर नहीं किया है। 65 हजार करोड़ रुपये के मायने इससे पूरे देश में सौ बार पार्लियामेन्ट का चुनाव हो सकता है। इतना पैसा बकाया इसको वसूलने में कोई जोर नहीं डाला गया है। जबकि गरीब मजदूर किसान को 14 दिन के लिए पकड़कर बन्द कर दिया जाता है। उनकी जमीनें नीलाम होती हैं तो इसका भी कोई जिक्र यहां पर करना चाहिए था। गरीबों की वसूली में ढील देनी चाहिए थी। नये उद्योगों को लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

बिजली की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश जबकि दूसरे प्रदेशों में आप चले जाइये, केरल में चले जायें, वहां बिजली की व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है। 70,80,90 फीसदी गांवों में बिजली है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां 33 प्रतिशत लोगों को बिजली की व्यवस्था है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जो बिजली की दरें तय की हैं उसमें इन्होंने लखनऊ जनपद के गांवों को गांव नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में गांवों की आबादी दस हजार से अधिक है इसलिए शहर के हिसाब से पैसा देना होगा। जबकि लखनऊ में दस हजार आबादी का एक भी गांव नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नहरों में पानी ट्यूबवेल में बिजली की व्यवस्था पूर्ण कर ली होती तो आज सूखे का जो प्रकोप है वह किसानों को नहीं झेलना पड़ता। सिंचाई की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। लखनऊ के अन्दर पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की जमीन एल०डी०ए० या अन्य विकास प्राधिकरणों ने ले लिया है। 30-35 साल हो गये हैं लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1984 के अनुसार पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान पीड़ित हैं।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति के मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला है। वृद्धावस्था और विकलांगों को पेंशन नहीं दी जा रही। इससे बड़े पैमाने पर घोटाला होता है, घूसखोरी होती है। सबको पेंशन मिलनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि बजट में एक जगह यह लिखा है कि "सर्वजन के हितों का पूरा ख्याल, परन्तु दलितों, पिछड़ों, गरीब तबको, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवश्कताओं को प्राथमिकता प्रदान करना और उनके उत्थान की दिशा में कार्य एवं सार्थक प्रयत्न"। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि डा० भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलना है और उसकी बात को मानना है तो उन्होंने कहा था कि मैं शोषण विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना चाहता हूं। परिजातियों की राजनीति की जायेगी, तो अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। अगर एक तरह का बजट पेश करके सबको बराबरी का बजट पेश किया जाता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों और सभी तबकों के लोगों को बराबरी का दर्जा मिलता, उनका इस बजट पर विकास होता। मान्यवर, मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के लिये तमाम जगह पर उद्घाटन और शिलान्यास के लिये, स्वागत के लिये पैसा कहां से खर्च होता है इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। लाखों लाख रुपया मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों द्वारा शिलान्यास आदि पर खर्च किया जाता है यह रुपया कहां से आता है इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

* श्री अनवर महमूद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट की साधारण चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बजट के मसले पर हमें एक किताब मिली है उसको पढ़ने के बाद यह लगता है कि यह एक कोरा आश्वासन है जो इस प्रदेश के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। मान्यवर, जब हम क्षेत्र की ओर पूरी नजर डालते हैं तो यह देखते हैं कि किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और उसकी पूरी फसल चौपट हो गई है। पूरे प्रदेश का यह आलम है। उसके लिये सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है कि उनके फसलों की नुकसान की भरपाई वे कैसे कर पायेंगे ? किसान इस कोशिश में है कि इस बार का खर्चा वह अपने घर का खेत कौन सा हिस्सा बेच कर चलाये। बिजली रहती नहीं है आज वह खेतों में सिंचाई नहीं कर पाया है। कानून-व्यवस्था का यह आलम है कि फर्जी तरीके से ब्लाक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को जेलों में भेजा जा रहा है। यह बजट सिर्फ इस प्रदेश को जातिवाद में बांटने का एक षड़यंत्र है इसके अलावा कुछ नहीं। मान्यवर, बजट पढ़ने के बाद दुःख हुआ कि यह वह प्रदेश है जहां कि हिन्दू कवि सूरदास ने अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में यह कहा–

"मेरो मन अनत कहां सुख पावे,

जैसे उड़ि जहाज के पंछी पुनि जहाज पर आवे।"

प्रसिद्ध कवि रसखान ने कहा था–

"या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुं पुरको तजि डार्‌यो,

आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नन्द की ग्राय चराय बिसार्‌यो।"

मान्यवर, आज इसी प्रदेश में जातिवाद में लोगों को बांटा जा रहा है। इस बजट में न किसानों के लिये, न गरीबों के लिये और न मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था है। यह बजट एक कोरा आश्वासन है और इसके जरिये पूरे प्रदेश में जातिवाद फैलाया जा रहा है। मुझे गालिब का एक शेर याद आ जाता है।

"उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब,

हम वियाबान में हैं, घर में बहार आई है।"

मान्यवर, कुछ समय के बाद जनता की सबसे बड़ी अदालत में आपको जाना है हम चाहते हैं कि गरीबों के लिये किसानों के लिये योजनायें चलायें ताकि प्रदेश में गरीबों और किसानों का कल्याण हो सके। धन्यवाद।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, इस बजट की साधारण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुन्देलखण्ड है और उस बुन्देलखण्ड में महोबा जनपद ही सबसे पिछड़ा है। सिंचाई के क्षेत्र में देखें तो जहां प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत कृषि की भूमि की सिंचाई होती है वहीं पर महोबा जनपद में मात्र 20 प्रतिशत सिंचाई होती है इसके लिये ऐसा नहीं है कि वहां प्रकृति ने कुछ नहीं दिया बल्कि यहां के लिये जो नीतियां निर्धारित होती हैं व इसके कारण ही जनपद महोबा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़ा है । हमारे यहां धुसान नदी है इसमें लहचरा बांध बना है । उस बांध में नदी का कुछ ही हिस्सा उपयोग किया जाता है बाकी सारा पानी नदी में बह जाता है । मान्यवर, क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाने के लिये अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य कराया जाना आवश्यक है । इसमें नदी का अतिरिक्त पानी अर्जुन बांध से चन्द्रावल और कवरई बांध में आ जाये तो आज जहां लगभग 22 हजार वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है वहीं ये 44 हजार वर्ग हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा हो जायेगी । लगभग तीन गुना (200%) सिंचाई की क्षमता बढ़ जायेगी । जहां क्षेत्र 20 प्रतिशत सिंचित होता है वहां क्षमता बढ़कर 60 प्रतिशत हो जायेगी ।

मान्यवर, अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराया जाना इसकी बहुत आवश्यकता है बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । मान्यवर, क्षेत्र के विकास के लिये जिस तरह से पूर्वांचल विकास निधि है उसी तरह से बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय विकास निधि की भी पहले से सुविधा रही है लेकिन इस बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता और न कहीं बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल विकास निधि में कोई प्राविधान किया गया है, क्षेत्र के विकास के लिये यह बहुत आवश्यक है । बुन्देलखण्ड के कुछ जनपदों को इस सरकार ने लगभग 20-20 करोड़ रुपये कुछ दिन पहले जिसकी घोषणा हुई थी, दिया है । उसमें सत्तापक्ष के ही अधिकतर सभी विधायक हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे महोबा जनपद में एक भी विशेष पैकेज नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से चित्रकूट और बांदा जनपदों में 20-20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि दी गई है उसी तरह से महोबा को भी दिया जाय । हमीरपुर जनपद में जहां शासक दल के सभी विधायक हैं, उसको भी इससे वंचित कर दिया गया है । वे मजबूर हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है । मंत्री पद नहीं मिलेगा मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें और मैं भी अनुरोध करता हूं कि इसका उल्लेख वह करें ।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में स्थिति यह है कि उत्तरांचल के अलग होने के बाद बुन्देलखण्ड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शासन ने बहुत शोर मचाया था, नीतियां भी बनाई थीं लेकिन इस बजट में बुन्देलखण्ड के साथ अन्याय किया गया है इस बजट को देखा जाय तो बौद्ध परिपथ के लिये 1120 करोड़ का प्राविधान किया गया है और बुन्देलखण्ड के लिये 1.20 करोड़ का प्राविधान है तो बतायें इतनी कम धनराशि से कैसे क्षेत्र का विकास होगा तो इसको सुनिश्चित करें । उद्योग के क्षेत्र में भी यह सर्वाधिक पिछड़ा है । प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा जनपद होगा जहां पर यू०पी०एस०आई०डी०सी० का इंडस्ट्रियल एरिया न हो लेकिन एक जनपद महोबा है । मेरी मांग है कि वहां पर यू०पी०एस०आई०डी०सी० का उद्योग केन्द्र बनाया जाय । बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि पचासों गांवों में बिजली के केवल खम्भे लगे हैं तार और ट्रांसफारमर लगे ही नहीं फिर भी और वहां पर 25-30 हजार रुपये का बिजली का बिल भेजा जा रहा है । इस अकाल को झेल रहे ग्रामीणों और गरीब जनता का बहुत ही उत्पीड़न किया जा रहा है । इस उत्पीड़न को बन्द किया जाय बिना बिजली के बिलों को माफ किया है । मेरी मांग है कि इसको सही किया जाय । हमारे जनपद में एक हिस्सा ऐसा है जो चारों तरफ से जनपद से अलग हैं लगभग 10 गांव ऐसे हैं जो चारो तरफ मध्य प्रदेश से घिरे हैं उसके विकास के लिये विशेष योजना बनाई जाय । मान्यवर, उनको बिजली मिलेगी मध्य प्रदेश की एरिया से जायेंगे भी तो उधर से होकर, जो भी योजना है वह वहां से होकर जायेगी लेकिन मान्यवर, शिक्षा मित्र की योजना में सरकार ने कहा है कि यू०पी० के शिक्षा प्राप्त किये लोग उसमें एप्लाई कर सकते हैं । मान्यवर, जब हम हर चीज के लिये मध्य प्रदेश पर आश्रित है तो शिक्षा भी वहीं से करेंगे तो उत्तर प्रदेश बोर्ड का सार्टिफिकेट वह कहां से लायें ? मेरी मांग है कि इस आदेश में संशोधन किया जाये ताकि वहां

से बेरोजगारी कुछ कम हो सके । हैण्डपम्प के बारे में बताना चाहता हूं कि उसकी पोजीशन यह है कि 90 प्रतिशत हैण्डपम्प सूख चुके हैं । वहां अर्जुन सहायक परियोजना लगाई जाती है तो वहां इतना विकास होगा कि 10 साल में महोबा प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्र में आ जायेगा । अर्जुन सहायक परियोजना हो गई तो इसमें वाटर रिचार्जिंग होगी और हैंडपम्प तथा कुएं नहीं सूखेंगे तो इस समस्या का निदान हो जायेगा । कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो जो पूरे प्रदेश का हाल है वही महोबा का भी है । इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, एक जिलांश होता है और एक राज्यांश होता है बुन्देलखण्ड विकास निधि से राजांश में अधिकारी अपने मन का प्रस्ताव लाते हैं जो उतना आवश्यक नहीं है जो होना चाहिये । तो यदि उसका भी केवल जिलांश के रूप में पैसा दिया जाये, विधायकों से प्रस्ताव लिये जाये तो जनता के हितों को मद्देनजर योजना ही बनेगी और जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा । इस संबंध में सरकार को निर्देशित किया जाये कि केवल जिलांश के रूप में पैसा दिया जाये और विधायकों से प्रस्ताव लिया जाये ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे सुश्री मायावती द्वारा प्रस्तुत बजट 2002–2003 की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का प्रस्तुत बजट उस सरकार के द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आय-व्यय का वास्तविक ब्यौरा होता है । दुर्भाग्य है कि इस सरकार का यह बजट मात्र 6 माह के लिये है क्योंकि 6 माह के लिये यह संसद से पारित हो चुका है । लेकिन इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, मैं अन्य माननीय सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा मैं तो यह कहूंगा कि बजट सरकार की नीतियों का एक तरह से आइना होता है, उसकी प्राथमिकताओं का । आज यह सरकार पूर्ण सरकार नहीं है, यह सरकार गठबन्धन की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार है । वर्ष 2002–2003 के लिये यह सरकार का बजट है । इस बजट का मैंने पूरा अध्ययन किया है । मैं सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूं । लेकिन जब सरकार किसी महापुरुष की प्राथमिकताओं को तय करती है । मैं उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता हूं कि गठबन्धन की सरकार होने के बावजूद केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही देखा गया है । इस पूरे बजट भाषण में कोई योजना है तो वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण योजना । उसके सहयोगी दल भाजपा की दीनदयाल उपाध्याय योजना हो अथवा चौधरी चरण सिंह की किसान योजना हो, इन योजनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं है । मैं समझता हूं कि सरकार पहले दिन से ही अविश्वास के संकट में खड़ी है । गठबंधन की चाहे जो मजबूरी हो लेकिन सभी एक दूसरे के कार्यक्रमों पर अपना एजेण्डा लादने का प्रयास कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री ने बजट में पृष्ठ संख्या–3 में कहा है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक है और अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में है । एक तरफ मुख्य मंत्री कह रही हैं कि प्रदेश की स्थिति जर्जर है और दूसरी तरफ सहयोगी दल के पूर्व वित्त मंत्री श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव कह रहे हैं कि (मैंने पूरा बजट भाषण पढ़ा है) उन्होंने अपनी जो प्रगति दिखायी थी और कहा था कि हमारी जो विकास दरें हैं उनमें आशातीत वृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है यह किस तरह का विरोधाभास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रही हैं कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं कोई खजाना खाली नहीं है । इसलिये प्रदेश की जनता के समक्ष यह बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्पष्ट हो जानी चाहिये कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बजट तो प्रस्तुत कर दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है इसके लिये सरकार को एक श्वेत-पत्र जारी कर देना चाहिये, जिससे जनता को यह स्पष्ट हो सके कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है ? इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे प्रदेश में जो राजस्व की प्राप्तियां हैं वह कितनी हैं तथा उसका राजस्व व्यय कितना है फिर कोई विरोधाभास नहीं होगा । आज मैं मानता हूं कि इस बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख है कि इसमें 2,265 करोड़ का बिना कोई कर लगाये घाटा है, हमारा बजट 2,265 करोड़ के घाटे में है और हम इसकी भरपाई करेंगे, मितव्ययिता करेंगे और वसूली को तेज करेंगे । यह हर सरकार की वचनबद्धता होती है । उसके बाद भी फिजूलखर्ची होती है और प्रतिवर्ष केवल 100-500 करोड़ का घाटा ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि यह सम्मानित सदन के लिये चिन्ता का विषय है । 21 मार्च, 2002 तक कुल 83401.35 लाख का घाटा हुआ है, जबकि पिछले 31 मार्च, 2001 तक यह 72,765.64 लाख था । यानि इस एक वर्ष में इस प्रदेश की जनता के ऊपर 10,635.71 लाख का घाटा और बढ़ा, क्यों न बैठकर हम इसकी चिन्ता करें ? यह सरकार हो या किसी और की सरकार हो या हमारी ही सरकार हो, 10-10, 11-11 हजार करोड़ के कर्ज का बोझ बढ़ रहा है । तो इसका मतलब यह है कि किसी मां की कोख से जन्म लेने वाला हर बच्चा 5 हजार रुपये का कर्जदार है । पहले दिन से ही कोई बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है और यह अगले साल और बढ़ जायेगा । यह चिन्ता का विषय है यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है ।

आज भी सरकार वचनबद्धता दोहरा रही है कि फिजूलखर्ची को कम करेंगे, उसके बावजूद भी फिजूलखर्ची होगी । इन्हीं के सहयोगी दल की अभी साढ़े 5 साल सरकार रही है, कुल घाटा 83401.35 लाख का हो चुका है, वैसे 2265 करोड़ का है । घाटे की भरपाई कैसे हो सकती है, जबकि इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । इस घाटे की भरपाई केवल रबी और खरीफ की फसलों से हो सकती है, लेकिन प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है तो फिर कहीं न कहीं हम सबको सोचना होगा । एक कहावत है जैसा राजा का आचरण होता है, वैसा ही प्रकृति का भी होता है, इसी कारण इस वर्ष शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा, सूखे की चर्चा भी हुई लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत सरकार के विशेष सूखा राहत कार्यक्रमों को चलाये जाने के लिये एक भी पैसा नहीं मिला है । हमारे बड़े-बुजुर्गों ने इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-बाढ़, सूखा, प्रलय आदि से निपटने के लिये आकस्मिकता निधि का गठन किया था, जब राज्य सरकार न हो अथवा सदन न चल रहा हो, क्योंकि बिना सदन की अनुमति से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है, इसीलिये आकस्मिकता निधि का गठन किया गया था । अन्यथा मुख्यमंत्री कहां से पैसा खर्च करेंगी, इसीलिये इस आकस्मिकता निधि को बाई एक्ट बनाया गया और यह निधि इस समय 500–1000 करोड़ में है । लेकिन इस निधि से एक भी पैसा सूखा राहत कार्यों के लिये नहीं दिया गया ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने की बात है, यह कैसे दुरुस्त होगी, पुलिस विभाग को एक भी पैसा नहीं दिया गया, नई जीपें नहीं देंगे, वायरलेस सेट नहीं देंगे तो मुझे समझ नहीं आता कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक होगी । उनको नये हथियार चाहिये, ए०के० 47 चाहिये, बैरक चाहिये, थाने चाहिये, लेकिन एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । आप चाहे जितने तबादले कर लीजिये, कुछ होने वाला नहीं है । आपने लखनऊ में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किये, दरोगा, आई० जी०, डी०आई०जी०, एस०पी०, एस०एस०पी० सब बदल डाले और आपने सोचा कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जायेगी । लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय

छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री इन्द्र देव सिंह की हत्या हो गई, इतने तबादलों के बाद भी आपके आंकड़े बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से खराब हुई है, भले ही आप अपने आंकड़ों से संतुष्ट कर देंगी और कहेंगी कि हमारी सरकार में अपराध घटे हैं लेकिन, हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आया है आज की स्थिति यह है कि 447 अपहरण हुए हैं, 1147 हत्यायें हुई हैं और यह कितने दिनों में घटनायें हुई हैं केवल शुरुआती के 57 दिन की हैं । उत्तर प्रदेश के जीवन काल के 57 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता । अभी कुल 1160 मुकदमें लिखे गये लेकिन यह सही है कि आज बलात्कार की 234 घटनायें हुई हैं, क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है । क्या इतने ज्यादा तबादलों के बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहती है तो उसके लिये तबादलों की ज्यादा जरूरत नहीं है । किसी प्रदेश के विकास का क्या मानक है ? उसका मानक है कि प्रदेश में कितना पूंजीनिवेश हो रहा है । हम यह सारा साहित्य लेकर के आये लेकिन उसे पढ़ने का समय नहीं है । जो बैंक जमा ऋण अनुपात होना चाहिये वह आज नहीं है । आज बैंक जमा ऋण अनुपात है 27 प्रतिशत जबकि कांग्रेस के जमाने में यह अनुपात 50 से 52 प्रतिशत था, तो आज यह अनुपात निरन्तर घट रहा है तो यह पूंजीनिवेश का पैमाना है । आज जहां दक्षिण भारत में 20 प्रतिशत सी०डी० रेशियो है ।

मान्यवर, आज तक कौन सा कारखाना लगा है । पूर्वांचल के सारे कारखाने और मिलें बन्द हैं । प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने उन्हें चलाने का निर्णय दिया था लेकिन आज उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि गोरखपुर का खाद कारखाना बन्द कर दिया जायेगा । मान्यवर, प्रदेश में सबसे बड़ी आय का साधन चीनी मिलें हैं, लेकिन आज वह एक-एक करके सब बन्द होती जा रही हैं । आज प्रदेश के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति क्या है ? आज एक हजार 225 करोड़ 14 लाख रुपये गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को होना बाकी है, दूसरी तरफ आज भी केवल लगान और भू-राजस्व को ही इस सरकार ने स्थगित किया है बाकी अन्य किसी प्रकार की वसूली स्थगित नहीं हुई है, उनकी वसूली जारी है आप किसानों का जो पैसा बाकी है उनकी जो पर्चियां हैं उनके सापेक्ष में भुगतान करने का आदेश कर दीजिये । आज स्थिति यह है कि हमारे गन्ना मूल्य के भुगतान का करोड़ों रुपया बकाया है मिलों पर, चाहे वह राज्य चीनी निगम की मिलें हों चाहे सहकारी चीनी मिलें हों । मान्यवर, पिछले साल का 2.8 प्रतिशत भुगतान बाकी है और इस साल का 17.6 प्रतिशत । पिछले साल तक गन्ना मूल्य भुगतान ढाई सौ करोड़ रुपये बाकी था और आज अब यह 225 करोड़ हो गया है, तो मान्यवर, पिछले सालों की तुलना में आज की स्थिति दयनीय है, जबकि मान्यवर, सितम्बर, अक्टूबर से पिराई शुरू होने जा रही है गन्ने की तो अब आप किसानों की पाई-पाई का भुगतान कैसे करेंगे ? आप कहते हैं हम उनका भुगतान करेंगे, इसके लिये चाहे आप विश्व बैंक से पैसा लें चाहे जहां से पैसा लें । आप बजट में कहते हैं कि हम पावर प्लाण्ट की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया । मान्यवर, प्रदेश के विकास में दो चीजों का बड़ा महत्व है विद्युत और सिंचाई का, आज दोनों की स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2002–2003 के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका और पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं । महोदय, यह बजट विपरीत परिस्थितियों में भी जो आज देश की हालत है, प्रदेश की आर्थिक हालत है .....

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए ।)

इसमें एक बेहतरीन बजट कहा जायेगा । इस बजट में किसी भी स्तर की जनता पर, किसी भी प्रकार के नये कर की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में इसमें कुछ और अच्छा किया जा सकता था । जैसे आज की तारीख में प्रदेश में सिंचाई क्षमता 29,684 हेक्टेयर है लेकिन 26,629 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पा रही है । इसका मुख्य कारण है कि बिजली की अनुपलब्धता । ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिल पा रही है । हम नहीं कहते कि इसके लिये सरकार दोषी है लेकिन यह बात अवश्य है कि सन् 1989 के बाद से इस प्रदेश में कोई बड़ी परियोजना नहीं लगी, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा । आज जरूरत है कि इस प्रदेश में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाये । इसके लिये चाहे निवेश की जरूरत हो या भारत सरकार से मदद ले करके क्षमता बढ़ाई जाये । अगर यह क्षमता बढ़ाई नहीं गई तो 72.5 प्रतिशत जनता जो कृषि पर निर्भर है उसकी कमर टूट जायेगी । सूखे से किसान कराह रहा है ।

मई महीने में इसी सदन में विद्युत मंत्री जी ने बताया था कि 8 घण्टे बिजली दी जायेगी । लेकिन दुःख के साथ कह सकता हूं कि 8 घण्टे बिजली किसी भी दिन गांवों में उपलब्ध नहीं हो पाई । सूखे की विषम स्थिति है । भारत के कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि देश में 320 जिले सूखे से प्रभावित हैं । उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती है कि उत्तर प्रदेश के सारे जिले सूखे से प्रभावित हैं और सूखा पीड़ित घोषित किये जा चुके हैं लेकिन सूखे के नाम पर 2 महीने अतिरिक्त 5 घण्टे बिजली देनी चाहिये । जिससे इस राज्य के किसान इस बात को महसूस करते कि सरकार हमारी खुलकर मदद कर रही है । मेरे क्षेत्र में चिलकहर और रतसड़ दोनों 33/11 के०वी०ए० के सब स्टेशन हैं, ये दोनों बहुत पुराने हैं जर्जर हो चुके हैं, इनके नवीनीकरण का बार-बार आग्रह किया गया लेकिन नवीनीकरण नहीं हो पाया है । उसमें आये दिन खराबी होती रहती है । हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाये । बिजली मंत्री जी ने भी आश्वासन दे रखा है । हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के दोनों सब स्टेशन ठीक हो जायेंगे । इस बजट में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया गया है । पढ़े-लिखे नौजवान बेराजगार हैं, वह नशे का शिकार होते जा रहे हैं, तनाव और कुण्ठा से ग्रस्त हैं वह हिंसा और तरह-तरह की बुराइयों से लिप्त होते जा रहे हैं । पूरे प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा 25,81,644 है जो सेवायोजन दफ्तरों में दर्ज हैं लेकिन यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि तमाम नौजवान जो पढ़े-लिखे हैं वह रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि हमें इस राज्य में रोजगार नहीं मिलना है । इसका कारण है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हिन्दुस्तान के ऊपर प्रहार । 1994 में जब कांग्रेस सरकार के प्रधान मंत्री नरसिंह राव ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से समझौता किया तो तब से हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है । हिन्दुस्तान के व्यापार से लेकर, लघु उद्योग से लेकर दस्तकारी के कार्य, ये सारे प्रभावित हुये हैं । गांव का कुम्हार जो कुल्हड़ बनाकर जीवन जी लेता था, खिलौने बना लेता था, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से अब प्लास्टिक के गिलास और खिलौने बनने लगे हैं । इससे गांव के सारे रोजगार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से ध्वस्त हो गये हैं ।

हम इस सरकार से मांग करते हैं कि इस बजट में गांवों के लिये अलग से व्यवस्था होनी चाहिये । इसमें संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है, मैं जनपद बलिया का रहने वाला हूं । बलिया जनपद तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है सरयू, गंगा और लेस । हमारे जिले बलिया में परवल की खेती सारे

हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होती है । लेकिन इतने सारे परवल को किसी कोल्ड स्टोरेज में संभालकर रखने की व्यवस्था नहीं है, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बलिया में कोई भी ऐसा कोल्ड स्टोरेज नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी इस बजट में बलिया जिले में कम से कम हर एक ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे ताकि इतने खराब हालात पर काबू पाया जा सके । आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसे सुधारने की आवश्यकता है । आज हमारी पर-कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है । मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 11 हजार 244 रुपये हैं और उत्तर प्रदेश की परकैपिटा इनकम 15 हजार 562 रुपये है, तथा बिहार की पर कैपिटा इनकम 5 हजार 540 रुपये । आज हम तीसरे स्थान पर हैं पूरे देश में पर कैपिटा इनकम के मामले में । हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम आपके आदेश को पूर्णतया मानने वाले हैं । हमारे जिले में एक चीनी मिल है उसका नाम है हरिकृष्णादि सहकारी चीनी मिल रसड़ा । मान्यवर, सरकार के हिसाब से 81.83 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है । जबकि सत्यता यह है कि 44.02 प्रतिशत का ही भुगतान हुआ है । 09.72 लाख क्विंटल गन्ना दिया गया है । इसमें मान्यवर, करीब 390.35 लाख के आस-पास हमारे किसानों का भुगतान होना अभी बाकी है । हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं किसानों को बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान अविलम्ब किया जाना चाहिये । मान्यवर, बलिया जनपद क्रान्तिकारियों का जिला है । देश को आजादी दिलाने के लिये सन् 1942 के आन्दोलन में इस जिले का बड़ा योगदान रहा था । मान्यवर, इसमें गैसोहरा चीनी मिल रसड़ा में पायलट योजना शामिल करने की कृपा करें । मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा और आवास में आज सुधार की आवश्यकता है । आज इन क्षेत्रों में जो गांवों की स्थिति है वह बहुत दयनीय है । आप हमारे क्षेत्र के किसी भी ब्लाक को ले लें वहां पर लड़कियों के लिये अलग से एक भी डिग्री कालेज नहीं है । अभी 15 अगस्त के दिन प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि हम साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनने जा रहे हैं । मेरे जनपद में देहात में एक भी लेडी डाक्टर नहीं है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि गांवों की स्थिति को सुधारा जाय । प्राइमरी स्कूलों से हमारे बच्चे वंचित बैठे हैं उसमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर बैठे लोगों में 80 प्रतिशत लोग गांव के हैं । आज विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है । उनको सुधारा जाय । जब तक ऐसा नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा । राज्य का विकास सड़कों से नहीं होता है बल्कि उसमें रहने वाले इंसानों के विकास से होता है । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश और राज्य का विकास नहीं हो सकता है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । मान्यवर, एक और ज्वलंत समस्या यह है कि कहा जाता है कि बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है जबकि ऐसा नहीं हो रहा है । सरकार को चाहिये कि इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करे । मान्यवर, गांवों की दशा सुधारने के लिये छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, शिक्षा का स्तर सुधारा जाय, बिजली की दशा को सुधारा जाय । मैंने सुना कि बिजली, पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये जबरदस्त प्रयास किये जा रहे हैं । लेकिन मान्यवर, बिजली की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब है । मान्यवर, बिजली विभाग में लाइन मैन ने अपना प्राइवेट लाइन मैन 50 रुपये में रखा हुआ है और वह उसी से लाइन मैन का काम लेता है । अगर उनका ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा । उनका ट्रांसफर दूर कर दिया जाना चाहिये । आज बिजली विभाग में ऐसा ही हो रहा है । जब

तक इस कमी को दूर नहीं किया जायेगा तब तक बिजली की दशा को सुधारा न जा सकेगा । यह जो बिजली विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है क्या यह आपको नहीं दीखता है । मान्यवर, यदि गांवों का विकास करना है और राज्य का विकास करना है तो गांवों को नई दिशा देनी होगी । जो शिक्षित बेरोजगार हैं, किसान हैं उनको नई दिशा देनी हेगी तब जाकर प्रदेश का विकास हो सकेगा । अपनी बात समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री राम लाल "अकेला"–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । श्रीमन् बजट की किताब जब हम लोगों को पढ़ने को मिली तो उसको देखकर यह लगा कि इस किताब में उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग के साथ एक धोखा किया गया है । मान्यवर, दलितों के बारे में बहुत चर्चा की गई है केवल दिखाने के लिये । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ढाई सौ करोड़ रुपये अम्बेडकर उद्यान पर लगा देने से दलितों का कल्याण होने वाला नहीं है ।

श्रीमन्, 2001–2002 तक प्राथमिक शिक्षा में 2 करोड़ 08 लाख बच्चे दलित वर्ग के पंजीकृत थे और उच्च शिक्षा तक पहुंचते-पहुंचते इन बच्चों की संख्या केवल 36 लाख रह गई है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि साधनों के अभाव में जो बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं उनके लिये इस बजट में सरकार ने कोई प्राविधान करने का काम नहीं किया है । अगर दलितों के बारे में वास्तविक चिन्ता है तो जिन्दगी के धरातल पर जाकर काम करें । आज दलित वर्ग के लोग एक कमरे में रहते हैं, बगल में बहू की चारपाई है, बगल में ससुर की चारपाई और उसके बगल में दलित की बकरी बंधी है । दलितों के नाम पर ढिंढ़ोरा पीटने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलितों के कल्याण के लिये बजट में एक नये पैसे का भी प्राविधान नहीं किया है । आज भी दलित वर्ग के लोग नीले आसमान के नीचे बगैर छत के जिन्दगी गुजारने के लिये मजबूर हैं । यह जो ढाई सौ करोड़ रुपये अम्बेडकर उद्यान पर खर्च किये गये हैं इसके बजाय यदि इस पैसे को गांव में रहने वाले दलित परिवारों पर खर्च किया जाता तो नीले आसमान के नीचे रहने वाले आदमी जो सर्दी में और तपती धूप में और मूसलाधार बरसात में बिना किसी छत के रहते हैं उनकी जिन्दगी में सुधार होता और वह यह महसूस करते कि हमारे लिये किसी सरकार ने कोई कदम उठाने का काम किया है ।

श्रीमन्, साधनों के अभाव में आज हमारे दलित वर्ग के लोगों के बच्चे इंजीनियरिंग कालेजों में उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं । हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से इस तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया है । जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है विशेषकर दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई आदमी अपनी फरियाद लेकर थानों में जाता है तो थानों में उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती है उल्टे यह होता है कि दर्खास्त लेने के बाद थानेदार कहता है कि जिसके खिलाफ तुमने शिकायत की है उसकी तरफ से कप्तान साहब के यहां से फोन आया है । अगर तुमने 10 हजार रुपये रिश्वत देने का काम नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की जायेगी । इस तरह से उसकी एफ०आई०आर० दर्ज करने के बजाय उसको भयभीत किया जाता है और वह थाने से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक दौड़ने का काम करता है । आज सरकार में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है । चारो तरफ उनके उत्पीड़न का काम किया जा रहा है । इस बजट में औद्योगिक विकास के बारे में कुछ नहीं कहा गया । श्रीमन् जी रायबरेली जनपद का मैं रहने वाला हूं । रायबरेली जनपद के बारे में कहना चाहूंगा कि जितने भी उद्योग वहां लगे टेक्सटाइल, स्पिनिंग मिल, आई०टी०आई० जितने भी उद्योग रायबरेली में लगे आज सारे उद्योग लगभग बन्द होते जा रहे हैं । इस बारे में इस सरकार ने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है । जहां तक किसानों की बात है हमारे किसानों को नहरों से सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है । एक-एक बूंद के लिये हमारा किसान रो रहा है । उसको पानी देने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है । अरबों रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय पार्क बनाया जा रहा है । संजय गांधी अस्पताल के सामने और लखनऊ में 250 करोड़ रुपये की लागत से अम्बेडकर पार्क बनाया जा रहा है अम्बेडकर उद्यान बना देने से दीन दयाल उपाध्याय उद्यान बना देने से करोड़ों गरीब किसानों का भला होने वाला नहीं है । इस बजट में किसानों की खुशहाली के लिये एक पैसे का कोई प्राविधान नहीं किया गया ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र बछरावां को मोहनलालगंज फीडर से बिजली देने का काम किया जाता था पांच वर्ष पूर्व मोहनलालगंज व बछरावां मार्ग के तार चोरी हो गये सरकार के पास इतना धन नहीं है कि मोहनलालगंज फीडर को बछरावां लाइन से जोड़ कर बछरावां को विद्युत देने का काम करे । हमारे यहां बछरावां में 132 केवी० का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित होना था सामान भी पहुंच गया था बाद में उस सामान को दूसरी जगह भेज दिया गया और बछरावां आज भी अंधेरे में डूब रहा है । हमारे यहां बसन्त पार, शीतपुर में स्वास्थ्य का कोई साधन नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है उस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये इस बजट में एक पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य के बारे में एक पैसे का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित तो किया लेकिन आज स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर तैनात तो हैं लेकिन वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने को तैयार नहीं हैं । 15-20 वर्षों से डाक्टर लखनऊ में तैनात हैं सरकार उन डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने का काम नहीं करती है । डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं । इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसान स्वास्थ्य से वंचित हैं । यह जो बजट रखा गया है इसके बारे में दो लाइन कहते हुये अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

"स्वर्णिम सपनों को सितारों ने लूटना चाहा ।
सुन्दर लहरों को किनारों ने लूटना चाहा ।
क्या कहूं इस दुनियां में मेरे दोस्त ।
मेरी डोली को स्वयं कहारों ने लूटना चाहा ।"

श्री मुंशी लाल गौतम–

अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष एवं नेता सदन सभी सदस्यगण संविधान और विधि वेत्ताओं ने जिस समय संविधान का निर्माण किया था ।

उस समय उनके दिमाग में आया जिसको गरीब कहते हैं वह चाहे किसी जाति, धर्म, मजहब का है, जिसके पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, दवा नहीं है, शिक्षा सुरक्षा नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है । छुआ छूत बरकरार बनी है इसको आधार मानकर एक चुनाव प्रणाली बनाई ।

आज बहिन मायावती, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, एक दलित समाज से हैं लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां श्री राम नरेश यादव जी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्री कल्याण सिंह जी अनुसूचित जाति दलित और पिछड़े वर्ग के रहनुमा रहे, अगर यह चाहते तो इन गरीबों को सम्मान और इज्जत कबकी मिल गई होती आज वे झोपड़ी में या खुले आसमान के नीचे न रहते । अभी मेरे सामने मेरे भाई ने जो जिक्र किया है कि आज ऐसे व्यक्ति पानी के लिये तरस रहे हैं, जिनके पास टूटी चारपाई है जो दवा के लिये मोहताज हैं, जिनके पास मकान नहीं है । मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के समाज के लोगों ने जिन्होंने, ईंट बनाई, ईंट को पकाया, जिन्होंने बेलदारी की, राजमिस्त्री के काम से अनेकों बिल्डिंग बनाई, भवन बनाये । आज हम जिस भवन में बैठे हैं उसको भी बनाने में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का आधार है । सबके पखाने साफ किये गली साफ की, मकान साफ किये लेकिन खुद गन्दगी में रहे । औरों के कपड़े धोकर साफ करके, क्रीज बनाकर पहनाये और खुद फटे कपड़े पहने रहे । लोगों के लिये अच्छे-अच्छे मकान बनाये और खुद टूटे फूटे झोपड़ों में रहे । जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है उनको इस देश ने क्या दिया ? आज इस बजट के माध्यम से बहिन मायावती जी कुछ करना चाहती है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिये अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं । विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हो इन सबके माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं । इस तरह की सब योजनाएं इस बजट में बहिन मायावती जी ने रखी हैं और मैं इस लिए बजट का समर्थन करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं इस समय एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि पीछे के वर्षों में बी०पी०एल० का सर्वे हुआ था । जिन जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वह सर्वे करवाया गया था शायद उनको इसके बारे में कुछ कम जानकारी रही होगी या जिन्होंने वह सर्वे किया उनको कुछ कम जानकारी रही होगी, सर्वे करते समय पात्रता के लिये क्या शर्तें रखी गई ? मकान किसके लिये बने और किसको मिले ? बी०पी०एल० सर्वे के तहत उसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे गये जिनके पास दो मंजिले और तीन मंजिले मकान हैं, खेत हैं, खलिहान हैं । वह गरीब व्यक्ति जिसके लिये वह योजनाएं थीं गरीब उससे वंचित रह गया । मेरा सुझाव है कि आप दोबारा सर्वे करवा लें, इसका पुनः निरीक्षण कराया जाय ।

दूसरी बात मैं आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं कि चाट बेचने वाला लाला गरीब है, सड़क पर पत्रा देखने वाला ब्राहमण गरीब है, मजदूरी करने वाला ठाकुर गरीब होता है । मेरा कहना है कि आरक्षण का प्राविधान उन गरीबों के लिये भी रखा गया । वह भीं गरीब हैं, उनको भी सम्मान मिले । यही मेरा सुझाव है । आज मानवीय मूल्यों में दिन पर दिन गिरावट आ रही है । ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में सड़कें निकल रही हैं, आम जनता ने एक माहौल बना रखा है कि अपनी सड़क के पास मिट्टी डालकर घर के आगे ऊंचा कर लेते हैं और सड़क को एक नाली की तरह से इस्तेमाल करते हैं । अपने घर के लैट्रीन, बाथरूम, हाथ मुंह धोने का पानी, सारे का सारा पानी सड़क पर बहता रहता है । वह सब सड़क पर आ जाता है । जिससे सड़कें टूट रही हैं गड्ढे हो रहे हैं ऐसे में व्यक्ति पानी को अपने आप नहीं निकाले तो क्या करे, सरकार क्या सुधार करायेगी । सड़क में साल भर, महीने पीछे गड्ढे होते रहते हैं मेरा निवेदन है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें उसकी गाढ़ी कमाई, गाढ़ी मेहनत का पैसा उसके हित में खर्चा हो आज हम लोग चुनाव जीतकर आए हैं जो सुख-सुविधा हमें मिल रही है यह सब इस सरकार को चलाने के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए यह सारी सुविधायें मिल रही हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रतिपक्ष के साथियों को, जो योजनायें गरीबों के लिए बनाई जाती हैं उनको न्याय मिले, सम्मान मिले, भाईचारा बढ़े । आज बहन मायावती के बजट का एक जुट होकर हम सबको समर्थन करना चाहिए इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जयभीम, जय भारत ।

* श्री उदय राज–

मान्यवर, सरकार की मुखिया के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो बजट रखा गया है इसको पढ़ने के बाद यह लगता है कि प्रदेश की गरीब जनता, प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले इस प्रदेश के 90 फीसदी वही लोग हैं जो किसान के पेशे से जुड़े लोग हैं, उनकी समस्याओं की तरफ इस सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया है । मान्यवर, सबसे पहले जो माननीय मुख्य मंत्री जी की जो प्राथमिकतायें हैं मैं उनकी तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है कि अन्याय मुक्त समाज की स्थापना की जायेगी । मैं एक चीज बताना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो इसका उत्तर पहले दें । आज से 20-25 वर्ष पूर्व गांव में जिन लोगों को पट्टे दिए गए थे आज वह पट्टेधारी भूमिधारी भूमि के मालिक हो चुके हैं । भूमिधारी खेती का नियम है कि धारा–41 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी के यहां वाद दायर होगा उसमें उक्त जमीन की पैमाइश हो सकती है । मैं कहना चाहता हूं जो भूमिधारी हैं जमीन के मालिक हो चुके हैं केवल कुछ लोगों को अपमानित करने के लिए उनको परेशान करने के लिए, पट्टे के आधार पर नाप कराने का काम किया जाता है, जब सामान्य नागरिक के लिए धारा–41 के अन्तर्गत न्यायालय की शरण लेनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पड़ती है जो पट्टेधारी हैं उनके लिए भी वही नियम होना चाहिए। समाज में अन्याय मुक्त समाज की स्थापना नहीं की जा रही है बल्कि अन्यायमुक्त किया जा रहा है।

दूसरी प्राथमिकता है अपराधमुक्त उत्तर प्रदेश के वातावरण को करना है जहां तक अपराध का सवाल है आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देखें दो-तीन महीने का कार्यकाल हुआ है मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में अन्दर जहां प्रदेश के तमाम अपराधी संरक्षण पा रहे हैं लूट राहजनी बलात्कार करने का काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं। आज सरकार में बैठे हुए लोगों से कि कितने अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। अलीगंज में इंजीनियर परिवार के चार लोगों की हत्या होती है, दूसरे दिन पुलिस का बयान आता है यह बावरिया गिरोह के लोगों द्वारा की गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष इन्द्रदेव सिंह की हत्या, जनसत्ता के पत्रकार की हत्या होती है। इन दोनों हत्याओं में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। केवल यह कह देने से कि फलां गिरोह का काम है, बावरिया गिरोह या कच्छा बनियान गिरोह का काम है इससे काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, जहां तक विकास का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी ने शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि 1997 से पहले या 1997 तक जितने अम्बेडकर गांव हैं उनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम है उसे 31 तारीख तक कर दिया जायेगा। लेकिन तीन महीने में किसी भी गांव को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम नहीं किया गया है। जहां तक विकास की बात है सरकार को विकास के बारे में कोई सोच नहीं है। अगर सोच होती तो अम्बेडकर पार्क में दो सौ ढाई सौ करोड़ का काम नहीं करते, दीन दयाल उपाध्याय पार्क में इतना पैसा न लगाते। इनकी तो सोच केवल पार्कों के निर्माण की है। इस प्रदेश के विकास से इनका कोई लेना-देना है। मान्यवर, जहां तक पुलिस का सवाल है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में कहीं भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं उनमें वायरलेस सेट दिया जायेगा। एक थाने में एक दरोगा और दस-पांच सिपाही रक्षा करने का काम करते हैं तो वह कैसे रक्षा कर पायेंगे ? उनकी संख्या को बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। स्थिति बड़ी खराब है। लखनऊ और कानपुर के बीच एक सौरांवा थाना है वहां पर थाना एक किराये की बिल्डिंग पर चल रहा है..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। जहां तक शिक्षा का सवाल है आप प्राइमरी स्कूल की स्थिति को देखने का काम करें। कक्षा एक से कक्षा सात तक, हमारे साथी बैठे हुए हैं वे भी गांव से जीतकर आते हैं, विद्यार्थी वहां पढ़ने आता है लेकिन अध्यापक न होने की वजह से स्कूल बन्द पड़े हैं। विद्यार्थी घूमकर चले आते हैं। समाज कल्याण के बारे में हमारे एक साथी ने कहा कि तमाम योजनाएं हैं जो चलायी जाती हैं। मैं यह मानता हूं कि तमाम योजनाएं इनके द्वारा चलायी जाती हैं। लेकिन आप जरा इन योजनाओं के बारे में जानकारी करने का काम करें इन्होंने केवल लूटी जाने वाली लूटने का काम किया है। गरीब तबके के जो लोग हैं उनसे इनका कोई लेना-देना नहीं है।

अगर हम अनुसूचित जाति की बात भी करें और मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जो छात्र कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइमरी जूनियर विद्यालयों में पढ़ने का काम करते हैं 2001-2002 में अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है क्या उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने का काम इन्होंने कर दिया है ? जहां तक समाज कल्याण विभाग का प्रश्न है शादी का अनुदान अनुसूचित जाति की लड़कियों को देने का काम किया जाता है । मान्यवर, हर जनपद में 2000, 4000 फार्म जमा होते हैं और जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है वह केवल मुश्किल से 50 लोगों को देने का काम किया जाता है । मान्यवर, जो सारी योजनायें चल रही हैं, वृद्धावस्था पेंशन, वह गुजरे पांच वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन कोई भी नयी नहीं स्वीकृत हुई है । मान्यवर, आज चाहे ऊर्जा विभाग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो सभी लोग प्रभावित हैं । नहरों में पानी नहीं है जो पिछले दिनों माननीय नेता सदन द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट रखा गया है । इस बजट में जनता के साथ केवल धोखा देने का काम किया गया है और इसके सिवाय कुछ नहीं किया गया है । इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा मुझे हैरत हो गयी । इस बजट भाषण में एक शब्द का उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए । नेता सदन विद्वान हैं लेकिन कानून से अनभिज्ञ हैं दलित शब्द प्रयोग किया गया है । मान्यवर, जैसे पिछड़ी जातियां हैं, सामान्य जातियां हैं, उनमें ठाकुर, ब्राह्मण हैं, पाठक, तिवारी हैं यह कहकर उनका संबोधन किया जाता है इसी तरह से यादव, कुर्मी, कहा जाता है तो यह दलित शब्द कहां से आ गया ? जबकि उसमें खटिक, धोबी, डोम आदि हैं । पहले हरिजन शब्द कहकर पुकारा जाता था वह हरिजन शब्द गाली थी । माननीय कल्याण सिंह जी ने हरिजन शब्द पर पाबन्दी लगा दी । यह माननीय नेता सदन अनुसूचित जाति की नेता बनती हैं । यह दलित शब्द क्या है ? मैं पूछना चाहता हूं । मैं मीडिया के भाईयों से पूछना चाहता हूं जो अखबारों में वे छाप देते हैं, कि कहां दलित शब्द संविधान में प्रयोग किया गया है ? इस वर्ग में भी गरिमा कायम होनी चाहिए । मान्यवर, पढ़ा-लिखा वकील अगर अधिक गलती करता है तो उसको अधिक सजा मिलनी चाहिए । नेता सदन पर मुकदमा कायम करना चाहिए ।

मान्यवर, हमारे जनपद में मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी विकास की योजना नहीं है । इन्होंने नेता सदन ने जिस तरह से अपने जिले में अपने नाम से महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है उसी तरह से हम लोग भी विधायक हैं हम लोगों के विधान सभा क्षेत्र में एक-एक इण्टर कालेज बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मान्यवर, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के लिए विधायक हो सबके क्षेत्र में इण्टर कालेज की व्यवस्था की जाय । हमारे विधान सभा क्षेत्र में गामी नदी पर पुल बनवाया जाय ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा हो सके । माननीय मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हमारे विधान सभा देवकली विकास खण्ड में एक पुल बना था वह पुल बनकर तैयार हो गया लेकिन इनका शासन और सहयोगी दलों के शासन के चलते पुल के दोनों तरफ की सड़क बनवाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इस बजट में कहीं उल्लेख है । उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाय । आप जानते हैं कि अम्बेडकर पार्क बनने से करोड़ों-करोड़ों अनुसूचित का भला नहीं होने वाला है जैसे अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बन गया तो घुरूऊ, कोतवारा के यह काम नहीं आयेगा । उनके लिए आवास चाहिए रोजी-रोटी चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(शोर)

[× × ×] मेरी बात को सुनो । लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनने से करोड़ों अनुसूचित जाति के लोगों का फायदा नहीं होने वाला है । गांव में इन्दिरा आवास की व्यवस्था की जाय, लिखने-पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए । विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए । रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए । जानते हैं अम्बेडकर पार्क बनने से किसका फायदा होने वाला है आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और बड़े लोग पार्क में जा करके [× × ×] मनायेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर की बदनामी होगी । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जाति का विकास करना है तो अनुसूचित जाति की सभी जातियों का विकास होना चाहिए न कि एक जाति विशेष का विकास होना चाहिए । इस बजट में विकास नाम की कोई चीज नहीं है । इस बजट में अम्बेडकर के नाम पर खाने का काम किया जा रहा है और बाबा भीमराव अम्बेडकर को बदनाम किया जा रहा है और दलित शब्द का जो उपयोग किया गया है उसमें जानते हैं इस बजट में लिखा हुआ है प्रदेश में अन्याययुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त आप जानते हैं । [× × ×] 4 जुलाई, 2002 को मेरे घर पर हमला हुआ । मेरे ही घर पर साढ़े आठ बजे कुछ लोग पुनः चुनाव कराने की धमकी देकर गये । शासन से शिकायत करने पर भी प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है उन अभियुक्तों के खिलाफ । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

* श्री सलिल विश्नोई–

नयी उमंगों और बुलन्द हौसलों के साथ पहली बार आया हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अपने सभी वरिष्ठ साथियों का मार्गदर्शन और सहयोग चाहता हूं । वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पत्रक पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । पिछले कई वर्षों से लगातार हमारी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ती चली जा रही है, यह इस प्रदेश के लिए शुभ लक्षण हैं । विश्व के सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कमोबेश हमारे प्रदेश जैसी ही होती है । सभी विकासशील देशों में विकास के कार्यों में खर्च अधिक होता है और संसाधनों को जुटाने वाली आय कम होती है । सभी बजटों में घाटे का बजट होता है लेकिन उसके बावजूद भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरकार ने घाटे का बजट होने के बाद भी कोई नया कर न लगाकर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की है । बजट में मध्यकालिक अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया है । इसमें राजस्व की प्राप्तियों के संसाधनों को बढ़ाकर खर्चों को कम करके बजट घाटा कम करने का प्रयास किया गया है । आर्थिक अनुशासन को लागू करके प्रदेश शासन के द्वारा 5 वर्ष में 7 सौ करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्राप्त होगा । मान्यवर, इन परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश और देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था का पैमाना वहां का उद्योग और व्यापार होता है । प्रदेश में पुराने लगे हुए उद्योग निरन्तर क्षरण की ओर जा रहे हैं । आज पुनः आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में पुनः उद्योगों को जीवित किया जाय जो सरकारी या निजी क्षेत्र में उद्योग लगे हुए हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाये । लेकिन आज जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में औद्योगिक और उदारीकरण की नीति आई है उसके बाद से भारतीय उद्योगों में बीमारी सी लग गयी है और निरन्तर उद्योग कम होते जा रहे हैं । यू०पी०एस०आई०डी०सी० की योजनाओं में दिये जाने वाले प्लाटों को फ्री-होल्ड कर दिया जाये जिससे उनको चलाने वाले उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । फ्री-होल्ड प्लाटों को लीज पर दिये जाने

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का कोई औचित्य नहीं है इसका व्यवस्था शासन की ओर से की जाये । प्रदेश में बिजली की जो स्थिति है इसके कारण भी उद्योगों पर मार पड़ रही है । मेरा विशेष निवेदन है कि बिजली की दरें ज्यादा होती हैं । इसके बावजूद भी उद्योगों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दिलाने की व्यवस्था करें जिससे कि उनका उत्पादन अनवरत चलता रहे ।

व्यापार-कर उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है । 60 प्रतिशत राजस्व व्यापार-कर से मिलता है । मान्यवर, हम व्यापार कर को और सरल बना दें तो यह राजस्व और बढ़ जायेगा । हम व्यापार-कर अधिकारियों के विवेक के आधार पर कर का निर्धारण करते हैं मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर उत्तर प्रदेश में व्यापार-कर में कम्पाउंडिंग स्कीम लागू कर दी जाये तो व्यापार-कर दुगना मिलेगा । क्योंकि आज स्थिति यह है कि व्यापार कर अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर कोई भी सरकार अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है । जितना व्यापार-कर सरकार को मिलता है, उससे ज्यादा कर व्यापार-कर अधिकारियों की जेबों में जाता है, इसलिये इसकी कम्पाउंडिंग कर दी जानी चाहिए और एक स्लैब बना दिया जाय, जैसे 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार इससे व्यापारी चाहे जितना व्यापार करे, उसे पता हो कि हमें इतना टैक्स जमा करना है, इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा और भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा और व्यापार-कर अधिकारियों की जेब में जो पैसा जाता है, वह शासन के खजाने में जमा होगा ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बेढ़ नाम की योजना लागू होने जा रही है, "वैल्यू आडिट टैक्स" इसका नाम सुनते ही छोटे-छोटे व्यापारियों में झुरझुरी फैल जाती है । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अगर यह वैल्यू आडिट टैक्स लागू किया जाना हो तो छोटे-छोटे व्यापारियों को इसके बारे में शिक्षित किया जाय, उनको जानकारी दी जाय और उन्हें बताया जाय कि इससे उनके उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मान्यवर, इसके अलावा नगर विकास योजनाओं में समन्वय की आवश्यकता है । सड़कें तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनके बगल में नालियां नहीं बनाई जाती हैं । जिससे जल जमाव की स्थिति में जो सड़क 5-6 साल चलनी चाहिये, वह एक साल में ही टूट जाती है, इससे धन का अपव्यय होता है । इसलिये शासन को निर्देशित किया जाय कि इस तरह की योजना जब बने तो उसमें नालियों का निर्माण भी किया जाय, जिससे सड़कों की जिन्दगी दूनी हो सके । मान्यवर, हमारी सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति को उसके अधिकारों को दिलाना है । उनके आर्थिक स्तर को सुधारने का लक्ष्य हमारी सरकार का है । पं० दीनदयाल उपाध्याय की भी यही परिकल्पना थी कि समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी स्थिति सुधारनी चाहिये और उसका सामाजिक स्तर सुधारना चाहिये, इस बजट के माध्यम से उनकी इस सोच को साकार करने का प्रयास किया गया है । यह एक आदर्श बजट है और मैं इस बजट के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ।

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

माननीय अध्यक्षता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । यह जो बजट पेश किया गया है, मैं निश्चित तौर पर इसे फ्लाप का बजट घोषित करता हूं । यह बजट बड़े-बड़े अधिकारियों के माध्यम से, उनकी रीति-नीति के अनुसार, पूर्व परम्पराओं के अनुसार बनाकर पेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है । इस बजट में जहां उत्थान के बड़े-बड़े वायदे किये गये हैं, वहीं आज भी देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के अन्दर चाहे वह गांव हो, देहात हो, नगर के क्षेत्र हो, महानगर हो, बच्चों के अनुपात में वहां अध्यापक नहीं है । मान्यवर, मैं गाजियाबाद से आता हूं और गाजियाबाद को बने 27 वर्ष हो गये । लेकिन आज तक वहां विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुयी है । इसी प्रकार गाजियाबाद जिले में जिला अस्पताल के लिये इस बजट में एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । तहसील में एक अस्पताल चल रहा था, वही आज भी चल रहा है, जबकि वहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है । मैं अनुरोध करूंगा कि जिला अस्पताल के नाम पर वहां पैसे का आवंटन किया जाय । पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री ने वहां जगह-जगह घोषणा की थी कि इतने करोड़ रुपये आवंटित कर दिये गये हैं, लेकिन एक भी पैसा, एक भी कौड़ी नहीं दी गई है ।

मान्यवर, दिल्ली और यू०पी० को जोड़ने का एक मात्र रास्ता मोहन नगर बाई पास है । यदि इस सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है अथवा कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो थोड़ी ही देर में वहां काफी गाड़ियां इकट्ठा हो जाती है । इसलिये एक और सड़क बनाने की बात थी उसके ऊपर इस बजट में किसी पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । मेरा अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, वहां पर लोक निर्माण मंत्री को निर्देश देने का कष्ट करें कि इसमें पैसे का प्राविधान किया जाय । मान्यवर, दूसरी बड़ी जरूरत है बिजली, इसके लिए मैं नई सरकार के किसी मंत्री को दोष नहीं देना चाहता हूं न किसी अन्य को दोष देता हूं, मैं दोष देता हूं इन 12 सालों में, 1989 के बाद जो विभिन्न दलों की सरकारें आई हैं इन्होंने कहीं भी बिजली उत्पादन करने के लिए कोई भी कारखाना लगाने की, कोई प्लान्ट लगाने की व्यवस्था नहीं की है । मान्यवर, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बड़े जोर-शोर से बिजली के बारे में चर्चा की जाती है लेकिन जब तक बिजली की एक भी यूनिट उत्पादन नहीं होगा तो न तो देहातों को बिजली मिल पायेगी और न शहरों को मिल पायेगी । न ही कल कारखानों की स्थापना हो पायेगी, इससे गांव और शहर दोनों में बेरोजगारी बढ़ेगी । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया कोई भी सूत्र हो चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो, अन्य संस्था हो, चाहे भारत सरकार हो, जब राजस्थान में चार साल में तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा की जाती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की जा सकती है, तो मैं चाहता हूं कि विशेष बजट के प्राविधान में बिजली उत्पादन में कहीं न कहीं व्यवस्था की जाय ताकि बिजली उत्पादन के कारखाने लगाये जा सके और लोगों को बिजली मुहैया कराई जा सके ।

मान्यवर, नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से गाजियाबाद में कहीं कोई सीवर या पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं की गई है केवल लखनऊ में की गई है । गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और उसकी आबादी तीन लाख से बढ़कर आज 12 लाख हो गई है, इसलिए वहां पर सीवर और पेयजल की व्यवस्था की जाय ताकि वहां जो सिर पर मैला ढोने की जो व्यवस्था है वह खत्म हो सके । दलितों के सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था किस प्रकार खत्म की जायेगी इसकी कोई व्यवस्था बजट में नहीं है । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि दिल्ली और नोएडा के बीच में एक जगह है खोड़ा, वहां की आबादी करीब तीन लाख है, वहां के लोग नरक का जीवन जी रहे हैं वहां हर वर्ग के लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ही खराब है । मैं चाहता हूं कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाय । मान्यवर, अखबारों के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री की घोषणा होती है कि जो बस्तियां अवैध बसी हैं उन्हें गिरा दिया जायगा तो मैं पूछता हूं कि उन बस्तियों में कौन लोग रहते हैं, करोड़पति या गरीब लोग रहते हैं । अगर वहां आवास करते हैं तो गरीब लोग करते हैं, दलित लोग करते हैं, उनके लिए कोई विशेष योजना इस बजट के अन्दर नहीं रखी गई है । मान्यवर, मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आवास विकास और विकास प्राधिकरण है, क्या कारण जिससे वह मलिन बस्तियों का रूप धारण करती

हैं, एक मकान से दस मकान और सौ मकान से हजार मकान बनते हैं। तब उन पर बुल्डोजर चलाने का काम किया जाता है। बजाय उत्पीड़न करने के नगर विकास विभाग से मलिन बस्तियों के सुधार करने की योजना बनायी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सामान्य बजट पर बहस करने के लिए मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नेता प्रतिपक्ष ने सारी बातें कह दी हैं मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं पूर्वांचल के पिछड़े इलाके आजमगढ़ से आता हूं। हमारा विधान सभा क्षेत्र गोपालगंज सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इस बजट में अम्बेडकर गांवों की बातें बहुत की गयी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अम्बेडकर गांवों की रचना की थी और उसके लिए अलग से पैसा देने का काम किया था। विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि को तोड़कर अम्बेडकर गांवों के विकास की बात नहीं की थी। इस बजट में पूर्वांचल विकास निधि का कहीं अता-पता नहीं है। विधायकों से कहा गया है कि अम्बेडकर गांवों को विधायक निधि से पैसा दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने अम्बेडकर गांवों को पैसा दे करके अम्बेडकर गांव घोषित करने का काम किया था लेकिन यह सरकार केवल एक ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 10 हजार गांवों को अम्बेडकर गांवों से जोड़ने का काम करेंगे। पैसा नहीं है। विधायकों से कहा जा रहा है कि विधायक निधि से पैसा दिया जाये, बुन्देलखण्ड निधि से, पूर्वांचल निधि से पैसा अम्बेडकर गांवों को दिया जाये। मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि बनाया था लेकिन इस बजट में इसकी कोई योजना नहीं की गयी है। विधायकों से कहा गया है कि अम्बेडकर गांवों की सड़क व बिजली के लिए एक लाख रुपये का प्रस्ताव दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की खोखली राजनीति करने से क्या फायदा ? सामने बैठे हुये लोग अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर वादियों के वोटों को लूटने का काम करते हैं। मान्यवर, अगर आप आजमगढ़ की सड़कों को देखें तो बहुत दयनीय स्थिति में हैं। हमारा क्षेत्र बिहार की सीमा से सटा हुआ है, हमारे यहां की सड़कें इतनी टूटी-फूटी स्थिति में हैं कि उन पर चलना दूभर है। अगर आप तुलना करेंगे तो बिहार की सड़कें उससे ज्यादा अच्छी होंगी। रास्ते बहुत खराब हैं। गोरखपुर–आजमगढ़ पर आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, चाहे वह आजमगढ़–फैजाबाद मार्ग हो, स्थिति बहुत खराब है। कन्धरापुर बाजार में अगर 10 मिनट के लिए बारिश हो जाती है तो जल जमाव हो जाता है। इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि उसमें छोटी नाव भी चलायी जा सकती है। लेकिन उसको बनाने का इस बजट में प्राविधान नहीं किया गया। कप्तानगंज बाजार बिलरियागंज बाजार के मार्ग है इनकी भी दशा बहुत खराब है, इसको बनवाने के लिए 3-4 साल से एक भी पैसा नहीं दिया गया। मैंने हर साल सवाल किया है। हम अगर इसके बारे में सवाल करते हैं तो लोक नि० वि० से जवाब उल्टा-पुल्टा आता है, चाहे पिछली सरकार रही हो या मौजूदा सरकार हो, जो जवाब आता था उसका कोई मतलब नहीं होता था। हमारे सवाल का इल्म नहीं लिया जाता था। एक मिसाल देना चाहता हूं। मैंने एक सवाल लगाया था कि 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में गांवों के विद्युतीकरण का कार्य क्या पूरा हो गया ? जवाब आया कि जी हां, 1998-99, 1999-2000 के काम को पूरा काम करा लिया गया लेकिन यह [× × ×] जवाब दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप परीक्षण करवा लें तो अधिकतर गांव का विद्युतीकरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे 2-4 मिनट का और समय चाहता हूं। मैं अपनी विधान सभा के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे महाराजगंज क्षेत्र में एक ट्रान्सफार्मर 3 के०वी०ए० का ठीक नहीं रहता है छोटा पड़ता है। बिजली भी नहीं आती है और आती है तो 5-6 दिन बाद आती है। मान्यवर, महाराजगंज क्षेत्र में एक विद्युत केन्द्र है। 3 के०वी०ए० का

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ट्रांसफार्मर लगवाने की बात कही गयी थी लेकिन उसको अभी तक नहीं लगाया गया है । हमारा इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है । आज वहां पर सूखे की मार है । आज अकाल पड़ा हुआ है । सितम्बर-अक्टूबर महीने में हमारे यहां जो छोटी और बड़ी सरयू नदी है दोनों में बाढ़ आ जाती है । आने वाले दिनों में इससे निपटने का प्राविधान भी नहीं है । छोटी और बड़ी सरयू नदी के बीच जो 18 किलो मीटर का बांध है उसको पक्का कराने से विधान सभा क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा । इसका फायदा यह होगा कि गोरखपुर और फैजाबाद के मार्ग में 25 किमी० की कमी हो जायेगी । इसको भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए । इसी प्रकार से बिजली के तारों को बदला जाना चाहिए । खम्भों को लगाया जाना चाहिए तथा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । बिजली 4-5 दिन तक नहीं आती है । इस सरकार द्वारा केवल अम्बेडकर गांव का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । मान्यवर, हमारे जिले आजमगढ़ में एक भी उद्योग नहीं है इसलिए हमारे जिले को उद्योग शून्य जिला घोषित किया जाना चाहिए । हमारे जिले में केवल एक शुगर फैक्ट्री है वह है किसान शुगर फैक्टरी । उस शुगर फैक्ट्री पर किसानों का $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया बकाया है ।

मान्यवर, इसको इस सूखे से निपटने के लिए दिलवाने की व्यवस्था नहीं की गयी है । व्यवस्था की जाय । मान्यवर, जो हमारी चीनी मिल है उसकी क्षमता को बढ़ाया जाय । मान्यवर, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि एक ही केन्द्र हैं जिसमें हमारे किसान अपना गन्ना पहुंचाने का काम करते हैं । हमने सुना है कि इसको भी बन्द कर दिए जाने की योजना चल रही है । ऐसा नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री एक महिला हैं लेकिन यह भी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी ब्लाक में एक भी लड़कियों के लिए कोई स्कूल, इण्टर कालेज या डिग्री कालेज नहीं हैं । इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि महराजगंज ब्लाक बिलरिया ब्लाक में लड़कियों के लिए इण्टर कालेज और डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए । इस बजट से इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है जो होना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री उमाशंकर कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस 2002-2003 के बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, 2002-2003 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें हर एक पक्ष का ध्यान रखा गया है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये और इसे सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए । आज हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग बार-बार यह कहते हैं कि यह बजट दिशाहीन है । मान्यवर, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यह बजट जो इस सदन में रखा गया है यह सचमुच में प्रदेश के विकास का बजट है । इस बजट में हर कार्यक्रम को, हर प्रकार के विकास को रखा गया है । हर तरह का प्राविधान इसमें रखा गया है चाहे किसी को भी ले लीजिये । चाहे किसान का मामला हो, सब चाहे बिजली का मामला हो हर चीज का ध्यान इस बजट में रखा गया है । हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि अम्बेडकर ग्राम विकास, मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि यह जो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना रखी गयी है उसका मतलब यह नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति के लोगों का विकास होना है । प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 27 राजस्व गांवों का चयन किया गया है । इन गांवों में हर समाज के लोग रहते हैं । स्पष्ट है कि यदि ऐसे गांवों में सड़क बनेगी तो हर समाज के लोग उस सड़क का उपयोग करेंगे केवल अनुसूचित जाति के लोग ही उसका उपयोग नहीं करेंगे इसलिये बार-बार अम्बेडकर ग्राम विकास का जिक्र करना सर्वथा गलत है । मान्यवर, इसी तरह से जो अम्बेडकर गांवों में आवास सुविधा देने की बात है तो सामान्य वर्ग के 40 प्रतिशत लोगों को और

अनुसूचित जाति के 60 प्रतिशत लोगों को आवास सुविधा प्रदान की जायेगी । इस तरह स्पष्ट कि आवास देने में किसी एक जाति विशेष को ध्यान में नहीं रखा गया है । समाज के सभी वर्गों के लिए यह योजना है । यह जो अम्बेडकर ग्राम विकास की योजना है यह समाज के हर वर्ग की तरक्की के लिये रखी गयी है ।

श्रीमन्, इसी तरह से पंचायतीराज की जो व्यवस्था है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है जिससे गांव मजबूत होंगे । यदि गांव मजबूत होंगे तो प्रदेश भी मजबूत होगा । 11वें वित्त आयेग ने 2002-2003 में 233.43 करोड़ रुपये दिये हैं इसी तरह से राज्य वित्त आयोग ने 293 करोड़ रुपये का प्राविधान पंचायतों के लिए किया है इससे स्पष्ट होता है कि पंचायतें मजबूत होंगीं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के सुधार के लिये व्यवस्था की जा रही है । व्यक्तिगत शौचालय और स्कूल शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है । हमारे नेता ने जो बजट रखा है वह प्रदेश के विकास के लिये रखा है । मान्यवर, ग्राम्य विकास की तरफ ध्यान दिया गया है । जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनके जीवन यापन के लिये स्वतः रोजगार देने की योजना रखी गयी है इससे स्पष्ट होता है कि यह जनहित में लोकप्रिय बजट है इस बजट को ध्वनिमत से पारित किया जाय ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी है और उसकी दो-दो सहायक नदियां हैं जिससे मेरे यहां बाढ़ का प्रकोप रहता है । हमारे यहां एक सड़क नोनहरा अलावटपुर है जिसमें मगई नदी पर पुल न होने के कारण 20 कि०मीटर की दूरी अनावश्यक तय करनी पड़ती है इसलिये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मगई नदी पर रसूलपुर हबीबुल्ला के पास पुल बनना चाहिए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का विकास हो सके । इन शब्दों के साथ मैं हमारी नेता ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि इसको पूर्ण ध्वनिमत से पारित करें ताकि इस देश और प्रदेश का विकास हो सके ।

* श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे 2002-2003 के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कोई बजट प्रदेश की उन्नति के लिये होता है लेकिन बजट को पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ है कि जैसे यह किसी नेता का छपा हुआ भाषण है जो पब्लिक प्लेस पर दिया जा रहा है । बजट में सरकार की जो प्राथमिकतायें दी गयी हैं उसमें कहा गया है अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण पैदा करने की बात कही गयी है, मुझे लगता है कि इसको लिखने में कहीं गलती हो गयी है । इस बजट में होना चाहिये अपराधयुक्त, अन्याययुक्त और भययुक्त वातावरण बनाया जायेगा ।

मान्यवर, सिंचाई से सम्बन्धित ऊर्जा से सम्बन्धित, शिक्षा से सम्बन्धित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई भी ऐसी बात इस बजट में नहीं कही गई है । आजकल पूरे प्रदेश में सूखे का माहौल है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है कहीं भी इन चीजों का जिक्र बजट के अन्दर नहीं किया गया है । ऊर्जा विभाग बजट भाषण के पेज न० 50 पर देखे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है आपने देखा कि बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरी सरकार और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कितना चिन्तित हूं । जिसके लिए मैंने विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करने में भी कोई संकोच नहीं किया है । इसका रिजल्ट क्या मिला है । कहां बिजली आ रही है । कौन से जनपद में बिजली आ रही है । हां इतना जरूर हुआ कि मुख्य मंत्री जी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई । हमारे ऊर्जा मंत्री जी हाथरस जनपद के रहने वाले हैं वहां 24 घंटे लाइट आ रही है । बाकी जगहों में अंधेरा है । यह जो बात कही गई कि 18 घंटे हम शहरों में बिजली दे रहे हैं और 10 घंटे गांवों में बिजली दे रहे हैं एकदम गलत है । गांवों में ज्यादा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से ज्यादा 5-6 घंटे लाइट आती है। मैं एटा जनपद से आता हूं एटा के अन्दर दो महीने हो गए कभी भी 10 घंटे लाइट नहीं आई। यदि आपको वास्तव में प्रदेश का विकास करना है तो सबसे पहले किसान को मजबूत करना होगा हमारी 80 प्रतिशत जनता देहात क्षेत्र में रहती है। जब तक हमारे देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा प्रदेश और देश मजबूत नहीं होगा। लाइट की स्थिति यह हो रही है। हमारे यहां बिजलीघर 132 के०वी०ए० जो बना है उस पर 8 एम०वी०ए० व 5 एम०वी०ए० दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वह बिजली पूर्ति नहीं कर पाते आए दिन फुंक जाते हैं मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि यह दोनों ट्रांसफार्मर 10-10 एम०वी०ए० के लगा दिया जाएं जिससे एटा की बिजली व्यवस्था सुचारु रूप से चलने लगे।

सिंचाई की बात करते हैं। आज सारा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है और सिंचाई के नाम पर कहीं पर पानी नहरों में नहीं आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जनपदों में कई वर्षों से एक महुआ राजवहा बना है 74 कि०मी० जिसकी लम्बाई है लेकिन 15 साल इसको बने हुए हो गए हैं करोड़ों रुपए खर्च हो गए केवल 30 कि०मी० तक पानी आ रहा है। संसदीय कार्यमंत्री जी बैठें हुए हैं हजारों एकड़ जमीन का नुकसान हो रहा है वहां के किसान सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं अगर 74 कि०मी० तक पानी आ जाए तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। भ्रष्टाचार किस कदर पनपा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी याद होगा पिछले सत्र में नियम 56 में एक सूचना दी थी मुख्य मंत्री जी को लिखित में दिया था कि भ्रष्टाचार किस कदर इस प्रदेश में फैला हुआ है। एक फर्जी संस्था ए०आई०सी० एम०एच०ओ० यह संस्था फर्जी तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर कई जिलों में एटा, मैनपुरी, हाथरस में अड्डा फैला है, यह लड़कों को नौकरी देने के नाम पर फर्जी तरीके से 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लेता है नौकरी के नाम पर लड़कों को ठग रहा हैं इसकी जानकारी मुझे आज तक मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं मिली। मैं लिखित दे चुका हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी जरूर करा लें। इसी के साथ मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। आज गांव गांव में प्राइमरी स्कूल हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं बन रही है जिसके कारण इनमें अध्ययन किया जा सके। उसी गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल है और वहीं एक प्राइवेट स्कूल है। इस प्राइवेट स्कूल में फीस 50-100 रुपये ली जाती है और जबकि सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5 रुपये भी फीस नहीं पड़ती है इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में न भेजकर इन प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं। आखिर क्या कारण है ? इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण जानने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की, इस पर कभी विचार नहीं किया। अगर किया होता तो आज हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है वह न गिरा होता। मैं मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की बात करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, सड़कों की स्थिति आज इतनी भयानक है कि आप देखे तो पता नहीं कर सकते हैं कभी यहां पर गड्ढा था या सड़क थी। इतनी खराब स्थिति हो गई है सड़कों की। लोक निर्माण मंत्री जी अभी नहीं हैं। मैंने तो अपेक्षा की थी कि जिस तरह से वे हैं। शायद प्रदेश की सड़कों को भी उसी तरह से बना देंगे। लेकिन वह इसमें खरी नहीं उतरीं। मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं। कि बजट के विरोध में जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है, उस पर मैं बल देता हूं।

श्री दिनेश सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट बी०जे०पी० और ब०स०पा० की मिली जुली सरकार की तरफ से बहन मायावती ने रखा है, उन्होंने यदि सभी बिन्दुओं पर विचार कर लिया होता, सभी विषयों का यदि उन्होंने अध्ययन कर लिया होता तो आज की हालत में देश की 55 साल की आजादी के बाद तथा पहले की हालत में बहुत फर्क आया है। यह जो बजट है, इसमें यह दिखाई पड़ता है कि कुछ प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके इस बजट की खानापूर्ति की है। इस नाते नहीं, कि मैं विरोधी दल के सदस्य के रूप में इस सदन में बैठ रहा हूं, इस नाते इस बजट का विरोध कर रहा हूं बल्कि इस नाते विरोध कर रहा हूं कि बहुत से ज्वलन्त और महत्वपूर्ण चीजों पर, इस बजट को प्रस्तुत करने के पहले माननीय नेता सदन ने इसकी संवेदनशीलता का एहसास नहीं किया हैं। जब इन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया तो प्रदेश के करोड़ों नागरिक जहां कि 33 प्रतिशत नौजवान बहिन और भाई बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी दृष्टि समाचार पत्र में रही होगी कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कुछ रोजगार की योजनाएं कुछ राहत के कार्य हमारे लिये होंगे। लेकिन मान्यवर, जब उन्होंने समाचार पत्र देखा, बजट को पढ़ा तो उनको निराशा ही हाथ लगी। इस बजट में पढ़े लिखे शिक्षित इंजीनियर के लिये कुछ नहीं है, डाक्टर के लिये कुछ नहीं है पढ़े लिखे शिक्षित के हुए, दस्तकारों के लिए कुछ नहीं है, डिप्लोमा भाइयों के लिए कुछ नहीं है, तथा एम०ए०, बी०ए०, इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल पास नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं उनके मंत्री बैठे हैं इस सदन में वह शायद यह नहीं सोच रहे है कि नौजवान इस देश में 33 फीसदी बेरोजगार है इतिहास इन्होंने पढ़ा होगा बाबा साहब का दर्शन पढ़ा होगा जिस समय नौजवान अंगड़ाई लेता है उसकी अंगड़ाई से बड़ी-बड़ी सल्तनतें ढह जाती हैं, बड़ी-बड़ी हुकूमतें ढह जाती हैं जनरल डायर जैसे लोग की हूकूमत नहीं रही वह देश को छोड़कर चले गए, इन 33 फीसदी नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है आपने बजट पढ़ा होगा आपकी सरकार के बजट सभी भाइयों ने पढ़ा होगा इसको पढ़कर सद्भावना नहीं जगी होगी, आक्रोश जगा होगा आपकी नेता पहले इसको पढ़ लेती इसके बारे में विचार कर लेतीं तो हमारे साथी चाहे अम्बेडकर उद्यान का विवाद हो, चाहे और बाकी योजनाओं का विवाद उठा हो, यह विवाद न उठता। मुझे खुशी है आपने बजट पर बोलने का मौका दिया हम विरोधी दल में बैठे हैं विरोधी दल का होने के नाते हम विरोध नहीं करना चाहते हैं लेकिन जब सत्तापक्ष में बैठे लोगों का भाषण सुना तो मालूम हुआ बिजली न रहने से विपक्ष से ज्यादा इन्होंने रोना रोया सिंचाई न होने का मुझसे ज्यादा इन्होंने रोना रोया, सड़कों के बारे में बातें कही गई, जो हमने नहीं कहीं। विपक्ष से ज्यादा इन्होंने रोना रोया है जिस जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है, नैतिकता के आधार पर चुनकर भेजा है लेकिन नैतिकता नहीं है 55 साल में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है यदि नैतिकता को बनाये रखने का प्रयत्न होता तो निश्चित रूप से सुधार होता लेकिन सरकारों में ही नहीं मौजूदा सरकार में भी गिरावट आई है इसको अविलम्ब सरकार में बैठे लोग और अन्य प्रतिनिधियों को दूर करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अगर बेरोजगार नौजवानों के लिए इन्होंने कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया तो वह नौजवान ट्यूशन करके कोचिंग करके पैसा कमाकर चाय पीने के लिए अपनी गृहस्थी के लिए कुछ पैसा कमा लेता था लेकिन इन्होंने कोचिंग अध्यादेश को जो आज पास करा देंगे कोचिंग चलाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है इस तरह से प्रतिबन्ध लगायेंगे तो बेरोजगार नौजवान समाज के सामने खड़ा हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दिनेश सिंह–

कैसे वह समाज में खड़ा होगा, जिनके हाथों में मशीनें होनी चाहिए उन नौजवानों के हाथ में रायफल होती जिनके हाथों से कारखाने में काम होना चाहिए उनके हाथों में बम और रायफलें होगी नौजवान को सरकार ने कुछ नहीं दिया है । मैं कहना चाहता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब यह नौजवान आपकी सल्तनत को ढहायेगा । भयमुक्त समाज की बात करती हैं जनता के भयमुक्त ईश्वर और हर तरह ही रहता है । अरे जब बहनजी सुरक्षित नहीं हैं बहनजी ने अपनी रक्षा के लिए सदन गुहार जाहिर किया है और अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मेरी जान को खतरा है और यह अपराधमुक्त और भयमुक्त की बात करती हैं । आप उसको देखिए जहां बहनजी के पिता के साथ अपराध करने का काम किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री दिनेश सिंह–

और इसके बावजूद आप अपराध मुक्त कहते हैं । स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल है । हमारे यहां जिला चिकित्सालय बना है । एक सर्जन हैं लेकिन बेहोशी के डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया । तो शल्य चिकित्सा का कार्य कैसे होगी । एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है । चोट खाये किसानों को दूसरी जगह एक्सरे हेतु जाना पड़ता है । ब्लड बैंक बना है डाक्टर नहीं । प्राइमरी शिक्षा को तोड़ा जा रहा है एक नीति के तहत । शिशु मन्दिर चलें । प्राइमरी शिक्षा स्कूलों में न हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर पार्क में आप 250 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अगर किसी दलित भाई और बहन की पढ़ाई पर लगा देते, जो अशिक्षित हैं वह शिक्षित हो जाते, जो आप कहते हैं कि कूड़ा ढोने का काम करते हैं, उन्हें शिक्षा मिल जाती । लेकिन आप तो वोट लेने के खातिर अपनी कला कौशल दिखाकर धर्म और जाति में बांटकर उनके नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं । वह आपको आने वाले दिनों में कभी माफ नहीं करेंगे । मान्यवर, सिंचाई की बात कही गयी । ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है । एक बाण गंगा नहर है जो नैपाल सीमा से आती है वहां पर पानी नहीं आ रहा है उसको नैपाल से रोक दिया गया है । महसई सागर का छगड़िया नाला टूटा है । नहरों में पानी नहीं है.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री दिनेश सिंह–

कृषि के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां भूमि संरक्षण के अधिकारी है वह सिद्धार्थनगर में न काम कर खाली बैठे है । बलरामपुर जिले के भूमि संरक्षण के अधिकारी आते हैं । सहकारी समितियों में कोई काम नहीं है । हमारे जनपद में कितनी सहकारी समितियां हैं जो खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं दे रही हैं । 60% प्रति बोरी गेहूं खरीदकर अधिकारी ने कमीशन खोरी की । इन्दिरा आवास के बारे में कहा गया, जो दलित लोग हैं, अपने पेट पालने वाले लोग हैं वह दस हजार कमीशन देते हैं तो उनको उक्त आवास एलाट होता है । कैसे वह दस हजार रुपया दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं । यह बजट प्रदेश हित में नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट भाषण की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो तीन बातें विशेष रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वर्ष 2001-2002 में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के नाम पर मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया था उस समय मैं नियोजन विभाग देखता था मान्यवर, 210 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चन्द्र पन्त जी के द्वारा उस वर्ष दिये गये थे और उसमें पूर्वांचल विकास, बुन्देलखण्ड विकास और पश्चिमांचल पैकेज और मध्यांचल का एक नया पैकेज उसमें उनको अतिरिक्त धन दिया गया था। इस वर्ष अगर वह केन्द्रीय सहायता मिलती है सरकार के द्वारा तो ऐसे क्षेत्रों में जो विषमतायें हैं उनको दूर करने के लिए अतिरिक्त धन जुटाया जा सकता है। इस पर माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विशेष रूप से नोटिस लेंगे और प्रयास जरूर करेंगे ताकि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो सके और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सके।

मान्यवर, विद्युत की जितनी भी हमारी सप्लाई है वह मांग के अनुरूप नहीं है। जब मई के महीने में इस पर चर्चा हुई थी तो मंत्री जी द्वारा स्वीकार किया गया था कि लगभग 6000 मेगावाट की क्षमता है और सप्लाई 4500-4600 मेगावाट है। जो कुल डेफिसिट है वह हम कटौती के द्वारा पूरा करते हैं। मान्यवर, 1992 में कान्ट्रैक्ट के आधार पर पावर जेनेरशन के लिए निजी क्षेत्र के जिन लोगों को इंगेज किया गया था उसमें से अभी एक भी पावर प्लांट न तो प्रारम्भ हुआ है और न व्यवहारिक स्वरूप सामने आया है मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शाहजहांपुर भी उसमें से एक है जहां रोजा थर्मल पावर प्लांट 1992 में दिया गया था बिरला ग्रुप को, 1997-98 में पावर परचेज एग्रीमेण्ट हुआ लैण्ड एक्वायर कर ली गयी लेकिन अभी तक उसमें न तो शिलान्यास हुआ और न कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही पैदा हुआ 567 मेगावाट का यह पावर प्लांट पिछले दस वर्षों से प्रतीक्षा में है। मान्यवर इसको हम समय-समय पर उठाते भी रहे हैं लेकिन अभी तक सारे प्रयास निष्फल रहे हैं। मैं समझता हूं कि पावर सप्लाई प्रदेश के विकास में एक बहुत अहम मुद्दा है एक कड़ी है अगर प्राथमिकता के आधार पर इसे लेंगे तभी इसमें कोई न कोई प्रतिफल देखा जा सकता है। मान्यवर, विद्युत कटौती के सम्बन्ध में रात्रि में 12 बजे से सुबह पांच बजे तक जो कटौती की जाती है वह न की जाये। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर नगरीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कि रात में सोने का समय हुआ और दो घण्टे बाद बत्ती चली गयी। सबसे उत्तम स्थिति शहरों में कटौती की यह हो कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे तक इससे सरकारी काम-काज भी प्रभावित नहीं होगा, स्कूल विद्यालयों का काम भी प्रभावित नहीं होगा और सामान्य जन भी कम से कम प्रभावित होगा। मैं आज पुनः अपने इस अनुरोध पर बल दे रहा हूं।

मान्यवर, प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि वर्ष 1991 में साक्षरता का प्रतिशत 41.7 था वह 2001 में 57.8% उत्तर प्रदेश का आया है। उत्तर प्रदेश आज वृद्धि में एक नम्बर पर है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बेसिक शिक्षा और जूनियर शिक्षा में सुधार कर सकें। मान्यवर तीन बातें बच्चे को विशेष प्रभावित करती हैं एक तो मां-बाप के जींस, दूसरे ग्रह नक्षत्र जिसमें वह पैदा हुआ और तीसरे उसे प्रभावित करता है माहौल। पहली दो बातों को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तीसरी बात जो माहौल की है वह सबसे आवश्यक है। जो आबादी बढ़ी है, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा उसके लिए जिम्मेदार है। आज शिक्षित परिवार यह सोचता है कि हम कितना परिवार बनायें जिसका पालन-पोषण हम अच्छी तरह से कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में 72–75 प्रतिशत आबादी रहती है आज वहां शिक्षा के माहौल को बनाने की आवश्यकता है, शिक्षा का माहौल जब तक

नहीं बनेगा तब तक किसी भी अच्छे समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते चाहे दक्षिण हो या महाराष्ट्र जहां शिक्षा का प्रतिशत 85 और 90 तक है उसके समकक्ष खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकते । बजट भाषण में हम इस बात का स्वागत करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी । चाहे उसके लिए शिक्षा मित्र के रूप में उनकी नियुक्ति करना पड़े । मान्यवर, आवश्यकता सबसे ज्यादा इस बात की है कि हम बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए एक अभियान चलायें और उसमें चाहे उधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों या इधर बैठे हुए सभी इस बात से सहमत हैं कि आज अध्यापक कक्षा में जाता है और बच्चे से तम्बाकू सिगरेट मंगाता है । बच्चे की उम्र 4 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक ऐसी होती है कि वह केवल नकल करता है और उसके टीचर का असर बच्चे पर पड़ता है । अगर टीचर सिगरेट पीता है और बच्चे से मंगाता है तो निश्चित रूप से सिगरेट का वह बचा हुआ टुकड़ा जो कोने या जमीन पर पड़ा हुआ होता है, टीचर के जाने पर बच्चा उसको पीता है । अगर कोई टीचर अभिभावक बच्चे से तम्बाकू की पुड़िया, सिगरेट मंगाता है जिसको अध्यापक द्वारा उसे सेवन करने से मना किया जाता है लेकिन वह बच्चा उस तम्बाकू के पेकेट का, सिगरेट के टुकड़े का उसी तरह से प्रयोग करता है जैसा वह देखता है । इन बच्चों में नकल करने की आदत होती है । आप कई केसेज है इसका सुधार कर सकते हैं पहले केस में कर सकते हैं कि अध्यापक की हाजिरी विद्यालय में सुनिश्चित हो और उसके बाद इस पर व्यवस्था करें अध्यापक और गार्जियन, ताकि हम भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकें क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है । इसके संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रान्त के अन्दर एक जिला कोटा है । मुझे कहने में खुशी है कि पिछले वर्ष आई०ई०एस० परीक्षा में 1014 लोग केवल इस एक जनपद से आये हैं । यह केवल एक व्यक्ति का संकल्प था वह भी एक विकलांग व्यक्ति का संकल्प था कि हम पूरे जनपद को इंजीनियर बना देंगे और इसी का नतीजा है कि 1014 लोग इंजीनियरिंग में आ गये । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के करने से यह नहीं होगा अपने-अपने क्षेत्र में विधायक लोग इसकी चिन्ता करेंगे । तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं ।

मान्यवर, नगरों में जो सफाई होती है वह पर्याप्त नहीं है, नालों की सफाई ठीक प्रकार से नहीं होती है । मान्यवर, पब्लिक हेल्थ मैनुवल के हिसाब से 1000 की आबादी पर 60 सफाई कर्मचारी होने चाहिए और नगर विकास का शासनादेश है उसमें 10000 पर 27-28 सफाई कर्मचारी होने चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई टाउन एरिया या नगर ऐसा हो जहां मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो । इन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए । जो लोग रिटायर हो गये हैं उनके स्थान पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती जिसका परिणाम यह होता है कि सारे शहरों में सफाई कर्मचारियों का अभाव है । कूड़े के ढेर लगे हैं सफाई नहीं होती है ।

अन्त में मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं अतिक्रमण के नाम पर कानून तो बना, 2 साल की सजा 20 हजार रुपये तक का जुर्माना हो गया लेकिन वह निष्प्रभावी है वह ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाया । जब तक इस पर अर्थ दण्ड निर्धारित नहीं किया जायेगा तब तक इससे निजात मिलने वाली नहीं है । मेरा शाहजहांपुर जनपद है । मैं उस जनपद से आता हूं जो कुर्बानी देने के नाम पर नम्बर एक पर रहा है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खां, और रौशन सिंह, इन लोगों ने हंसते-हंसते हिन्दुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फन्दे को चूमा लेकिन सुविधाओं के बंटवारे में शाहजहांपुर को पीछे धकेल दिया गया । यहां पर एक नदी है जिस पर पुल की मांग 50 वर्षों से होती रही । परन्तु पुल लम्बा होने की वजह से इस पर 68 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है । इतना लम्बा होने की वजह से यह बराबर टलता रहा है । मेरी मांग है कि उस पर पुल का निर्माण

करा दिया जाये । नियामतपुर-क्यूलेक पुल के लिए कुछ धनराशि एकत्रित की गयी थी परन्तु शासनादेश नहीं हुआ है मेरी मांग है कि यहां पर पुल की व्यवस्था की जाये ।

श्रीमती गीता सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आज भी कुछ समझ में नहीं आता है । हमारी कई योजनाएं हैं जिन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए जैसे कि सरयू परियोजना जिसके बनने से हमारा पूर्वांचल हरा-भरा होगा और गरीब थोड़ा सा अमीरी की तरफ बढ़ेगा । हमारा कोड़री का पुल बलरामपुर में 25 परसेंट काम के लिए रुका हुआ है । केवल 25 परसेंट के लिए हमारा गरीब कितना सफर करता है । 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 70–75 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है शिडयूल कमजोर वर्ग के नाम पर एनाउन्स कर दिया कि उसके बेटे-बेटी के मरने पर उसे 25 हजार रुपये दिये जायेंगे । एक हरिजन महिला ने एक बेटी को इसलिए मार दिया कि उसको 25 हजार रुपये मिलेंगे । आपने जो भी योजनाएं बनायी हैं भावना शून्य है । हम आप जो लोग भी यहां बैठे हैं, ट्रैफिक आज की ऐसी समस्या है जिसमें 100 परसेंट लोग शामिल है । कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं है जो यह सोच कर घर से चलता हो कि वह सही सलामत वापस आ जायेगा । सड़क के थानों पर एम्बुलेन्स की कोई व्यवस्था नहीं है आज भी एक्सीडेन्ट होता है, जिसे बचाया जा सकता है उसे कोई पहुंचाने वाला नहीं है । इन सब बातों पर हम समझते हैं कि सरकार को नम्बर–1 पर व्यवस्था करनी चाहिए । थानों पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है । गरीब आदमी के पास फोन के अलावा कौन सा साधन है । वायरलेस सिस्टम गरीब के लिए नहीं होता, उसमें केवल अधिकारी और बड़े लोग ही सम्पर्क कर सकते हैं । इसी तरह अस्पतालों में ।

जहां 10-5 रुपये फीस है, वहां नहीं जाते हैं । बल्कि जहां 100-50 रुपये फीस है, वहां चले जाते हैं, उसकी कई वजह है और इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक जिम्मेदारी है । स्कूल के मास्टर अपनी पोलीटिकल एप्रोच के कारण स्कूल नहीं जाते हैं और किसी न किसी लड़के को एप्वाइन्ट कर देते हैं । जो वहां जाकर उनकी हाजिरी लगा देता है और पढ़ाने का काम नहीं करता । मान्यवर, राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हम राजनीति में इसलिये आये क्योंकि हमने जो समाज में पहलू देखें, उसके हिसाब से सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिये । हमारे चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के, अधिकारी हों या कर्मचारी हों, यह योजनाओं का सारा पैसा ले जाते हैं । गरीब आदमी तक कुछ भी नहीं पहुंचता है । नहरों की सफाई के नाम पर चाहे वर्ल्ड बैंक का पैसा हो, या सरकार का, सब इंजीनियरों की जेबों में जाता है । इसके अलावा तमाम ऐसी संस्थायें और विभाग हैं, जहां सिर्फ करेप्शन ही करेप्शन है लेकिन अफसोस यह है कि चाहे हमारी पार्टी के हो, चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनको सिर्फ एक ही विभाग दिखाई पड़ता है और वह है पुलिस विभाग । हम चाहते हैं कि हमको भी मौका दिया जाय ताकि हम ऐसी हरकतों को सबूतों के साथ आपके सामने पेश करें । जहां तक इनजस्टिस का सवाल है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें क्योंकि यह सिर्फ कहने की बात है कि सब गरीबों के लिये होता है लेकिन सब घूमफिर कर अमीरों की जेबों में जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं ।.

* श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने वर्ष 2002-2003 के बजट पर बोलने का और विचार व्यक्त करने का मौका दिया । श्रीमन्, जो बजट माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया इसके पृष्ठों को देखकर बहुत ही निराशा हुयी । यह बजट निराशा का बजट है और यह बजट ऐसा बजट है कि उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर और समृद्धि के नाम पर पीछे ले जाने वाला बजट है । श्रीमन् आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट ऐसे वक्त पर पेश किया गया और ऐसे वक्त पर इस बजट पर हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, जब आज उत्तर प्रदेश में केवल सूखा ही नहीं, बल्कि सूखे से उत्पन्न अकाल जैसी स्थिति है । लेकिन इस बजट में उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ जनता के लिये इस अकाल की स्थिति के बारे में कहीं भी कोई न तो योजना है और न कोई व्यवस्था है । इस बजट को सुनने से और पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह सरकार केवल प्रदेश की जनता को और इन मासूम बच्चों को जो पैदा हुये हैं या जो मां के पेट में हैं, उन पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ाती जा रही है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के बजट के भाषण के पृष्ठ–6 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

बजट पुस्तिका के पृष्ठ छः की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जहां पर स्वयं सरकार की तरफ से साफ-साफ इस बात को स्वीकार किया गया है कि 3 मार्च, 2001 को 72 हजार 7 सौ 65 करोड़ 64 लाख रुपये का कर्ज था । श्रीमन्, एक ही साल में यह कर्जा बढ़ करके यानि 31 मार्च, 2002 को एक ही साल के अन्दर बढ़ करके 83 हजार 401 करोड़ 32 लाख रुपये का हो जाता है । श्रीमन्, केवल आजादी के बाद यही सरकार नहीं बनी बल्कि इस प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में दो-दो बार सरकार बनी थी, श्रीमन्, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में 89 और 90 और 93 और 94 में मुलायम सिह यादव जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । नेता सदन थे, उस समय मुश्किल से साल में एक बार कहीं कर्जा लेने की नौबत आई थी, लेकिन ठेस के साथ कहना पड़ रहा है कि 97 से लगातार कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा श्रीमन् जिसमें सरकार ने तीन बार, चार बार कर्जा न लिया हो । कर्जा की ये स्थिति 2002 की हम बात कर रहे हैं, श्रीमन्, अब तक दो-दो बार यह सरकार कर्जा ले चुकी है । अब ये उनकी जो प्राथमिकताएं हैं जिसमें भयमुक्त समाज, विकास युक्त प्रदेश और इस तरह की जो भी बातें कही गयी हैं, ये बिल्कुल बे-बुनियाद हैं, इसमें कहीं कोई सार्थकता नहीं है, सरकार पूरी तरह से विफल है ।

श्रीमन्, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, भयमुक्त का सवाल है, आजादी के 55 साल बीत जाने में तमाम सरकारें आई लेकिन इतना भय और आतंक का वातावरण नहीं रहा । श्रीमन् एक उदाहरण जनपद फैजाबाद का दे रहा हूं जहां पर इसी महीने में डकैती होती है वजीरगंज का मोहल्ला है, बहुत आबादी का मोहल्ला है, अपराधी जाते हैं और डेढ़-डेढ़ साल के बच्चों को बोटी-बोटी काट कर बाथरूम में डाल देते हैं और 11-12 मई की रात को श्रीमन्, जनपद फैजाबाद में ही हौसला नगर है जहां पर पूरे परिवार को मार दिया जाता है । यही नहीं श्रीमन् दीवाली के त्योहार के दिन छः छः लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, जहां पर कलेक्टर का आवास है । इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए । आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने कहा कि बावरिया गिरोह और कच्छा बनियान गिरोह का हाथ है तो क्या सरकार ने बावरिया और कच्छा बनियान गिरोह को लूट-मार करने के लिए हथियार दिये हैं कोई लाइसेन्स दिया है । इस सरकार का इससे निकम्मापूर्ण कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा । यही नहीं हमारे मोहल्ले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसका नाम बबलू था, की हत्या कर दी जाती है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, राजेश गुप्ता की हत्या इसी तरह से होती है और कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुयी ।

आई०जी०, डी०आई०जी० और एस०एस०पी० के बदलने से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है । कानून व्यवस्था इकबाल से चलता है । जो वर्तमान सरकार की मुखिया है उनका इकबाल खत्म हो गया है । मान्यवर, आज जिस तरह से फिजूलखर्ची की जा रही है, अम्बेडकर पार्क के नाम पर करोड़ों जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया जा रहा है । "ऋणम् कृत्वा, घृतम पिवेत" की कहावत चरितार्थ किया जा रहा है । इस पार्क से दलितों का कोई भला होने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन में प्रस्ताव करता हूं कि अम्बेडकर पार्क को स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया जाये जिस पर उत्तर प्रदेश के गरीब और दलित तबके के लोग जिनकी दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में मृत्यु हो जाती है, इस केन्द्र पर निःशुल्क इलाज हो । मैं समझता हूं कि इससे जो डा० अम्बेडकर का सपना है वह पूरा होगा । श्रीमन्, यह जो बजट है, पूरी तरह से निराशा का बजट है उत्तर प्रदेश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने वाला और उत्तर प्रदेश को गिरवी रखने वाला बजट है । इस बजट का मैं विरोध करता हूं और नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी बात रखी है उस पर मैं बल देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2002-2003 के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया. इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है यह मायावती जी का मायाजाल है । इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, यही नहीं यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक मृग मारीचिका है और जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है । हमारा उत्तर प्रदेश एक प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान का नेतृत्व करता है । हमारा प्रदेश जहां पर गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियां बहती हैं, जहां ताजमहल है । हमारे प्रदेश में डा० राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी और चौधरी चरण सिंह जैसे राजनेता और प्रशासक रहे हैं वह हमारा प्रदेश आज पिछड़ों में गिना जा रहा है । अफसोस इस बात का है कि हम आज विकास की दौड़ में सबसे पीछे हैं । अगर हम हिन्दुस्तान के विकास को देखें तो देश में बिहार के बाद हमारा नम्बर आता है, हम सबसे पीछे हैं । देश के सकल आमदनी का 3 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पर और 1.5 प्रतिशत बिहार पर खर्च होता है । 41 प्रतिशत गुजरात और ऐसे ही महाराष्ट्र पर खर्च होता है । दुनियां के केवल 8 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं । अगर सकल आदमी का केवल 3 प्रतिशत खर्च किया जायेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश तरक्की करेगा । बेकारी की हालत यह है कि गांव-गांव में नौजवान बेकार घूम रहे हैं, रोजी-रोटी का साधन नहीं है । विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश सबसे पीछे हो गया है । इस नाते यह सरकार जो बजट लायी है यह विकास का नहीं विनाश का बजट है । माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा प्रदेश क्यों नहीं पिछड़ेगा । जब हमारी 17 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं ।

मान्यवर, यह केवल बस्ती जिले की ही मिलें नहीं हैं, देवरिया, गाजीपुर और गोरखपुर की भी हैं । जब चीनी मिलें ही बन्द हो जायेंगी तो हमारा विकास कैसे होगा ? हम लोग पहले चीनी बाहर निर्यात करते थे, अब आयात करते हैं । आयात करने से किसी की तरक्की नहीं होती है । इससे स्तर ही गिरता है । मान्यवर, यह जो बजट है यह केवल बकवास है । मान्यवर, आज प्राथमिक स्कूलों की क्या स्थिति है । हम सभी लोग प्राथमिक स्कूलों में पढ़कर आये हैं । हम लोग कोई देहरादून या दिल्ली के स्कूलों में पढ़कर नहीं आये हैं । आज प्राथमिक स्कूल समाप्त हो रहे हैं । उसमें पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है । यही कारण है कि आज लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं । वे अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं जहां पर अंग्रेजी की पढ़ायी होती है । आज हमारे देश में हिन्दी का स्तर गिरता चला जा रहा है । आज पूरे हिन्दुस्तान में 3/5 लोग हिन्दी जानते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने

एडमीशन लिया था तो उस समय ला की फीस 15 रुपये पड़ी थी आज उस वक्त की पढ़ाई के लिए साढ़े 6 हजार रुपये देने पड़ते हैं । यह सिर्फ एडमीशन की फीस है । मुझे नहीं लगता कि कोई गांव का आदमी जो कि 50 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करके कमाने वाला आदमी इस सबको वहन कर सकता है । वह क्या अपने बेटे या अपनी बेटी को वकील का एडमीशन दिला सकता है या उसकी पढ़ाई करवा सकता है । मैंने 15 रुपये में वकालत पास की थी । आज के समय में उसकी फीस साढ़े 6 हजार रुपये हैं । हमारे प्रदेश की जो मुख्य मंत्री हैं वह दलित समाज की मुख्य मंत्री हैं । आज वह बैठी नहीं हैं अगर वह होती तो मैं उनसे पूछता, सवाल करता । बड़ी जाति को छोड़ दें छोटी जाति के बारे में क्या सोचा है ? इससे हमारा देश चौपट हो जाएगा । हमारे देश की जमीन पूरी दुनियां में सबसे ज्यादा उपजाऊ है । हमारे यहां तमाम फसलें हैं । हमारे यहां कई तरह के मौसम हैं जो अन्न पैदा करने के अनुकूल हैं । फिर भी हमारी खेती चौपट हो रही है । चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ था । हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और चीन हमसे दो साल बाद 1949 में आजाद हुआ था । आज उसमें इतनी क्षमता है कि वह पूरी दुनियां को टक्कर दे सकता है और हमारा हिन्दुस्तान वह है कि यहां पर लोग भूख से मर रहे हैं । उड़ीसा में भुखमरी की स्थिति है और हमारे यहां अकाल की । हमारी खेती चौपट हो रही है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें कोई सही रास्ता निकालना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया बैठ जाइए । बहुत से लोग बोलने के लिए हैं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आज सूखे की मार है । यह जो मायावती जी हैं [× × ×] बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, गरीबों के शरीर पर कपड़ा नहीं है । यह जो टास्कफोर्स बनाया गया है इसमें पुलिस की सहायता से लोगों को बन्द किया जायेगा । इसमें आपके भी रिश्तेदार बन्द होंगे और हमारे भी बन्द होंगे । इसलिये यह जो टास्कफोर्स वसूली के लिये बनाया गया है इसको समाप्त किया जाय । मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है डेढ़ महीने में 447 दलितों की हत्यायें हुयीं हैं । 1160 अपराध हुये हैं और 237 लोगों का अपहरण हुआ है । यह जो स्थिति है यह दलितों की है । जब दलितों के साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य जातियों के साथ क्या हो रहा होगा ? यह मेरे आंकड़े नहीं हैं । यह जवाब मंत्री जी ने दिया है इसलिये अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा । आप हमको चुप करा सकते हैं लेकिन दुनियां को चुप नहीं करा सकते । जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने खुद को असुरक्षित बताया है । जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री ही असुरक्षित हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और नयी सरकार बननी चाहिये । अगर राजा ही असुरक्षित है तो प्रजा का क्या हाल होगा ? प्रदेश का मुख्य मंत्री, देश का गृह मंत्री, प्रधान मंत्री असुरक्षित हो और उस पर बात न की जाय तो यह उचित नहीं होगा ? मेरी मांग है कि मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मायाजाल के आंकड़े देने से काम नहीं चलेगा ।

आज जो यह कहा जा रहा है कि सारा पैसा दलितों को जा रहा है ऐसी बात नहीं है । पूरा पैसा अनुसूचित जातियों को दिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है । यह जो पूरा का पूरा पैसा है यह केवल मायावती अपने पास रख रही हैं किसी दलित को नहीं मिल रहा है । इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कि जिन योजनाओं को रखा गया है यह सारी योजनायें गलत हैं । इसलिये नये तरीके से नेता प्रतिपक्ष की राय लेकर नया बजट बनाया जाय जिससे गरीब चाहे वह किसी जाति के हों उनको सुविधा मिल सके । सबकी सुरक्षा की गारन्टी दी जाय । यह जो मायाजाल है इससे इस मुल्क और प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र नगर पूरब है जो तीन नदियां के बीच में है । नदियों की बाढ़ से मेरे क्षेत्र की सुरक्षा की जाय और मेरे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं इसलिये मेरे क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था की जाय । मेरा यह भी निवेदन है कि यदि एक भ्रष्ट मंत्री का जो पैसा जमा है यदि उसको निकाल कर प्रदेश को दे दिया जाय तो बिजली की और सड़कों की समस्या नहीं रहेगी । इन शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं उनसे अपने को संबद्ध करते हुये उन पर बल देता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया 2-3 मिनट में अपनी बात कहें ।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, उधर के लोगों को आपने 5 मिनट दिये हैं जबकि इधर के लोगों को 3 मिनट दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

उधर बोलने वाले अधिक है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । आज जो उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । विगत वर्षों में बरती गयी वित्तीय अनियमितता के कारण प्रदेश का वित्तीय ढांचा बिगड़ गया जैसे किसी बीमार का इलाज न होने से और बीमारी छिपाने से बीमारी असाध्य हो जाती है उसी प्रकार हमारी वित्तीय स्थिति हो गयी है । उन्होंने इस बजट भाषण में इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को वित्तीय संकट के बारे में साफ-साफ अवगत करा दिया है तथा प्रदेश को उस संकट से उबारने के लिए मुश्किल आपरेशन भी वह कुशलतापूर्वक कर रही है । ''कर्ज लेकर घी पीना बहुत बुद्धिमानी नहीं होती है'' । राजस्व आय के सापेक्ष राजस्व व्यय में अधिक वृद्धि के कारण वर्ष 2000-2001 में 6,289 करोड़ 31 लाख रुपये का राजस्व घाटा 2001-2002 में यह 7,756 करोड़ 75 लाख रुपये हो जाने का अनुमान है । राज्य पर कर्ज भी 72,765 करोड़ 64 लाख रुपये से बढ़कर 83,401 करोड़ 35 लाख रुपये होने का अनुमान है । इस असंतुलित वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मुख्य मंत्री जी ने बहुत ठोस कदम उठाने का संकेत किया है । मैं उनका स्वागत करता हूं । राजस्व वृद्धि की प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण करों की चोरी रोकने तथा कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने अवैध शराब के निर्माण व तस्करी को रोकने, अवैध वाहनों के संचालन को रोकने आदि ऐसे उपाय हैं जिन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । जिसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुये हैं । मुख्य मंत्री जी द्वारा जिस मध्यवर्ती वित्तीय संरचना नीति की घोषणा की गई है बजट भाषण में निश्चित रूप से उसके लाभकारी परिणाम सामने आयेंगे । प्रदेश की वित्तीय स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा । मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अनुत्पादक मदें हैं उन पर व्यय करा कर देना चाहिए तथा प्राकृतिक संशाधनों के ज्यादा से ज्यादा दोहन की आवश्यकता है तथा जनसंख्या वृद्धि पर सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश भयंकर

सूखे की चपेट में है मैं अनुरोध करना चाहता हूं रोजगार परक सूखा राहत कार्य चलाए जाने की आवश्यकता है तथा खाद्यान्न की कालाबाजारी से बचाने की आवश्यकता है । सूखे से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है, खेतिहर मजदूर प्रभावित होता है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र का मजदूर गांवों से पलायन करके बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं परन्तु दुख की बात है कि उन्हें वहां बड़े शहरों में काम नहीं मिल रहा है अतः पुनः लौटकर गांवों में आ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

इससे गांवों में रोजगार सृजन की तत्काल आवश्यकता है । अध्यक्ष जी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 338 तथा 339 में किए गए उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण तथा उत्थान हेतु अरबों रुपये की योजनाएं पिछले वर्षों में बनी लेकिन आजादी के 55 साल बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं । उसका कारण यही है कि संवैधानिक बाध्यता के कारण जो योजनाएं संचालित की गई वह बेमन से संचालित की गई फलस्वरूप योजनाओं का बंदरबांट होता रहा है व आवंटित धन का डायवर्जन कर दिया जाता रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को मात्राकरण करके समाज कल्याण विभाग का नोडल विभाग बनाया । जिसमें निर्धारित परिव्यय शत-प्रतिशत खर्च करने की व्यवस्था होगी । इससे संविधान की भावनाओं के अनुरूप गुणात्मक परिणाम सामने आयेंगे । हमारी सरकार अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता का अक्षरशः पालन करेगी । वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयास किया गया है । अब मैं बुन्देलखण्ड और चित्रकूट में सिंचाई के संसाधन विकसित करने की मांग करता हूं तथा बजट का समर्थन करता हूं । नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना का जो विरोध किया गया है मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 55 वर्ष बाद भी जो गांव बिजली, सड़क, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे वही तो यह अम्बेडकर गांव हैं जो पिछड़े रह गये । जिनको बिजली नहीं मिली, सड़क नहीं मिली, पानी नहीं मिला । क्या उन अम्बेडकर गांवों का विकास नहीं किया जाना चाहिए ? अम्बेडकर गांवों में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं ? मुश्किल से 25-30 प्रतिशत लोग अम्बेडकर गांव में रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, अब उन गांवों को अम्बेडकर गांवों की सूची में लिया गया है । जिन गांवों में 10-15 प्रतिशत या उससे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । आप इन 10-15 प्रतिशत जनता से नफरत के कारण 85-80 प्रतिशत जो आम जनता गांवों में है उनको विकास से वंचित कर देना चाहते

हैं। इन अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों के लिये सरकार की प्रतिबद्धता है उनके उत्थान के लिये मजबूती के साथ विकास के कार्य किये जायें। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम दूसरे सदस्यों के द्वारा अम्बेडकर उद्यान के बारे में बड़ा विरोध किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर उद्यान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया जाना हमारी अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। हम आम जनता का उत्थान करना चाहते हैं और जिन महापुरुषों के संघर्ष के कारण हम इस कुर्सी तक आ गये हैं उस कमजोर तबके के लोगों के लिये कुछ करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कृपया दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बहुत से माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है और आज माननीय सदस्य जल्दी भी जाना चाहते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा हुआ है, मैं इस गंभीर विषय की तरफ जाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस गंभीर समस्या की तरफ एक भी पैसे की राहत नहीं दी गई है। आज समय से बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों को यदि दो-तीन घण्टे बिजली मिली तो आगे एक आध सप्ताह गायब हो जाती है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा आ भी गया तो टेल तक नहीं पहुंच पाता। जो अकाल पड़ा है, उसके लिये राहत के रूप में सरकार कुछ नहीं कर पाई है। सरकार द्वारा यह जो बजट पेश किया गया है, यह किसानों के विरुद्ध है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज बिजली की कटौती चरम सीमा पर है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान आज त्रस्त हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विधवा को पेंशन मिलती है आज वह 2 साल से नहीं बांटी गई। इसके लिये जो फार्म विधवा का जमा है। वह भी लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे यहां आजमगढ़ सठियांव चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है। अकाल पड़ा है, यदि किसानों को थोड़ा पैसा दे देते तो उन्हें कुछ राहत मिल जाती। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभी कल की बात है हमारे यहां थाना ताबरपुर में एक प्रधान की विकास खण्ड ताबरपुर के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई और बदमाश फायर करते हुये भाग गये। वहीं बगल में एक ग्रामीण बैंक है उसमें दो पुलिस वाले थे मगर पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची इसी तरह से महराजगंज थाना अन्तर्गत में एक प्रधान की हत्या कर दी गई। एक डा० सलीम थे अच्छे डाक्टरों में उनकी गिनती थी उनके परिवार की, लड़का, लड़की-पत्नी और डाक्टर साहब, चारों की हत्या कर दी गई। आज तक इसका भेद नहीं खुल सका। आजमगढ़ में व्यापारियों का पैसा छीन लिया गया उसका कोई पता नहीं चला, दो व्यापारियों का अपहरण हो गया आज तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश में नौजवान हैं पढ़लिखकर बेकार बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच तक जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसमें दो से ज्यादा कहीं अध्यापक नहीं है। मुंहनोचवा का आतंक है इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की जनता में आतंक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालत बहुत खराब हैं। आजमगढ़ में जो राजमार्ग हैं आजमगढ़ से फैजाबाद मार्ग, आजमगढ़ से दोहरी घाट मार्ग, आजमगढ़ से मऊ मार्ग की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं पी० डब्लू० डी० विभाग एक खड़जा डलवा देता है जिससे चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है, आजमगढ़ की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

सरकार कहती है कि पैसा नहीं है मंत्री लोग बैठे हैं यह और जगह का पैसा खींचकर अपने यहां काम कराने का कार्य करते हैं। बिजली की समस्या है जनता परेशान है कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुख्य मंत्री मायावती द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

* श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं बजट पर बहुत सारी चर्चा करके सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए फक्र है गर्व है, आज जिस जगह से चुनकर आया हूं जनपद पीलीभीत, रकबे के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला जनपद है। मुख्य मंत्री जी बैठी है मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं पीलीभीत जनपद का उत्तरांचल से अलग होने के कारण जो पीलीभीत में वन का भाग बचा है उसमें एक साथ 16-16 शेर और बड़े-बड़े जानवर आज बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं, मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें। पीलीभीत में जो जंगल बचे हैं उसमें सेंचुरी कायम करके बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटकों को बुलाकर क्षेत्र को विकसित करने का काम कर सकती है। मेरे जनपद में, एकल स्कूल की बात बजट में कहीं गई है मैं बताना चाहता हूं 140 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, आज की तारीख में एक भी टीचर मौजूद नहीं है बच्चे वहां पर बस्ता तख्ती ले जाकर दिन भर बैठकर वापस चले जाते हैं। टीचर की कोई

* वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था नहीं की गई है इसी के साथ दलितों की बात बजट में बड़े जोर-शोर से उठाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के लालजी टण्डन बैठे हुये हैं पीलीभीत में नगर पालिका कर्मचारी के सफाई कर्मियों को जब 15 माह वेतन नहीं दिया गया था तो उसमें एक समझौता हुआ डेढ़ महीने पीलीभीत नर्क हो गया, गन्दगी की वजह से तीन-चार लोगों की मौतें हुई तब कहीं जाकर चार माह का वेतन दिया गया, अब 11 माह हो गये हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है उन्होंने नोटिस दे रखा है ।

वे सफाई कर्मचारियों की महिलाएं जो वहां पर हैं, उनके बच्चे दवाओं के लिए, अनाज के लिए, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रही है । मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन दलित सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दिलाने का काम किया जाय । मान्यवर, पीलीभीत एक बहुत ही खूबसूरत शांतिप्रिय ऐतिहासिक शहर है । यहां पर शाही जामा मस्जिद दिल्ली की तर्ज पर शाही जामा मस्जिद है जिसमें बेहतरीन चीजे हैं, एक गौरी शंकर का मन्दिर जो कि हाजी रहमत खां ने बनाया वह जीर्णशीर्ण हो गया है उसको बनवाने का काम किया जाय, इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और इसी के साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुये इस बजट का विरोध करता हूं ।

डा० शिव प्रताप यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह जो बजट है, यह बजट प्रदेश के किसानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और नंगी भूखी जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है । मान्यवर, यह सरकार की नींव ही विश्वासघात पर खड़ी है और उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है । मान्यवर, यह जो भाजपा और बसपा गठबन्धन की सरकार है इसके नेता जब चुनाव हो रहा था, तो चुनावी सभा में भाजपा के लोग कहते थे कि यह जातिवादी ब०स०पा० है मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा और ब०स०पा० की मायावती जी कहती थी कि भा०ज०पा० मनुवादी एवं साम्प्रदायिक पार्टी है मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगी । तो यह जनता के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी है और इसलिए इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है । पूरे प्रदेश में अपराध का बोलबाला है । एक तरफ लखनऊ के हाईकोर्ट के सामने इन्द्रदेव सिंह अधिवक्ता की हत्या होती है और फैजाबाद में तीन घटनाएं हुई हैं । वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थकों और निर्दोष जनता को गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट, एस०सी०, एस०टी० एक्ट के तहत जेलों में ठूंसा जा रहा है । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति के तीस गांव हैं लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई योजना इसमें नहीं है । मान्यवर, हमारा क्षेत्र वन क्षेत्र है । वहां पर वन के रेन्जर और कर्मचारियों द्वारा थारू जनजाति से बेगारी ली जाती है, उनका शोषण होता है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र नैपाल सीमा से सटा हुआ है । जौनपुर गांव ऐसा है जहां पर दस-दस दिन तक बिजली नहीं आती है । पिपरा, बालापुर आदि तमाम गांव हैं जहां पर 5-6 महीने से बिजली नहीं आती है और उसका बिल भेजा जाता है । लोगों को भुगतान करना पड़ता है । वसूली के लिए तहसीलदार जाते हैं ।

मान्यवर, इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मैंने पिछले दिन कहा था कि अगर बिजली नहीं दी जाती है तो उनको बिल नहीं जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में नदी नालों की भरमार है यह तराई का इलाका है यहां पचपेड़वा, रहेरा सम्पर्क मार्ग पर सोनही नाले पर लकड़ी का पुल टूट गया है। इसी तरह से बलरामपुर सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाला बलरामपुर गौरा चौराहा रोड है उसमें दो लकड़ी के पुल टूट गये हैं इससे इन दोनों जिलों का सम्पर्क टूट गया है। मान्यवर, बौद्ध पथ परिपथ पर यह सरकार गड्ढा मुक्त सड़क की बात कहती है। मैं कहता हूं कि सड़क मुक्त गड्ढा हो गयी है। वहां तमाम जापान, कोरिया के पर्यटक आते हैं जो श्रावस्ती से जाते हैं कुशीनगर वह क्या सोचते होंगे। इससे भारत की गरिमा गिर रही है। बौद्ध परिपथ जीर्ण-शीर्ण हो गया है वहां सड़क के नाम पर गड्ढा है मेरे क्षेत्र में तमाम जलाशय हैं। चित्तौड़गढ़, कोंहर गड्डी, भगवानपुर, मजगंवा। यहां आज सूखा पड़ा है, नहरें जर्जर हो गयी हैं खेत तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। जलाशयों में पानी की क्षमता कम है। सिंचाई विभाग, बलरामपुर में नहरों और जलाशयों के रख-रखाव और क्षमता वृद्धि के लिए अक्टूबर, 2001 में प्राक्कलन बनाकर शासन को भेजा है लेकिन अभी तक एक भी पैसा वहां नहीं गया है बजट में इसका प्राविधान होना चाहिए। इसी तरह से धोबहाघाट नाला पुल पर एक पुल निर्माणाधीन है इसी तरह से पंचपेड़वा वीरपुर चौरसी रोड पर स्थित सोनही नाला पुल भी निर्माणाधीन है। दो साल से इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको पूरा कराया जाये। हमारे क्षेत्र गैसड़ी में राजकीय हाई स्कूल है उसको उच्चीकृत करके इंटरमीडिएट का दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, हमारा तराई क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है वहां कन्या इण्टर कालेज की व्यवस्था की जाये। पचपेड़वा को तहसील बनाया जाये और गौरा चौराहा को ब्लाक बनाया जाये।

मान्यवर, यह बजट नापाक गठबंधन सरकार का पेश किया हुआ बजट है। यह फरेब है इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, आपने 2002-2003 के बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है और मुझे खुशी है कि सन् 2002–2003 का जो बजट प्रस्तुत किया गया दशम् वित्त योजना में उसमें कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी है। मैं अपनी सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यही नहीं गांवों में न्याय दिलाने के लिए महीने में एक बार तहसील दिवस होता था हमारी सरकार ने क्रान्तिकारी निर्णय लिया कि हर मंगलवार को तहसील में एस०डी०एम० उपाधीक्षक और सम्बन्धित अधिकारी बैठेंगे इससे जो गरीब भाई हैं उनको जिला स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा तहसील स्तर पर ही न्याय मिल जायेगा। मान्यवर, चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों (व्यवधान) इन निर्णयों के सही क्रियान्वयन के लिए जो साहसिक कदम उठाया है मैं इसकी सराहना करता हूं।

मान्यवर, गांव के विकास के लिए प्रधान मंत्री ग्राम रोजगार सड़क योजना में 2003 तक 1000 आबादी के सभी गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है और 2007 तक 500 आबादी तक के सभी गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है । इसमें 1200 करोड़ रुपया 2003 में बजट रखा गया है इसमें 2300 ग्राम जुड़ेंगें । पंचायतों को आर्थिक रूप में मजबूत करने के लिए 2002-2003 में ग्यारहवें वित्त आयोग से 233.43 करोड़ तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर 393.00 करोड़ व्यय करने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण पर 151 करोड़ और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में 101.87 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । विश्व बैंक की मदद से पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 367 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गयी है इससे 400 के०वी०, 200 के०वी०, 132 के०वी० के नए 9 केन्द्र बनेंगे और पुराने उपकेन्द्रों की रिपेयरिंग की भी व्यवस्था की गयी है । जिन भाइयों के लिए विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकती है उनके लिए सोलर लालटेन, सोलर घरेलू बत्ती की व्यवस्था की गयी है ।

परिवहन निगम में 800 नई बसों का बेड़ा जोड़ा गया है । त्वरित नगर पेयजल योजनाओं में 225 परियोजनाएं हैं इस पर 40 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा । मान्यवर, स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 9 लाख 25 हजार लोगों को लाभान्वित करने के लिए 16 करोड़ 51 लाख का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, पर्यटक बढाने के लिए और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए गढ़मुक्तेश्वर को 1.51 करोड़ और हस्तिनापुर के लिए एक करोड़ रुपया देकर उसका विकास किया जायेगा । मान्यवर, जब तक भावी पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती है । मुझे खुशी है कि 18147 शिक्षा मित्र की नियुक्तियां की गयी हैं प्राथमिक विद्यालयों के भवन 3813 बनाये गये हैं और अतिरिक्त कक्षा कक्ष 4661 का निर्माण किया गया है । 541 विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल/इंटर कालेज की व्यवस्था की गयी है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चों को भाग लेने के लिए और उसमें उन्हें पुरस्कृत करने के लिए 10 लाख की व्यवस्था की गयी है लक्ष्मन पुरस्कार के लिए 5 लाख की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैं कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तो सूखे से पूरा प्रदेश पीड़ित है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय आपदा निधि से राहत के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5601 करोड़ रुपये की केन्द्र से मांग की है तो इसके लिए चाहे स्वयं मिलना पड़े इस पैसे को केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द लेकर पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरू होना चाहिए इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आगे रवी की फसल आने वाली है खरीफ की फसल तो गई रवी की फसल की व्यवस्था अभी से होनी चाहिए कि किस तरह से किसान को खाद बीज उपलब्ध हो सके । मान्यवर, मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि हमारे यहां शारदा नदी की कटान और बाढ़ की स्थिति है 3 गांव कट चुके हैं । मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं उनको बसाने के लिए एवं अनुदान देने की तत्काल व्यवस्था की जाय ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों गांवों के लोगों को बसाने के लिए और बाढ़ की विभीषिका से जो और गांव प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए तत्काल यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये । चाहे बेसिक शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, कई योजनाएं हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाये कम है । लेकिन मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पैसा आप दे रही हैं जरूरत मंदों के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बीच की मशीनरी पूरा पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचने देती है जिन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसे उपाय किये जायें कि पैसा जरूरत मंदों तक पहुंचे । धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सुश्री आशा किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट 2002-2003 जिसका मैं विरोध करती हूं क्योंकि इस बजट में महिला कल्याण के लिए महिलाओं के लिए योजनायें कुछ नहीं है । शिक्षित बेरोजगारों व महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है उनके लिये कोई योजना नहीं है । जो महिलाएं बाहर शौचालय जाती हैं न उनके लिए ही कोई प्राविधान है न ही कोई उल्लेख किया गया है । महिला कल्याण के लिए किसी भी कल्याणकारी योजना का इस बजट में उल्लेख नहीं किया गया है । मैं इस जनविरोधी बजट का विरोध करती हूं और कहना चाहती हूं कि जो भी बजट में योजनाएं बनी हैं उनमें महिला कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख होना चाहिए था । हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं उनके लिए कुछ भी कल्याणकारी योजना इसमें नहीं है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करती हूं ।

* श्री आलम बदी–

सदन में बजट पर चर्चा में आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अध्यक्ष जी, जहां डेमोक्रेसी समझी जाती है किसी देश या प्रदेश में सरकार के मजबूत होने की हुकूमत के अच्छे होने के पैमाने हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है । यह बजट जो पेश हुआ है उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी तफसील से तकरीर की है । जमहूरियत में बन्दों को गिना करते हैं तौला नहीं करते । इसी गिनती के आधार पर सरकार सत्ता में है और मुझे यकीन है कि उनकी गिनती के आधार पर यह बजट पास भी करा लिया जायेगा लेकिन क्योंकि हम पब्लिक से चुनकर आये हैं, जनता की ओर से आये हैं और "डेमोक्रेसी इज दि प्यूपिल, बाई दि प्यूपिल, फार दि प्यूपिल" जो बजट पेश हुआ है उसमें प्यूपिल का कोई मुकाम ही नहीं है । मान्यवर, मैं माननीया मुख्य मंत्री से एक बात का निवेदन करूंगा, हो सकता है, उनके कोई काम आ जाय । इस बजट में अम्बेडकर ग्रामों का बहुत जिक्र किया गया है, आपके बगल में संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मेरे ही जिले के हैं । हम 13वीं विधान सभा में इनसे बार-बार कहते रहे कि मेरे जिले में एक गांव चयनित करके ऐसा दे दो जिसे हम मार्डन विलेज मानकर तसल्ली कर सकें, लेकिन यह मुझसे कहते रहे कि एक नहीं दो-दो गांव देंगे, लेकिन आखिर में यह एक गांव भी नहीं दे पाये । मान्यवर, हमारे यहां 20-25 अम्बेडकर ग्रामों के लिये जो एक सड़क बनी थी, जिसे पी० डब्लू०डी० द्वारा बनाया गया था, उसमें जमकर लूट हुयी है । धन के गलत इस्तेमाल को आप रोक दें, यह आपकी जनता के ऊपर बड़ी सेवा होगी । चूंकि समय कम है और लोगों को भी बोलना है, इसलिये अपनी बात को अब समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि बी० एस० पी० के सदस्य नहीं बोलेंगे, इसलिये आप लोग आराम से बोलिये ।

* श्री नारद राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2002-2003 के सामान्य बजट पर जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण का अक्षरशः समर्थन करते हुये इस बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, यह बजट गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, और विद्यार्थी विरोधी है, नौजवान विरोधी है । इस पूरे बजट भाषण में कोई ऐसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ाइन नहीं है, जिससे यह महसूस किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिये मुकम्मल ंतजाम होगा । इस बजट भाषण में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि लाखों लोग जिनके हाथों में काम नहीं , उनको कोई रोजगार धन्धा दिया जायेगा । जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिये स्कूल जाना चाहते हैं, आपकी रकार की एक योजना भी है, स्कूल चलो अभियान, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लड़कें कापी किताब के ाम बढ़ जाने के कारण, फीस बढ़ जाने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं । इस बजट में दलितों का ड़ा जिक्र किया गया है । सत्ता पक्ष के और विरोध पक्ष के सदस्यों ने बार-बार इस पर जिक्र करने का ाम किया है लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में हम लोगों की ओर से र विधान सभा से कम से कम 1 हजार, 1200, 1500 दरख्वास्त दलित परिवारों को सहायता देने के ये ली गई, हम लोगों ने दरख्वास्त भेजीं, दरख्वास्तें समाज कल्याण विभाग में जमा हो गई, उसके बाद माज कल्याण अधिकारी की तरफ से हम लोगों को एक चिट्ठी प्राप्त हुयी, जिसमें कहा गया कि आप नमें से केवल 7 लोगों का नाम तय करके देने का काम करें, जिससे उनको अनुदान दिया जा सके । स प्रकार बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार दलितों के लिये नहीं है, गरीब के लिये हीं है, यह सरकार केवल चंद लोगों को मालामाल करने के लिये बनाई गई है, मलाई कटवाने के लिये नाई गई है मान्यवर, मैं आपका ध्यान उन हजारों गांवों की तरफ करना चाहता हूं जहां आजादी के 55 ाल बीत जाने के बाद आज भी बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है दाहरण के तौर पर मान्यवर, मैं अपने बलिया विधान सभा क्षेत्र के उन गांवों का जिक्र करता हूं ये –शिवपुर दियर, प्राणपुर, गजरी, जवहीं, नौरंगा, मुआकछपरा, उमरपुर दियारा आदि, जो बलिया नपद के कोने में बसे हैं और गंगा के किनारे बसे हैं और बिहार से सटे हैं लेकिन आज तक इन गांवों बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है जबकि मान्यवर, आजादी की लड़ाई में गली कतार में खड़े होकर बलिया के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी । मान्यवर, एक क्षेत्र है सिमरी जहां से यरेक्ट बलिया बिजली गई है, उसके टूटे हुए तार, टूटी हुई सड़कें, आज भी यह बताने का काम कर ी हैं कि वर्षों से उनकी उपेक्षा की गई है । मान्यवर, जिस बजट में यहां की सड़कों का जिक्र नहीं है, नी का जिक्र नहीं है, बिजली का जिक्र नहीं है, उस बजट का मैं विरोध करता हूं ।

: मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं बजट के रोध में अपनी कुछ बातें रख रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में काफी कोशिश की है कमजोर आदमी को ताकत मिले, लेकिन विडम्बना है कि इस किताब में तथा वैसे भी बहुत जगह पर ० भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र आया है, दलितों का जिक्र आया है, बहुत सारी योजनाएं भी शुरू गई हैं लेकिन मैं इस सदन में पीठ के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सड़क पर जूतियां गांठने का जो ग काम कर रहे हैं, फुटपाथ पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं, क्या उनके लिये भी कोई योजना यार की गई है ? दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर मैंने क ट्रांसफार्मर बदलने के लिये सरकार से कहा था लेकिन आज तक वह नहीं बदला गया और ये कहते कि बदल दिया गया है । मैं कहता हूं कि मंत्री स्वयं चल कर देख लें या कोई अन्य चल कर देख ले गर वह बदला गया है तो मैं सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा और अगर नहीं बदला गया है तो री जी इस्तीफा दें । सड़क के बारे में कहा गया तो आप जानते हैं कि गाजियाबाद से हापुड़ के बाद

की सुविधा है और अगर नहीं है तो वहां गरीब लोगों के द्वारा कुछ जुगाड़ चलाया जाता है । आज सरकार ने इन जुगाड़ों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । जब हमारे पास बसों की सुविधा नहीं है तो कम से कम इन जुगाड़ों को ही रेगुलर कर दिया जाय । दूसरे दुग्ध विकास के नाम पर पशुपालन के नाम पर मैं पूछना चाहता हूं कि जिसकी भैंसें मर जाती हैं, गरीब आदमी की 20–25 हजार की भैंसे होती हैं तो क्या उसकी भी भरपाई होगी या उन्हें सब्सिडी देने के लिये कोई प्राविधान किया गया है ? नहीं किया गया है । न उसके लिये कोई सब्सिडी है न और कुछ है । गन्ना विकास के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । मैंने सदन में 22 मई को एक सवाल रखा था कि जितनी भी मिलें हैं उन पर 1500 करोड़ रुपये बकाया है लेकिन 3 महीने के बाद क्या प्रगति हुई, उस गरीब किसान के भुगतान के बारे में इसका कहीं ब्यौरा नहीं है । मान्यवर, हमारे नोयडा गाजियाबाद से सबसे ज्यादा रेवन्यू मिलता है लेकिन वहां जितनी औद्योगिक इकाईयां हैं 4810 वह मृतप्राय हो गयी हैं, बीमार हैं, 40 प्रतिशत बीमार हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, उसके विकास के लिये कोई योजना नहीं है । एक तरफ मान्यवर, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जा रही है दूसरी तरफ गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद में बी० टी० सी० के ट्रेण्ड लोग घर पर बैठे हैं ।.....

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, चिकित्सा व्यवस्था की हालत बहुत खराब है । गढ़मुक्तेश्वर में जो अस्पताल है उसमें न एक्सरे मशीन है, न स्टाफ है, स्टाफ हमेशा गायब रहता है । गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के नाम से एक मेला लगाया जाता है, वह मेला प्रान्त के गजट में नहीं आता । मान्यवर, पिछली सरकार ने बृजघाट को डेबलप करने का सपना दिया था, टण्डन जी और मिश्रा जी आरती करके वापस आ जाते हैं, इतना बड़ा धर्मस्थल है लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं रखा गयां है । वह कब तक पूरा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ।....

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करिये ।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, गन्ना की जो मिलें हैं वह प्रदूषण फैला रही हैं । सिम्भावली मिल का रसायनिक कचरा ऐसे ही छोड़ा जा रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है । उसका असर यह हो रहा है कि नलों का पानी पीने लायक नहीं रह गया है । नलों में रसायनयुक्त पानी आ रहा है । मिल पर काफी पैसा बकाया पड़ा है लेकिन मिल वाले पैसा नहीं देते हैं इसलिये भुगतान नहीं करते । अगर उनके ऊपर ब्याज लगा दिया जाये तो वह जल्दी भुगतान करेंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, शिक्षा की असमानता से सभी परिचित हैं, गरीब किसान के पास पैसा नहीं है तो वह अपने बच्चे का दाखिला इन्जीनियरिंग, मेडिकल में दाखिला कैसे ले पायेगा ? क्या इसका प्राविजन इस बजट में किया गया है ? इसी के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखी गयी बातों पर बल देता हूं ।

* श्री अमरजीत सिंह "जनसेवक"–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अपनी ओर से और सारे प्रदेश के विकलांगों की ओर से इस सरकार के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहूंगा । मेरे हाथ में जो पुस्तिका है, आजादी के बाद पहली बार यह पुस्तिका छपी है । माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, किसी को और किसी बजट में इस पुस्तिका को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है । यह सरकार दलित, शोषित, कमजोर और विकलांगों की हितैषी है । विकलांग कोई भी हो सकता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इस बात की गारण्टी नहीं है । विकलांगों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस बजट में समावेश है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिये । जब मैं गांव में गया तो पूछा गया कि क्या मुख्य मंत्री जी को विकलांगों के विषय में ज्ञान है, वहां चर्चा हुई, मैंने इस पुस्तिका को दिखाया । मान्यवर, इसके साथ ही मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं । चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग या उद्योग विभाग हो इनमें विकलांगों को अवसर देना चाहिये । कंडक्टर ऐसी पोस्ट है, जहां बैठकर टिकट बनाना होता है, इसी तरह से बुकिंग क्लर्क अपने स्थान पर बैठकर काम कर सकता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैकाले के जमाने के कुछ काले कानून बने हुये हैं उसके परिवर्तन की आवश्यकता है । मैं परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और आज उनसे फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम जैसे विकलांगों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस आर०टी०ओ० कार्यालय से प्राप्त नहीं होता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे जो गाड़ी हो ट्रैक्टर, बस, जीप चाहे कोई भी वाहन हो हम उसे चलाकर जहां कहिए वहां पर ले जा सकता हूं । लेकिन इसके बावजूद भी हमें लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है । हमें रोक लिया जाता है । एक दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा । उतरकर मैंने गाड़ी ली तो देखा कि चालक का एक हाथ नहीं था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास लाइसेंस है तो उसने कहा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैं हर गाड़ी चला लेता हूं लेकिन विडम्बना यह है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और यह लाइसेंस मुझे नहीं मिल सकता है । मैंने पूछा क्यों नहीं मिल सकता है ? वह बोला कि जब हम आफिस जाते हैं । एक बार मैं आफिस में गया था तब लाइसेंस बन गया था लेकिन जब मैं उस लाइसेंस को लेने गया तो कर्मचारी ने मेरी विकलांगता को देख लिया और फिर लाइसेंस नहीं बनाया । वह कहने लगा कि तुम विकलांग हो तुम गाड़ी कैसे चला सकते हो । मैंने पूछा कि कोई रोकता नहीं है तुम्हें गाड़ी चलाने से तो वह बोला कि रोकता है लेकिन यदि कोई नरम दिल का सिपाही होता है तो वह छोड़ देता है और अगर वह आम सिपाहियों जैसा होता है तो वह अपनी तरह से पेश आता है । वह उससे व्यवस्था के हिसाब से पेश आता है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर विकलांगों के इस सवाल पर अगर अभी इस सदन में वोटिंग करा लें तो सभी लोग इसके पक्ष में होंगे । इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय यहां पर नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आप भी हैं और नेता सदन भी हैं और मेरा सारे राजनीतिक दलों से यह अनुरोध है कि विकलांगों को भी लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में स्थान सुनिश्चित होना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी विकलांगों के लिए इस तरह का आरक्षण हो या नहीं लेकिन हम विकलांगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं । यह फैसला हम लोगों ने लिया और हम लोगों के बीच जाकर ही इस विधान सभा तक पहुंच सके हैं । एक समय की बात है जब मैं राष्ट्रीय विकलांग संघ का अध्यक्ष था इसके साथ ही मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्य संस्थाओं से जुड़ा भी था। एक हमारे यहां के जिलाधिकारी महोदय थे। मैं उनसे मिलने गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि उनसे मिलने अंदर ब्लाक प्रमुख चले गये। एम०एल०ए० भी मिलकर चले गये और उसके बाद एम०पी० भी उनसे मिलकर चले गये। कुछ देर बाद और लोग भी उनसे मिलकर चले गये तो मैंने पूछा कि यह कौन साहब मिलने चले गये ? तो जवाब मिला कि यह एम०पी० के साले साहब हैं। सवाल यह है कि विकलांग अंदर नहीं जा पा रहा है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अंदर जाने से पहले किसी विकलांग का लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा में पहुंचना जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम विकलांगों की लड़ाई लड़ेंगे। हम दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। वह लड़ाई है चुनाव लड़कर विधान सभा में पहुंचना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी को सारे विकलांगों की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आजादी के बाद पहली बार यह पुस्तक सदन में आई है। अपनी बात पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल कलाम (सन्त कबीर नगर)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस पूरे बजट पर लिखी किताब को पढ़ने से मुझे यह लगता है कि इसमें ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया है कि आज जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार बुनकर हैं जो अपनी भूख के लिए मर-मरकर जी रहे हैं। उनके लिए रोजी-रोटी से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज बुनकरों की हालत बहुत खराब है। आज बिजली की व्यवस्था बहुत दयनीय है। आज सूखा पड़ा हुआ है। सूत की कताई का कच्चा माल समयावधि की कोई व्यवस्था नहीं है। आज वह बेरोजगार हो चुके हैं। इसमें इन सबका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब हमारे नेता जी माननीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने अरवीदारों, को मान्यता दी या बुनकरों के लिए बहुत कुछ किया गया था। इस सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं सोचा। मान्यवर, आज बुनकरों के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। माननीय अधिष्ठाता जी आज जिस तरह से सड़कों पर हालात हैं, आज हर जगह कटौती हो रही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल में शुगर फैक्टरियों की हालत बहुत खराब है। चाहे वह खलीलाबाद शुगर मिल हो या पडरौना शुगर मिल हो उनकी हालत खराब है। इसी तरह से गोरखपुर का फर्टीलाइजर कारखाना बंद पड़ा है। मगहर की सूती मिल बंद है उसको ठीक कराकर चालू कराने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिये मुख्य मंत्री जी के बजट का मैं विरोध करता हूं और नेता प्रतिपक्ष ने बातें इस बजट के संबंध में कहीं हैं उन पर मैं बल देता हूं।

* श्री अनिल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कहना चहाता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर जहां से महात्मा गौतम बुद्ध का संदेश, उनका शान्ति का संदेश देश और विदेश में फैला। आज वहां की स्थिति यह है कि वहां 7 नदियां हैं जिनसे वह जनपद घिरा है। वहां की कृषि योग्य भूमि का 60–70 प्रतिशत भाग बाढ़ क्षेत्र है और वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है और न कोई फैक्टरी है और न इसके लिये किसी पैकेज की घोषणा की गयी है। आज जो भयमुक्त समाज की बात कही जा रही है तो भयमुक्त समाज जब तक नहीं होगा जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसी तरह से किसानों के लिये बीज खाद और सिंचाई की कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है। मान्यवर, वहां पर इंजीनियरिंग कालेज का पालीटेक्निक की कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इंजीनियरिंग कालेज और पालीटेक्निक की व्यवस्था का आश्वासन दें । वहां की बिजली व्यवस्था के बारे में मैं बिजली मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर गांवों के लिये 8 घंटे बिजली देना सुनिश्चित किया गया है लेकिन वहां पर बिजली ऐसे समय देना चाहिये कि बिजली के उपभोक्ता उसका उपयोग कर सके क्योंकि बिजली रात 2 बजे आयेगी तो उस बिजली का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा और गरीब किसानों को मिट्टी का तेल उपयोग करना पड़ेगा । इसलिये कहना चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था सुधारने के लिये जहां से पूरे देश और दुनियां को शान्ति का संदेश गया है उस स्थान की ऐतिहासिकता को देखते हुये वहां के लिये घोषणा की जाय । इन शब्दों के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो बजट के संबंध में कहा गया है उस पर बल देते हुये इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री राम किशुन–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं और पूरे सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर दिया । मैं जिस जनपद से आता हूं और जिस स्थान से आता हूं मुगलसराय जनपद चंदौली है इस बजट में जो क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही गई है । नेता सदन बैठी हुई हैं औद्योगिक इकाइयां लगाने की बात उन्होंने कही है । लेकिन एक औद्योगिक इकाई रामनगर जो है । जो हजारों एकड़ में है जहां कल कारखाने बन्द होते जा रहे हैं । दूसरी तरफ मान्यवर, किसानों की जमीन लेकर नई औद्योगिक इकाई लगाने की बता हो रही है व उन किसानों को जमीनों का मुआवजा भी ऐसे रेट पर दिया जा रहा है जो बाजार रेट से कम है । मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि पूर्वांचल में नक्सलाइट गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगी । इस बजट में उसके लिए क्या योजना बनाई गई है ? पूरा बिहार बार्डर जनपद चंदौली से लगा है । जो बार्डर नौगढ़ से जमनिया नक्सलाइट व बाढ़ से प्रभावित है । मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात को जानती हैं संसदीय कार्य मंत्री भी हमारे दरवाजे गए थे । कर्मनाशा पैकेज जो प्रस्तावित है उस पर विचार करें जो करोड़ों रुपए की योजना है । पूरी कर्मनाशा नदी पर बाड़ लगाने, पुलिस चौकियां बनाने, थानों की स्थापना आदि कार्य शामिल हैं । दूसरी बात से भपोलि पम्प नारायनपुर पम्प कैनाल है जो जनपद चंदौली ही नहीं गाजीपुर बार्डर तक जाती है । मिर्जापुर के श्री ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हैं हमारे किसी समय वह नेता रहे हैं । मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं । उनको भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक-एक पम्प जिनकी कार्यक्षमता 20 हजार घंटे थी वह 40 हजार घंटे चल चुके हैं जो 120 क्यूसेक पानी देते थे वह 90 क्यूसेक पानी दे रहे हैं ।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

20 एम०वी० ट्रांसफार्मर जो लगभग 6 करोड़ रुपए के होते हैं उसको बदलने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसान जब भयंकर सूखे में बरबाद हो रहा है जब किसानों को पानी चाहिए नरायनपुर पम्प कैनाल जो नावार्ड योजना प्रस्तावित में है मैं सरकार से मांग करता हूं कि 31 करोड़ रुपए उस नरायनपुर पम्प कैनाल के रख-रखाव के लिए उसका प्रस्ताव इस बजट में आना चाहिए । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मुगलसराय जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, भारत पेट्रोलियम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारखाना व कोयले का केन्द्र चन्धासी है वहां पंखे विद्युत का सब स्टेशन से जहां पूरे पूर्वांचल को बिजली दी जाती है लेकिन वहां मुश्किल से 8 घंटे, पांच घंटे व तीन घंटे बिजली भी नहीं दे पाते हैं । अध्यक्ष जी ऐसे स्थान पर जहां लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उनका जन्म स्थान राम नगर जो गंगा के कटान से पूरी तरह से बरबाद हो रहा है वहां लाल बहादुर शास्त्री का मकान भी जर्जर अवस्था में है बजट में कोई

प्राविधान नहीं है । मैं नेता सदन को इस बात के लिए खुले दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपने बजट भाषण में जो 9 अगस्त को उन्होंने पेश किया है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया ...

लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भी योजना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित परिवारों के लिये आपने इस बजट में की हो तो बतायें ? 9 अगस्त क्रांति का दिवस था और उसी दिन आपने बजट पेश किया है । देश की आजादी के लिये जिन लोगों ने कुर्बानी दी यह सोचकर कि इसमें दलितों, पिछड़ों, अगलों के साथ-साथ सर्व समाज की कल्पना की होगी । आप सर्व जन हिताय की बात करती हैं लेकिन इस बजट को देखने से ऐसा कुछ नहीं लगता है । जिस हरिजन और अनुसूचित जाति के विकास की बात आप करती हैं । अगर आप उनके बच्चों की पढ़ाई, लिखाई के लिये कोई बढ़िया कालेज की स्थापना प्रत्येक जिले में करते, उनके रहने के लिये हास्टल की व्यवस्था करते, गांवों के सुदृढ़ीकरण की बात करते । ऐसा कुछ नहीं किया गया । अम्बेडकर गांवों के नाम पर बहुत चर्चा हुई । अम्बेडकर गांवों के नाम पर धन का दुरुपयोग करने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है । जिनके लिये मकान बनाये जाते हैं पहले तो उनको मिलते नहीं है अगर दिये जाते हैं तो दीवारें खड़ी हैं लेकिन उस पर छत ही है । मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से इनके नाम पर जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोकें । बजट का 75 प्रतिशत नहीं यदि 50 प्रतिशत का भी सदुपयोग हो जाय तो प्रदेश का विकास हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम किशुन–

इस तरह से फिजूलखर्ची पर नियंत्रण करना होगा मान्यवर, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको इस फिजूलखर्ची पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं । जहां निचली जमीन है वह सूखे से बर्बाद हो गई है इस बार बरसात भी नहीं हुई है । मा० ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं वे भी जानते हैं मंत्री रह चुके हैं । वर्षा न होने के कारण से बांधों में पानी नहीं है नौगढ़ मिर्जापुर के बांधों को पानी गढ़ई नदी के माध्यम से चन्द्र प्रभा के माध्यम से पानी बहाते हैं । बंधों का रख-रखाव न होने के कारण टूट गये हैं । हमारा क्षेत्र जो कि धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है पानी न होने के कारण से बर्बाद हो जाता है । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि जो निचली जमीन है उनके पानी निकालने के लिए गढ़ई नदी की खुदाई करने का इंतजाम किया जाता । मिर्जापुर में हो गया है लेकिन चन्दौली में नहीं हुआ है । इसको गम्भीरता से लें । आज सूखे से पूरी फसल बर्बाद हो गई है । अगर थोड़ी सी वर्षा हो गई तो पानी निकासी न होने के कारण ताल डूब गये । क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने की बात कही गई है लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुत लम्बी-लम्बी बातें कह देने से विकास नहीं होता यदि दिल में इच्छा शक्ति पैदा हो जाय, लगन पैदा हो जाय तो प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी के भलाई के लिये कल्याण के लिये तो कार्य हो सकते हैं लेकिन सिर्फ राजनैतिक स्टैन्ट के लिये अच्छे नारों को बजट में शामिल कर लेने से, गांधी जी के अनुयाइयों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम ले लेने से, हरिजन, अनुसूचित जाति की भलाई का नारा लगा लेने से मेरे जैसे नौजवान समझते हैं कि प्रदेश का भला इससे नहीं हो सकता है ।

भला हो सकता है इच्छा शक्ति पैदा होने से । इच्छा शक्ति पैदा होती है जब नीति और नीयत साफ होती है और मन में विचारधारा ठीक हो जाती है । नेता प्रतिपक्ष ने बजट के विरोध में जो भाषण दिया है, उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि आइये हम सब लोग जब इस सदन में चौधरी चरण सिंह, गोविन्द बल्लभ पन्त जैसे लोग थे, और जब सदन में कोई बात कहते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी उसको गम्भीरता से सुनते थे । सत्ता पक्ष के लोग भी कह दें, तो थोड़ा विपक्ष के लोग भी ध्यान देते थे । थोड़ा विषय से बाहर जा रहा हूं । मैं बजट पर ही बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

बाहर न जायें ।

श्री राम किशुन–

हम सत्तापक्ष की भावनाओं की कदर करते हैं इमरजेन्सी में चौधरी चरन सिंह ने मजलूमों पीड़ितों के लिए एक घन्टे तक इस सदन में बोला उसको इस सदन ने गम्भीरता से सुना मैं राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं प्रतिपक्ष के कुछ सवाल अकाल के थे नौगढ़ में लोग मरे हैं अभी कह दिया जाएगा कि भूख से नहीं मरे हैं तीन महीने से नौगढ़ में गरीबी की रेखा से नीचे कोई कार्ड नहीं बना था और तीन महीने से राशन कार्ड पर कोई राशन नहीं दिया गया, वह परिवार जिसको सत्तापक्ष के लोग कहते हैं कि भूख से नहीं मरे हैं, तीन महीने से जिसके परिवार में अन्न न हो .....

श्री अधक्ष–

समाप्त करें ।

श्री राम किशुन–

इनके गोदामों में अन्न भरा पड़ा है लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है । मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं आप अपनी एजेन्सी से पता करायें, आपके पास हाथ हैं, लम्बे हाथ हैं आप जानकारी मंगा लें वह गरीबी से मरे हैं या भुखमरी से मरे हैं वह चकवे की पत्ती खाकर और मड़आ खाकर मरे हैं उन गरीबों के लिए बजट में कोई इंतजाम नहीं किया गया है । इस बजट के माध्यम से इस सामान्य चर्चा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जिन गरीब विधवाओं की बेटियों की शादी, दलितों की बेटियों की शादी हुई वह सदन बता दे किसी बेटी की, किसी दलित की बेटी की शादी में 10 हजार रुपया दिया गया हो, उन्होंने कर्जा लेकर बेटी की शादी की है, लगन निकल गई, जब कर्जा लेकर उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की है कहीं पैसा नहीं दिया गया है ।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाजें दिया गया है)

मैं इस सदन में कहना चाहता हूं गरीब की कोई जाति नहीं होती है गरीब बेटियों की कोई जाति नहीं होती है जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता है वह समझ सकते हैं गरीबी क्या होती है लेकिन जो एयरकंडीशन कमरों में बैठकर बजट बनाते हैं वह नहीं समझ सकते हैं कि गरीबी क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री राम किशुन–

मैं नेता प्रतिपक्ष तथा और साथियों ने जो बजट पर अपने विचार रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और यदि मेरी कोई बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सम्मानित सदस्यों से क्षमा चाहता हूं लेकिन जिसकी आवाज के लिए हमें भेजा गया है उस आवाज को उठाने के लिए हमें यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी तो भी हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो सूची है इसमें 32-33 माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले चुके हैं । मुख्य मंत्री जी को चर्चा का जवाब देना है स्वाभाविक है नेता प्रतिपक्ष के भाषणों में जो बिन्दु उठाए गए थे और माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में बिन्दु उठाए उसके उत्तर में कुछ समय लगेगा अभी कुछ दल के माननीय नेता शेष हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता शेष हैं, रामगोविन्द चौधरी जी शेष हैं, कई नये माननीय सदस्यों ने भाग लिया है कई माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है मेरा अनुरोध है अभी 70–80 विभागीय अनुदानों पर सोमवार से चर्चा होगी तो आज जिनको अवसर नहीं मिला है वह उसकी इस चर्चा में भाग लेने के निर्णय का भार पीठ को समर्पित कर दें विभागीय अनुदानों की मांग पर उनको अवसर दिया जाएगा जो हमारे माननीय नये सदस्य हैं और पुराने सदस्यों को भी मैं समझता हूं कि दल के कुछ नेतागण बोल लें । अनुरोध केवल इतना है कि प्रयास यह करें कि जल्दी समाप्त करें । लगभग चार बजे मुख्य मंत्री जी का भाषण प्रारम्भ हो जाय यह प्रयास करें तो अच्छा रहेगा ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । श्रीमन्, यह सामान्य बजट पर जो चर्चा हो रही है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को पढ़ा, उसको देखने के बाद बड़ी निराशा हाथ लगी । मान्यवर, 2002-2003 में नौ सौ उनसठ करोड़ छियासठ लाख (959.66 करोड़) का भारी घाटा दिखाया गया है । 2002-2003 में प्राप्तियां अनुमानित 31370.86 करोड़ राजस्व एवं 21,286.30 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं । दूसरी ओर 54,903.81 करोड़ अनुमानित है । समेकित निधि से यदि कुल व्यय घटाया जाय तो 2002-2003 में यह घाटा 2264.81 करोड़ का हो जायेगा । मान्यवर, इस सदन में घाटे का बजट प्रस्तुत हो रहा है । इस बजट की जो कापियां वितरित की जाती हैं, जो आंकड़े हैं वह जनता की समझ में तो दूर, जो इस सदन के चालीस प्रतिशत सदस्य हैं वह इन आंकड़ों के भ्रमजाल को समझ नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है कि प्रदेश का घाटा पूरा नहीं होगा । तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस बजट को तिलाजंलि देकर शून्य आधारित बजट इस प्रदेश में प्रस्तुत किया जाय ? क्योंकि घाटा तो होगा, यह सरकार इस घाटे को पूरा कहां से करेगी ? कोई नया कर नहीं बढ़ाया गया है और यह तजुर्बा हो गया है कि सरकार बजट पेश करते समय कोई कर नहीं लगाती और जब वह पेश हो जाता है तो परिवहन पर, मनोरंजन पर, कृषि पर, डीजल पर कर बढ़ाकर अपनी राजस्व प्राप्ति करते हैं लेकिन उसका बजट में प्राविधान नहीं करते । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जनता यह समझ बैठी है कि इतने घाटे में बजट पेश हुआ है, केन्द्र की सहायता पर निर्भर है अपना कुछ नहीं है । तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भू-राजस्व प्राप्तियां 31,371 करोड़ रुपये की है और मोटा खर्चा लिया जाय तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्मचारियों के वेतन पर 7081 करोड़ और दूसरे लाभों पर खर्च है 2061 करोड़ मान्यवर, ब्याज का भुगतान है 9737 करोड़ रुपये । शिक्षकों के वेतन पर 5,950 करोड़ रुपये पंचायतों की व्यय राशि पर 1080 करोड़ रुपये, सरकारी अनुभागों का सामान्य अधिष्ठान व्यय 500 करोड़ रुपये । यह सब मिलाकर जो खर्चा है वह इनकी प्राप्तियों से ही अधिक है । जितनी इनकी प्राप्तियां हैं उससे जब खर्च अधिक है तो प्रदेश का विकास फिर कैसे होगा ? केन्द्र सरकार के कर्जों से । सरकार इस वित्तीय वर्ष में कर्ज के रूप 21,268 करोड़ रुपये मिलने की सम्भावना है । इसमें 13,109 करोड़ रुपये मूलधन की वापसी में खर्च हो जायेंगे और बाकी बचेंगे सिर्फ 8100 करोड़ रुपये उसमें इनको प्रदेश का विकास करना है इसलिए मैंने कहा था कि यह जो घाटे का बजट पेश करने की परम्परा है क्यों न इसको समाप्त करके शून्य आधारित बजट शुरू किया जाये और उसका लेखा-जोखा रखना शुरू कर दिया जाये जिससे जनता उसे समझ सके ।

मान्यवर, 5000 रुपये प्रति बच्चा जब पैदा होता है तो उस पर कर्जा चढ़ जाता है । इतने बड़े कर्ज की धनराशि जनता पर है तो विकास की बात हम कैसे कर सकते हैं यह सम्भव नहीं है । मान्यवर, सम्भवतः माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गरीब और पिछड़े इलाके पूर्वांचल के विकास के नाम पर एक पूर्वांचल विकास निधि स्थापित की थी जिससे वहां पर स्कूल, सड़क, पुलिया, अस्पताल बनाने का काम होता था इस सरकार ने उस निधि को समाप्त करने का काम किया है । मान्यवर, आप भी वहीं के हैं आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई में बलिया, इलाहाबाद, गाजीपुर, बनारस और गोरखपुर का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है और हिन्दुस्तान में जब सरकारें बनी थीं केन्द्र और प्रदेश में तब से पूर्वांचल लगातार पिछड़ता गया । उसके विकास के लिए जो विकास निधि स्थापित हुई उसको इन्होंने समाप्त कर दिया ।

मान्यवर, आज किसानों की हालत किस तरह सुधरेगी ? किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता है सिंचाई और बिजली की, नहरों की आज क्या हालत है ? दस वर्षों से नहरों में सफाई नहीं हुई है । सिल्ट जमा है । जो पानी चलता है वह नहरों में छिर-छिर कर के बाहर चला जाता है । टेल तक पानी पहुंचाने का आज तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है । बिजली के मामले में बलिया को आप ले लें दोहरीघाट सहायक परियोजना में सात पम्प लगे हुये हैं । बिजली के अभाव में पूरे सूखे के दौरान केवल दो पम्प चले । बाकी पम्प खराब हैं । वहां 60 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं और जो चालू भी हैं उनको बिजली नहीं मिल पाती है कि वह चल सकें । किसान कैसे सिंचाई करेंगे । आज अकाल पड़ा हुआ है खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है । जहां तक अनुमान है कि अगर अच्छी बारिश अभी भी नहीं हुई तो रबी की बुवाई भी इससे प्रभावित होगी । इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं के बजट के आंकड़ों के जाल में प्रदेश की जनता को फंसा करके उनके विकास को अवरुद्ध करने की बात को छोड़कर, एक ऐसी निधि की व्यवस्था की जाये जिससे प्रदेश का विकास हो सके । बलिया में उद्योग के नाम पर केवल तीन चीजें हैं चीनी मिल, सूत मिल और डेरी ।

मान्यवर, इसकी स्थापना बलिया जनपद के पिछड़े किसान और गरीब लोगों के लिए की गयी थी कि वह अपने दूध को समितियों के माध्यम से बेचकर अपने परिवार का जीवनयापन करेंगे उसको सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उस डेयरी को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में ले लिया और उसको बन्द करा दिया है और कम से कम 40–45 लाख रुपया का बकाया आज भी उन दूध के किसानों पर है और डेयरी बन्द है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डेयरी बन्द, सूती मिल बन्द और चीनी मिल बन्दी की कगार पर, प्रदेश में सब जगह ऐसी स्थिति है । सारे उपक्रम घाटे में आ चुके हैं और कुछ को बन्द करने के उपाय किये जा रहे हैं उनको सहायता देकर चालू करने का कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है और सरकार केवल बजट पेश करके अपनी इतिश्री पूरी कर लेने की फिराक में है । इसलिये मैं कहना चाहता

हूं कि अगर यह सरकार इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है तो जो मूलभूत समस्याएं हैं इस प्रदेश की सिंचाई, स्वास्थ्य, किसानों की समस्यायें, छात्रों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उससे लड़ने के लिए सरकार ने कोई कारगर उपाय इस बजट में नहीं किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अलग से कोई व्यवस्था कर केन्द्र से काफी पैसा मांग करके इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें अन्यथा यह प्रदेश बरबादी की कगार पर पहुंच जायेगा । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । [× × ×]

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं । मैं पहली बार इस सदन में आया हूं । मैं नेता सदन सहित नेता प्रतिपक्ष और सभी सीनियर सदस्यों को अभिवादन करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह पूरी तरह से व्यक्तिवादी बजट है और इसमें किसी भी तरीके से जनता को लाभ नजर नहीं आता । अतः यह पूरी तरह से जनविरोधी बजट है और इसमें कहीं से भी जो हमारे आम उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा हम यहां निर्वाचित होकर आये हैं उनकी भलाई की बात नजर नहीं आती है । मान्यवर, यह जो बजट है जिसमें दिया गया है बिजली के ऊपर व्यवस्था । माननीय अध्यक्ष जी, हम जब क्षेत्र में जाते हैं अपने चुनाव में वायदा करते हैं उसमें सारे सम्मानित सदस्य हैं, हम बहुत बड़े-बड़े वायदे करके आते हैं कि हम यहां से जाने के बाद सरकार में आपकी बात को रखेंगे दमदारी से और आपकी सुविधा आपको पहुंचेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आज इस बजट में 18 घण्टे बिजली दी जाने की बात की गयी है । मैं पूरे विश्वास और आत्मबल के साथ कहना चाहता हूं कि 18 घंटे बिजली किसी भी ग्रामीण इलाके में नहीं दी जा रही है । शहरी इलाके में 18 घंटे बिजली दी जा रही है लेकिन यह जो हमारा प्रदेश है उसका निर्माण ग्रामीण इलाकों से हुआ है । जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो जितने भी माननीय सदस्य हैं यह भी खुशहाल नहीं रहेंगे, इसलिये उनकी मूल भूत समस्याओं पर विचार करना चाहिये । बिजली की समस्या है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । इसके लिये जो बिजली इम्पलाई हैं वह दोषी हैं । बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से लेकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक सभी की इनकम 1 लाख से 10 लाख तक है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक कमेटी बना करके जितने भी जूनियर इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता हैं उनकी चल और अचल सम्पत्ति की जांच करा कर बिजली घाटे को पूरा किया जाये । जो लाइट फैन है । कनेक्शन धारक हैं उन्होंने इसलिये कनेक्शन ले रखा है कि हमारे बच्चे पढ़ें अपना भविष्य उज्जवल करें । जितने भी कनेक्शन धारक हैं किसी को भी 10 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है । मैं मांग करता हूं कि जितने भी लाइट फैन कनेक्शन धारक हैं उनको शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली उपलब्ध करायी जाये । जहां पर पावर कनेक्शन हैं वहां 8 घंटे बिजली पावर के रूप में दी जाये । जहां तक कृषि का सवाल है कृषि के नाम पर कोई भी उपाय नहीं किये गये हैं । इस बजट में यदि किसान को खुशहाल करना है तो मुफ्त बीज, पानी आदि की व्यवस्था करायी जाये ताकि किसान खुशहाल हो सके और हम भी खुशहाली की तरफ चल सकें । मैं वाराणसी जिले की उस विधान सभा सीट से निर्वाचित हो करके आया हूं जहां से राजनरायन जी निर्वाचित होते थे । जब राज बिहारी सिंह विधान सभा सदस्य थे उस समय से आज तक

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है । मेरे क्षेत्र वहां कुरौत बाजार के पास में वरुणा नदी है । वहां पुल नहीं है । मैं मांग करता हूं कि वरुणा नदी में पुल बना करके उसे जौनपुर मार्ग से जोड़ दिया जाये, इससे पूरे विधान सभा क्षेत्र और वाराणसी जिले का विकास होगा । मैं मांग करता हूं कि उस सड़क को बनाया जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहता हूं कि 4.15 बजे से नेता सदन बोलें । अभी 10-15 मिनट का समय है 5 मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर लें और 5 मिनट में तिवारी जी अपनी बात समाप्त कर लेंगे ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

आज आप जितना समय देंगे उससे एक मिनट कम में मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के हृदय प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2002-2003 का बजट चर्चा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, विगत 5 दिनों से इस चर्चा के लिये समय नियत है । जितनी चर्चा होनी चाहिये थी कदाचित उतनी चर्चा नहीं हो पायी । बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिन विद्वान सदस्यों ने अपने सुझाव, प्रदेश की समस्याएं रखने का प्रयास किया है उससे अलग कोई बात कहने की गुंजाइश ही नहीं है । मैं अत्यन्त संक्षेप में आपके निर्देशानुसार सिर्फ 2-3 बातों की ओर आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहूंगा और नेता सदन, जिन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे इन सुझावों को अगर वह शामिल कर सकें, इस प्रदेश की आगे ली जाने वाली योजनाओं के लिये, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का भला हो सकेगा और यही हमारा योगदान हो सकेगा । प्रदेश की गम्भीरतम समस्याओं से, इस प्रदेश को निकालने की दिशा में गम्भीर प्रयास इस बजट में नहीं किये गये हैं, यह मैंने आलोचना के लिये बात नहीं कही है, बल्कि मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि जिन समस्याओं का जिक्र माननीया मुख्य मंत्री, नेता सदन ने किया है । मैं इसके लिये इनको बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता की और इस अत्यन्त गम्भीर समस्या का इन्होंने उल्लेख किया है कि हमारा प्रदेश ऋण के भंवरजाल में बुरी तरह से फंस गया है । प्रत्येक वर्ष किस तरह ऋणों का बोझ बढ़ता जा रहा है । मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि वर्ष 95-96 में माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में कितना ऋण था और अब कितना हो गया, लेकिन यह सही है कि यह ऋणग्रस्तता लगातार बढती जा रही है । अगर राजनीतिक आलोचना की दृष्टि से कोई बात हम करेंगे तो बातें दूसरी होंगी, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आयेंगे तो जिस ऋणग्रस्तता के मार्ग पर हम चलते जा रहे हैं, उसका दूसरा कोई उपाय हो भी नहीं सकता । यह मैं स्वीकार करके अपनी बात रखना चाहता हूं । सिर्फ आंकड़ों के जाल में जाने का कोई फायदा नहीं है । आधारभूत ढांचा, जिससे विकास के कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं, उस दिशा में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं रह गई है । घाटे का बजट जिस स्तर पर आकर कराह रहा है, उसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था, आने वाले वर्ष में बिजली उत्पादन की कोई व्यवस्था, हम चाहें जितना उलट-पलट कर लें, चाहे जितना तड़फड़ा लें, विद्युत आपूर्ति ज्यादा करने के लिये कोशिश कर लें, क्योंकि जब तक विद्युत का उत्पादन नहीं होगा तो बिजली की समस्या अकेली ऐसी समस्या है, जैसे बीमारियों में डायबिटीज का रोल है, अगर किसी को डायबिटीज हो गई, तो फिर उसको सारी बीमारियां हो सकती हैं । उसी प्रकार बिजली की कमी हो गई तो इस प्रदेश में विकास के मोर्चे पर पिछड़ते जाने की बीमारी में जितनी वृद्धि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो सकती है, वह होती चली जायेगी, उस पर कोई रोक नहीं लग सकती । आपकी कुछ मजबूरियां रही होंगी । आपने उसी में इस बजट को बनाने का प्रयास किया होगा ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 14 वीं विधान सभा का यह पहला बजट सत्र है, लेकिन इसे एक चुनावी बजट की तरह से बनाने का काम किया गया है । पता नहीं क्या आशंकायें मन में हैं । इस बार कम से कम थोड़ा सख्ती की जा सकती थी, सरकार के पास ऐसा करने का अवसर था । अपनी उन योजनाओं को ठीक से पूरा करने के लिये कुछ कठोर निर्णय लेते तो प्रदेश की जनता को समझा पाने का अवसर होता । लेकिन इसे सिर्फ लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ अच्छे-अच्छे नारे, कुछ अच्छे-अच्छे शब्द बार-बार दोहरा दिये गये और कदाचित एक बात का प्रयास किया गया कि जो हमारा वोट बैंक है,उसी को समझाने की दिशा में प्रयास किया गया है । इसकी संरचना में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि बिगड़ी हुयी सड़कों का क्या होगा, ध्वस्त हो चुकी सिंचाई व्यवस्था का क्या होगा, अलाभकारी खेती को सुधारने के लिये क्या होगा, बिजली के उत्पादन के लिये क्या होगा, इस तरह के कोई प्रयास आपने इस बजट भाषण में नहीं किये हैं । मैंने इस पुस्तिका को पूरी तरह से देखने का काम किया है, कहीं भी इसका जिक्र इसमें नहीं आया है श्रीमन्, इस प्रदेश में पूर्वांचल से ज्यादा और थोड़े मामलों में बुन्देलखण्ड से ज्यादा क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम मीमांसा करें तो कोई दूसरा इलाका पिछड़ा हुआ नहीं है और उनके विकास के लिये पूर्वांचल निधि की जब स्थापना की गई थी मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा हो सकता है इस पर किसी को नाराजगी हो, मात्र 12 करोड़ रुपये श्री मुलायम सिंह यादव ने किया था उसकी पूर्ववर्ती सरकारें जितनी थीं चाहे वह रामप्रकाश गुप्ता जी की हो, राजनाथ सिंह जी की हो या मुख्य मंत्री मायावती जी की हो । जितनी भी सरकारें आयीं उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और धीरे-धीरे विकास निधि की राशि बढ़ती गई लेकिन पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के साथ जो कुछ किया गया इस बजट में वह उचित नहीं था, माननीय नेता सदन को पुनः विचार करना चाहिये और पूर्वांचल विकास निधि को अधिक बढ़ाकर के इस पिछड़े हुए इलाके को विकास के अधिक अवसर देने चाहिये । मान्यवर, बेरोजगारी राष्ट्रव्यापी समस्या है । प्रदेश अकेले इसमें बहुत कुछ कर सकेगा, चाहे जिस तरह के प्राविधान बनाये जायं यह मैं नहीं मानता हूं और न मैं अकेले इसका दोष मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं, लेकिन इस दिशा में सोचने का भी कष्ट, अपनी दृष्टि को उस तरफ ले जाने का भी काम आपने नहीं किया । आपको सिर्फ नारों के लिये ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक आवाजों का जवाब देने के लिये ही नहीं बल्कि इस बदहाल हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिये, उस दिशा में सोचना चाहिये । मेरा समय हो रहा है इसलिये चार वाक्यों में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा । आज जो असंतुलन है, सामाजिक दृष्टि से जो असंतुलन है, क्षेत्रीय दृष्टि से जो असंतुलन है, मान्यवर इस प्रत्येक दृष्टियों से जो असंतुलन आपके बजट में है, उसे दूर करने का प्रयास किया होता । इसी के साथ चार पंक्तियों में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :–

"जिन्हें प्यास कम है, उन्हें दमबदम,
जिन्हें प्यास है, उन्हें कम से कम,
साकिया तेरी बज्म का ये,
उसूल है कि मजाक है ।"

मान्यवर, मेरी नजर जहां तक दौड़ जाती है वहां तक नाइन्साफी की गुहार ही नजर आती है । इसी के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों के

द्वारा जो प्रदेश के विकास में जो बातें कहीं हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे आलोचना के रूप में नहीं बल्कि एक सुझाव में ले करके इसे ठीक करने का काम करेंगी । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी थोड़ा आपके समय में कटौती हो गई है, मुझे विश्वास है कि आप अपनी आधी बात शब्दों में और आधी इशारों में कर लेते हैं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं कि जो मुझे आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, बजट तो सामान्यतः 12 महीने का होता है । यह पहले से ही आधा-अधूरा बजट है । इस 6 महीने के बजट पर मजबूरी समझ सकता हूं कि सरकार का गठन विलम्ब से हुआ है । मान्यवर, एक परम्परा पड़ गयी है कि वार्षिक बजट समय से नहीं दे पाते हैं । भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, इन 4-5 सालों पर नजर डालें तो कभी होली, दीवाली, कभी कुम्भ । कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार के रहते हुए भी बजट समय से नहीं आया । यह एक गलत परम्परा है । मान्यवर बजट पूरा का पूरा एक बार का एक साथ प्रस्तुत करना चाहिये । जब भी ब०स०पा०, भा०ज०पा० के साथ सरकारी बनाती है तो कभी पूरे वर्ष का बजट पेश करने का मौका ही नहीं मिलता है । पहली बार भी वही हुआ दूसरी और तीसरी बार भी पूरा बजट नहीं आ पाया । इनका साथ आपके लिये अच्छा नहीं है । मान्यवर, मैं सोच रहा था कि यह बजट 9 अगस्त को प्रस्तुत हुआ है । 9 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, दिन है, जिसे क्रान्ति दिवस के रूप में भी जानते हैं । इसी दिन ग्वालियर टैंक बम्बई में पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए करो या मरो का नारा दिया गया था । मैं सोचता था कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया उनके लिये इस बजट में विशेष व्यवस्था होगी । मैंने इस बजट पुस्तिका को पूरा पढ़ा लेकिन इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, न उनकी पेन्शन बढ़ायी गयी है और न ही कोई और सुविधा बढ़ायी गयी है । काश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कुछ होता तो इस तिथि का पूर्ण उपयोग हो सकता ।

मुझे इस बात का दुःख है और मैं मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाकर आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें । मान्यवर, पिछले वर्ष के बजट पुस्तिका के पृष्ठ–48 पर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जिक्र किया गया था लेकिन इस बार 'जवाहर' शब्द गायब है । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता का नाम हटा दिया गया है । पं० जवाहर लाल जी को किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है अगर तकनीकी कारण से ऐसा नहीं हुआ है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाये । यह कैसे रह गया, इसको देख लिया जाये । इस वर्ष की बजट पुस्तिका के पृष्ठ 46 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का नाम दिया गया है । मान्यवर, यह लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण जी का शताब्दी वर्ष था, मैं मान रहा था कि उनके लिये अलग से कोई व्यवस्था करके समग्र क्रान्ति के नायक के प्रति शायद सरकार श्रद्धांजलि अर्पित करे लेकिन कोई जिक्र नहीं है । 23 दिसम्बर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया गया था लेकिन इसके लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है । लोकदल के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्हें जरूर कोई प्रयास करना चाहिये । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुये अपने विचार रखना चाहता हूं, मैं उन्हें हृदय से बधाई दे रहा हूं । जो हम कहते थे वह आपने लिखकर दिखा दिया, जब आप इधर बैठती थीं तो यह कहती थीं, मुख्य मंत्री के रूप में उसे इन्होंने भुलाया नहीं । समाजवादी पार्टी भी इस बात को कहती थी लेकिन मेरे कहने का जो मतलब था वह उनके कहने का नहीं था । इस बजट पुस्तिका के पृष्ठ–3 पर देखिये । जिसमें कहा गया है कि माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष मैंने वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत किया था जो नवम् पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था । आज मैं पांच वर्ष बाद पुनः दशम् पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं । इस पांच वर्ष के अन्तराल में उत्तर प्रदेश में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक स्वरूप में हमारे सामने उभरी है, जिसकी चर्चा मैं यथा स्थान करूंगी । मान्यवर, यही तो मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को आर्थिक दिवालिये पर पहुंचा दिया । इसको मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया इसके लिये कोटि-कोटि बधाई देना चाहता हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बैठे हुए हैं । उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये । यह प्रमाण-पत्र मैं नहीं बल्कि स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी दे रही हैं । मैं अब आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो बातें यहां पर हमारे नेताओं और नये माननीय सदस्यों ने पहले ही कह दी है । परन्तु एक चिन्ता का विषय है । मान्यवर, केन्द्र में भा०ज०पा० की सरकार है । वहां पर वह 5 सालों से हैं । क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष जो सहायता मिलती थी उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है उसमें कमी होती जा रही है । आप देख सकते हैं कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जिनकी आमदनी बढ़ती चली जा रही है और आपकी कम होती चली जा रही है । केन्द्र से प्रदेश को मिलने वाली प्रतिवर्ष धनराशि का अंश 16 प्रतिशत था जो कि अब घटकर 7 प्रतिशत रह गया है । यह अब आधा रह गया है । इसका मतलब यह हुआ कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र से जो मिलता था अब उसका आधा भी नहीं मिलता है । आप अपने लिये तो बहुत ले लेते हैं अब कृपया प्रदेश के लिये भी तो ले लीजिये । अगर आप नहीं दिलवा सकते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश के साथ विश्वास घात कर रहे हैं । मान्यवर अब मैं राजस्व व्यय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । पहले राजस्व व्यय 82.7 प्रतिशत था अब वह बढ़कर 91 प्रतिशत पर आ गया है । पहले विकास पर 18 प्रतिशत खर्च होता था अब केवल 7.8 प्रतिशत खर्च हो रहा है ; पैसा कम हो रहा है । दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । जब पैसा ही नहीं होगा तो आप विकास कहां से करेंगे । दूर देश से आवाज आती है तो आप सुनते हैं । हिन्दुस्तान में कोई कुछ कहे आप कुछ नहीं सुनते । भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं सुनती जब तक अमरीका कुछ न कहे । अभी न्यूयार्क ने कहा है, यूनीसेफ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा से पीछे रह गया है । मान्यवर, उड़ीसा में तूफान आया था, कितनी बर्बादी हुई थी लेकिन उसके बाद भी हम उससे पीछे चले गये । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को उसको ओहदा, उसकी हैसियत बता दी । मैं आपका ध्यान बजट भाषण के पृष्ठ संख्या–5 पर दिलाना चाहता हूं । "उत्तर प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है" । कौन जिम्मेदार है इसके लिये । पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को 16वें स्थान पर ले आये हैं । मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस तबाही की जिम्मेदारी आपकी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर मेरी कोई बात सत्य से परे हो तो कोई बीच में बोले लेकिन अगर बेवजह ही बोलेंगे तो मैं भी इन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता हूं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह सदन चले, मैं चाहता हूं कि प्रदेश की इस स्थिति के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी आलोचना करनी चाहिये। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े रख देना चाहता हूं। आपने जो 959 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है यह सही नहीं है। मान्यवर, जो समेकित निधि है उससे घाटा 2264.81 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार आरम्भिक शेष 776.81 करोड़ हैं। अगर इसमें लोक लेखा को न जोड़ा जाय तो वास्तविक घाटा 3041.62 करोड़ है। इसी तरह से आपने लोक लेखा से पैसा ले लिया। लोक लेखा से पैसा लेना एक गलत परम्परा है जो इस प्रदेश के लिये उचित नहीं है। प्रदेश के आर्थिक विकास और प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है। लोक लेखा से पैसा लेकर घाटा कम दिखाना वास्तविकता पर पर्दा डालना है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 1387.42 करोड़ रुपये कम है लेकिन यह दुखद है। मान्यवर, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी राज्य की, देश के अनुपात में 41 प्रतिशत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह 3 प्रतिशत थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें इजाफा करना पड़ेगा वरना दिक्कत आयेगी।

उत्तर प्रदेश में जो आज का बाजार भाव है वह औसत 9721 है जबकि राष्ट्र का औसत 16487 है। इसको देखने से पता चलता है कि हम राष्ट्र के औसत के हिसाब से आधे हैं। यह अत्यन्त दयनीय स्थिति है इसको सुधारना होगा और कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 8 प्रतिशत निर्धारित है लेकिन कैसे उसको आप पायेंगे इसमें संदेह है। यह जो आपने कृषि में 5.17 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र में 12.36 प्रतिशत और अन्य क्षेत्र से 8.06 प्रतिशत रखी है इसको आप पायेंगे इसमें मुझे संदेह है। मान्यवर, इसी तरह से राजस्व घाटा हमारा तेजी से बढ़ रहा है। 2000-2001 में यह 6289.31 करोड़ रुपये था। 2001-2002 में यह 7756.75 करोड़ हो गया और 2002-2003 में यह 5275.60 से बढ़कर 8000 करोड़ रुपये होगा। इसी तरह से राजकोषीय घाटा 9744.18 करोड़ रुपये के आसपास हो रहा है जो बढ़कर 14000 करोड़ रुपये संभावित है। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। प्रतिदिन के आंकड़े अगर देखे जायं तो प्रदेश का राजस्व घाटा प्रतिदिन 29 करोड़ रुपये हैं और जो राजकोषीय घाटा है वह 38.35 करोड़ रुपये प्रतिदिन है। यह बहुत चिन्ता का विषय है इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि जो सच्चाई है उसको समझें और ठोस कदम उठायें। मान्यवर, यह बात तो समझ में आती है कि पैसा नहीं है लेकिन यह ज्यादा चिन्तनीय है कि जो पैसा केन्द्र से मिला है उस पैसे का उपयोग भी यह नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, 1997-98 में आप रहे होंगे आपको उस समय मिला 6486.34 करोड़ रुपये और आपने खर्च किया 5037 करोड़। इसी तरह से 98-99 में आपको 9234 करोड़ रुपया मिला और आपने खर्च किया 5648 करोड़ रुपये। इसी तरह से 1999-2000 में आपको 58587 करोड़ मिला लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर पाये। 2000-2001 में आपको 84000 करोड़ रुपया मिला और आपने खर्च 66046 करोड़ रुपया किया। अगर आप लायक होते तो जो पैसा आपको मिला था उसको आपने खर्च किया होता। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आप लायकदार हैं या नहीं। मेरा कहना है कि आप लायकदार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षिप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इतना तो मैंने अपनी तरफ से बोला है अब 5 मिनट में आपकी तरफ से बोलना चाहता हूं।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

सारा समय तो पर्चियां देखने में निकल गया।

श्री अध्यक्ष–

पर्चियां तो यूनीवर्सिटी के इम्तहान में चलती हैं।

एक सदस्य–

इनकी पुरानी आदत है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह प्रदेश ऋणग्रस्त होता चला जा रहा है। जरा आप बानगी देखिये। वर्ष 2002 में 83401.35 करोड़ रुपये का कर्ज था जिसके हिसाब से प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर यह कर्ज रु० 5312 आता है। जितने लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन पर 5312 का कर्ज है और जो इस समय पैदा हो रहे हैं उन पर लगभग 5678.32 रुपये का कर्ज आ रहा है। इस कर्ज की वजह से विकास खत्म हो जाएगा हम विनाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मैं विकास दर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य था 7 प्रतिशत, मिला 5.1 प्रतिशत 10वीं पंचवर्षीय योजना मे 8 प्रतिशत कहां से लाएंगे। कर्नाटक में विकास दर 7.6 प्रतिशत हो गई गुजरात में 7.2 प्रतिशत, पंजाब में 4.7 प्रतिशत और आपकी 3 प्रतिशत है यह अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं कमी में सुधार करना पड़ेगा। राजस्व घाटा बढ़ता चला जा रहा है निःसन्देह इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सब बातों के अलावा एक बात और जरूरी है जो पैसा मिला था वह खर्च नहीं हो पाया मिला भी किस मद में योजनागत मद में खर्च किया गैर योजना गत मद में यह उचित नहीं है। सिर्फ बानगी दे रहा हूं इससे ज्यादा वित्तीय कुप्रबन्धन नहीं हो सकता है। वर्ष 2001-2002 में 10,042 वर्ष 2002-2003 में 9,129 करोड़ यह कमी आई है। अगर योजनागत व्यय में कमी लाएंगे तो मंहगाई बढ़ेगी लागत बढ़ गई है तो हम उसको काट देंगे यह मानकर चलना चाहिए।

आपकी योजनागत व्यय में कमी हो रही है इससे विकास में कमी होनी है। यह आपके आंकड़े कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि पूरे बजट में मात्र 16.6 प्रतिशत योजनागत व्यय है। नान प्लान एक्सपेंडीचर में 28.4 प्रतिशत है। कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा कैसे विकास की ओर आगे बढ़ेंगे ? पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण एवं अग्रिम की व्यवस्था वर्ष 2001-2002 में 1140 करोड़ अब 1046 करोड़ रुपये एक तरफ सब चीजें बढ़ती जा रही हैं लेकिन यह घटती जा रही है योजनागत मद में कमी करते जा रहे हैं यह प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वर्षा जल प्रबन्धन, सूचना प्रोद्योगिकी, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, मध्यांचल विकास निधि का कोई जिक्र नहीं किया। अगर हो तो स्पष्ट कर दीजिए। यह सारी चीजें हैं। हमारे सचिवालय के सुरक्षा कर्मी हैं वह आपके अधीन काम करते हैं पुलिस के समकक्ष उनके प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए कुछ न कुछ इसमें होना चाहिए था अगर नहीं है तो करना चाहिए। समय की कमी है मुख्य मंत्री जी को बोलना है। जो बातें हमने कहीं हैं वह आलोचनात्मक नहीं

हैं उनमें सुझाव हैं । मैं उन सुझावों को रखते हुए अपनी आलोचना पर बल देते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्ष जब टंडन जी थे उस समय आपने प्रदेश चलाया उसके बारे मे मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है थोड़ा बहुत उस पर बोल दें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल और सभी माननीय नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनमें थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहता हूं । एक पुरानी पहेली जो आज़ तक हल नहीं हो पाई है । एक महान गणितज्ञ जो अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे थे उनको नदी पार करना था तो उन्होंने कहा कि नाव में पैसा खर्च करने के बजाय पता लगा लिया जाए नदी कितनी गहरी है नदी का औसत उन्होंने निकाला उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों का औसत निकाला उन्होंने सोचा कि परिवार की ऊंचाई का औसत ज्यादा है इसलिए वह परिवार के साथ नदी पार कर गए । बाद में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बचे और उनकी पत्नी उन्होंने सोचा औसत निकला ज्यों का त्यों आखिर कुनवा डूबा क्यों ? मान्यवर, वह पहेली जो है वह प्रमोद तिवारी जी.....

(माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी जैसे गणितज्ञ आज भी उसी तरह की बात करते हैं । औसत निकाल कर डूब जाना पसन्द करते हैं बजाय इसके कि नाव लेकर किनारे चले जायं । बजट हमारे सम्पूर्ण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था नहीं है । यह तो उसका एक दिग्दर्शन है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं । शायद आपको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे संशोधन भी हैं जो बजट में नहीं आ पाते हैं लेकिन वह हमको प्राप्त होते हैं । आप ही कह रहे थे कि जो केन्द्र से हमको अंश मिलता है, कम हो रहा है । आपको जो पर्चियां दी गई हैं, जिनसे नकल करके आप बता रहे थे हालांकि नकल बन्द हो गयी है फिर भी आप पर्चियों से कर रहे थे और बता रहे थे कि इतना आपको मिला और इतना आपने खर्च किया । आप पूरा खर्च भी नहीं कर पाये । दोनों में एक सत्य है । या तो पैसा हमको ज्यादा मिला, या हम पूरा खर्च नहीं कर पाये । कुछ तो है । इसीलिये मैं आंकड़ों की बात पर नहीं जाना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें एक दिशा निर्देश है कि प्रदेश किधर ले जाना है । जिस तरह से इस सरकार को कहा जा रहा है यदि उस धर्म का पालन सबने किया होता तो इस प्रदेश का नक्शा ही दूसरा होता । हर सरकार का लक्ष्य यही रहा है कि समाज के अन्तिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए । जो योजनाएं उनके विकास के लिये हैं, उन पर धन खर्च होना चाहिए । मान्यवर, व्यथा होती है बहुत जब यहां पर बैठे लोग, ग्राम्य विकास में अम्बेडकर गांव के नाम के ऊपर खड़े हो जाते हैं । यह पैसा कहीं फेंका नहीं जा रहा है ? जो गरीब लोग हैं, जिनको वर्षों से विकास का लाभ नहीं मिला है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है ।

(सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाई)

अभी आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूं कि नेहरू जी, इंदिरा जी के नाम से योजनाएं चल रही हैं । बड़े लोगों के नाम से योजनाएं चलें, अच्छी बात है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यदि बड़े लोगों को मिलने लगेगा तो वह निरर्थक हो जायेंगी ।

(किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)

मान्यवर, मैं उनकी बात को कभी बुरा नहीं मानता जो जानते ही नहीं हैं कि बजट क्या होता है । मान्यवर, कहा गया कि कर्ज का भार बढ़ता ही चला जा रहा है । इसके लिये उधर बैठे हुए लोग भी

जिम्मेदार हैं । अगर हम जिम्मेदार हैं तो यह लोग भी जिम्मेदार हैं क्योंकि शुरूआत जिनसे हुई थी वो उधर बैठे हैं । आज हम ही नहीं पूरा राष्ट्र आर्थिक रूप से कमजोर है । अर्थ व्यवस्था चरमरा गई है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पंचम वेतन आयोग के कारण इतनी बड़ी धनराशि राज्यों को खर्च करनी पड़ी है और उसके सापेक्ष आमदनी के जरिये बढ़े नहीं हैं । यह इनको सोचना चाहिए था कि कहां से राज्य इसको वहन करेंगे । इसके लिये कोई वैकल्पिक उपाय सोचना चाहिए था । उस समय दिल्ली में जो सरकार थी वह आज नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए । आज आपको जय प्रकाश नारायण याद आ रहे हैं [x x x] हमारे सभी साथी और चौधरी साहब भी थे जो 19 महीने जेल में सड़े थे जब डेमोक्रेसी का गला घोटा गया था, उन्होंने एक जन आन्दोलन शुरू किया था एक जन जागरण शुरू किया था –

(व्यवधान)

जय प्रकाश नारायण जी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने वाले नानाजी देशमुख जी ने बिना किसी सरकारी सहायता के उनकी शताब्दी मनाने के लिए एक समिति का गठन किया है सौभाग्य से उस समिति का मैं अध्यक्ष हूं । 100 गांव जय प्रकाश नारायण जी के गांव के आस पास जयप्रभा गांव बसाएगें एवं जयप्रभा उनकी पत्नी का नाम है पहली बार इस तरह से काम शुरू किया गया है । जय प्रकाश जी की स्मृति में 100 गांव के विकास करने का संकल्प उन्होंने लिया है । ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्ता से अलग रहकर विकास का कार्य कर रहे हैं जिनको देखते नहीं हैं पहचानते नहीं हैं और यदि जानते भी हैं तो कहने में अपनी तौहीन समझते हैं कि प्रदेश में मांग-मांगकर ला रहे हैं ।

(व्यवधान)

जय प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया ''अन्तिम व्यक्ति का उदय'' सबकी समझ में नहीं आता है । अम्बेडकर ग्राम के बारे में कहा गया कि सारे संसाधन अम्बेडकर गांव में लगा दिए जा रहे हैं दूसरी जाति के लिए नहीं दिया जा रहा है विकास कार्य होगा जहां गरीब हैं जहां वंचित लोग रहते हैं अगर ऐसी जगह पर विकास का कार्य होता है तो वहां पर यदि कोई उंगली उठाने का काम करता है इससे उसके दिल की भावना सामने आ जाती है

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

एक भी भा०ज०पा० का सदस्य आपकी बात पर मेज नहीं थपथपा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन–

मो० आजम खां की तरह मेरे सदस्यों का भी मेरे में विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से व्यवधान नहीं किया जाता है ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लालजी टण्डन–

सारे प्रदेश में सरकार का प्रयास है कि कई राज्यों और दुनिया के कई देश जहां कोई उद्योग नहीं है व्यापार नहीं है परिश्रम के आधार पर व्यवस्था चल रही है, तो अगर कोई अम्बेदकर उद्यान बन रहा है अगर उसको पर्यटक देखने आते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है । किसी चीज में कोई इन्वेस्टमेंट न किया जाए और उसको देखा जाय ऐसी कोई व्यवस्था बता दें । अमेरिका में रंग भेद था काले रंग के लोग गुलामों की जिन्दगी बिताते थे । वहां एक राष्ट्रपति थे जिन्हें लोगों ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने वहां की गुलामी प्रथा को समाप्त किया था । वे थे अब्राहिम लिंकन । वही कार्य यहां पर अम्बेडकर जी ने किया था । आज उसी गरीबों के मसीहा का स्मारक बन रहा है जो कौन सी ऐसी बात हो रही है । इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यह वही नेता हैं जिन्होंने इनके उत्थान के लिए काम किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये । व्यवधान मत करें । क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, एक अन्तिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ने का कारण । लोगों ने अपनी-अपनी मर्जी से बजट बनाया लेकिन उसके बाहर भी होता रहा और उसने सब चौपट कर दिया । सबसे पहले इन्होंने झूठा वायदा किया गरीबों से कि उनके दस हजार के कर्जे माफ किये जायेंगे लेकिन वह माफ नहीं हुए । अभी भी लोग आते हैं मेरे पास कि उस समय के कर्जे की आर०सी० जारी हुई है और मुझे आर०सी० रुकवानी पड़ती है । तो उनको धोखा दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, हमने अपने बजट में स्पष्ट लिखा है, कितनी आमदनी बढ़ी है पिछले पांच सालों में । आज यह दूसरी बात है कि कोई बड़ा टैक्स नहीं लगाया गया है । दूसरे राज्यों की बात कहते हैं । दक्षिण राज्यों के बारे में कहते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां के नेता विरोधी दल, इधर-उधर के सारे सदस्य मिलकर प्रदेश के लिए पैसा मांगकर लाते हैं । लेकिन हमारे यहां क्या है कि वह देखते रहते हैं और विपक्ष का कर्तव्य यह मानते हैं कि कैसे उनकी टांग पकड़कर खींचा जाय । जो दक्षिण राज्य तरक्की कर रहे हैं, तो एक बात में सबकी सहमति होती है । मैं एक बात और कहना चाहूंगा । मैं अन्यथा भाव से नाम नहीं ले रहा हूं, केवल एक व्यक्ति जो अनुभवी हैं, वह हैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी । एक वह व्यक्ति था जब भी मुझे मिला तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार से किस मद में मांगकर पैसा मिलेगा । अपोजीशन में रहने के बाद भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात की । हमें उनसे सबक लेना चाहिए । यह प्रमोद तिवारी को तो अकल नहीं आयेगी ।

यह तो हमेशा उल्टी बात करेंगे तो इसलिए मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी बुद्धिमान हैं। आज नीली जैकट पहने हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी हमारे साथी जनसेवक जी बोल रहे थे और उन्होंने विकलांग कोटे की बात की थी। मान्यवर, उस पर यह भी बात थी कि मंत्रि-मण्डल में भी हो जाये तो ठीक है लेकिन टण्डन जी को सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि अब जगह पाना संभव नहीं होगा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए। जो मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

कुछ लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं इसलिए वापस जा रहे हैं।

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 9 अगस्त, 2002 को मैंने सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 का बजट प्रस्तुत किया था। बजट में डेवलपमेण्ट, लां एण्ड आर्डर और हर बिन्दु को लेकर हमारी सरकार की क्या प्राथमिकतायें हैं उनको दर्शाया गया है। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष में बैठे हुए विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने, माननीय सदस्यों ने अपनी कुछ प्रतिक्रियायें और सुझाव भी रखे हैं। बजट को लेकर खासतौर से नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ आशंकायें रखीं हैं कुछ बिन्दुओं को लेकर उन पर सत्ता पक्ष की ओर से सरकार ने, उसमें शामिल विभिन्न दलों के नेताओं ने, सदस्यों ने काफी हद तक उनका जवाब दिया है। उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं कुछ बातें आपके माध्यम से सदन में जरूर रखना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने बजट में विकास को लेकर कहा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है तो उसको लेकर कुछ बातें उन्होंने जरूर रखी हैं लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष डेवलपमेण्ट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर अपने कुछ सुझाव रखते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं, मैंने उनकी पूरी बात को सुना है बजट के ऊपर क्या उन्होंने कुछ बोला है तो घुमाफिराकर उन्होंने दो बातों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया है। शुरू में ही उन्होंने यह कहा कि बजट में केवल एक ही वर्ग के विकास की बात कही गयी है और इस बात को आखिरी तक किसी न किसी रूप में दोहराते रहे। दूसरा, बजट में जो आंकड़े दर्शाये गये हैं तो आंकड़ों के बारे में भी यह कहा है कि जो आंकड़े दर्शाये गये हैं वह सारे फरेब हैं, सही नहीं हैं, लोगों को गुमराह करने वाले हैं। कई प्रकार की बातें बजट में आंकड़ों को लेकर कही गयी हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक इन्हीं बिन्दुओं पर बजट को लेकर उनकी बात केन्द्रित रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि इन्होंने बजट को पूरा पढ़ा होता तो यह नहीं कहते कि यह बजट केवल एक विशेष वर्ग के विकास के लिए बनाया गया । मैं नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूं कि यह जो बजट है इसमें कोई एक विशेष वर्ग के विकास के लिए यह बजट तैयार नहीं किया गया है बल्कि सर्वसमाज के हित को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है । हां, इतना जरूर है कि सर्वसमाज के ऐसे लोग जिनके विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी सरकार ने बजट में उनकी तरफ प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया है । अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्ध रखने वाले सिख, इसाई, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट लोग जिन लोगों की कुल मिलाकर पापुलेशन लगभग 100 में से 85 है । ऐसे लोग जो लम्बे अर्से से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए थे और आज भी काफी हद तक पिछड़े हुए हैं उनके विकास की तरफ हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया है । लेकिन यह कहना कि बजट में केवल एक विशेष वर्ग के विकास की तरफ ध्यान दिया गया है । मैं उनका इशारा समझती हूं । नेता प्रतिपक्ष का इशारा यह था कि बजट में केवल जो दलित, शोषित समाज के लोग हैं जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका ही विकास ध्यान में रख कर यह बजट तैयार किया गया है । इससे साफ जाहिर होता है कि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रही लेकिन खास तौर से जो समाजवादी पार्टी है उसकी दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त हो जाइये । आपने तो इससे ज्यादा कटु शब्दों में आलोचना की थी ।

श्री बीजू पटनायक–

आपकी सरकार अनुसूचित जाति विरोधी है, अनुसूचित जाति की बात नहीं दबायी जा सकती ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह कहा गया कि यह बजट केवल एक विशेष वर्ग के विकास के लिए तैयार किया गया है और जब मैंने इसका जवाब दिया तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा है और इतना ही नहीं दलित विरोधी मानसिकता के साथ-साथ समाजवादी पार्टी को यह भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि एक दलित की बेटी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है । मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहती हूं कि यह बजट एक विशेष वर्ग के विकास के लिए नहीं बल्कि सर्वसमाज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और प्राथमिकता जरूर उन लोगों को दी गई है, जिनको विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी । जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के सम्बद्ध रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोगों का सवाल है, हमने उनकी तरफ भी ध्यान दिया है और हमारी सरकार ने इनके लिये क्या-क्या किया है, यह मैं जरूर बताना चाहूंगी । एक विशेष वर्ग की बात करने वाले लोग अपने गिरेवान में झांककर देखें । जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके बारे में क्या कहती थी कि यह सर्व समाज को लेकर यह सरकार चल रही है या पिछड़े वर्ग में एक विशेष वर्ग को लेकर, उनके हित को ध्यान में रखकर सरकार चल रही है, यह पूरा प्रदेश जानता है और जहां तक यह अपने आपको पिछड़े वर्ग के हितैषी या धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितैषी बनने की बात करते हैं तो इनको अपना शासनकाल भी देखना चाहिये । मुझे याद है कि जब 1993 में समाजवादी पार्टी और बी०एस०पी० की मिलीजुली

सरकार बनी थी तो सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से यह आवाज आने लगी थी कि दलितों की उपेक्षा हो रही है, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, अक्लियतों की उपेक्षा हो रही है। तब हमने बड़ा दबाव बनाया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में हर जिले में थानों के अध्यक्ष बनाने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की बात की। हमने कहा कि दलितों के साथ पिछड़ों और अक्लियतों के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन तब न तो इन्होंने पिछड़ों के बारे में सोचा और अक्लियतों के बारे में सोचा। जब और ज्यादा दबाव बनाया गया तब दबाव में आकर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की और वह भी केवल कागजी की और प्रैक्टिकल में लोगों को नहीं मिला। लेकिन जब 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और वर्तमान में भी, तब मेरे नेतृत्व में यह जो गठबन्धन की सरकार है तो जो व्यवस्था 1995 में की थी, वह व्यवस्था अब भी की है दूसरी बार भी की थी। यह विशेष वर्ग के विकास की बात करते हैं, यदि हम विशेष वर्ग के विकास के बारे में सोचते तो पिछड़े वर्ग के लिये, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिये स्पेशल स्टेप्स जो लिये थे, वह न लेते। हमारी सरकार ने दलित, शोषित समाज के लोगों को न्याय मिल सके, पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय मिल सके, उनके साथ जो अन्याय होता है, उनकी थानों पर रिपोर्ट लिखी जा सके, इसलिये थानों के अध्यक्ष बनाने में आरक्षण की व्यवस्था की। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये प्रत्येक जिले में थानों के अध्यक्ष बनाने के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। इसी प्रकार 25 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के लिये और 5 प्रतिशत माइनारिटीज के लिये। यदि यह पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के हितैषी थे तो अपनी सरकार में इन्हें थानों का अध्यक्ष बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की थी ?

(व्यवधान)

मान्यवर, दलितों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित के लिए बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन बनाया, यह हमारी सरकार ने बनाया, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं बनाया था और इतना ही यह अपने आप को माइनारिटी का हितैषी समझते हैं लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने माइनारिटी के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी थी। इतना ही नहीं ये अपने आप को माइनारिटीज में मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हितैषी समझते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के जो पिछड़े वर्ग में हैं उनको पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करके आरक्षण देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कई महीने तक इस फाइल को दबा कर रखा, जब मेरी सरकार आई तो मेरी सरकार ने उनको बैकवर्ड क्लास में शामिल करके उनको आरक्षण का लाभ दिया।

(व्यवधान)

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सब शान्ति से बैठ जायं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। माननीय पटनायक जी बीज ऐसा बोयें कि जब वह उगे तो वृक्ष हो तो लोग उससे शान्ति प्राप्त करें। अशान्ति न पैदा करें, आपका बोलने का अवसर आएगा, अब आप लोग शान्ति से सुन लीजिए।

श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, दलित वर्ग के समाजवादी पार्टी में 37 एम० एल० ए० हैं।...

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये, यह उचित नहीं है।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने विकास के मामले में और भी पहलुओं की तरफ ध्यान दिया। हेल्थ को ध्यान में रखकर, बार-बार कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह बात उठायी गयी कि सरकार जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, उनको सरकार की ओर से कोई सुविधायें बराबर नहीं मिल रही हैं। हमारी सरकार ने जो गरीब लोग हैं उनको इलाज में कुछ सुविधा सरकार की ओर से मिल सके, इसका भी प्राविधान बजट में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेडिकल कालेज तो है लेकिन लम्बे अरसे से डिमाण्ड थी कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिये। तो हमारी सरकार ने लखनऊ में मेडिकल कालेज का उच्चीकरण करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, पिछड़े वर्ग में जो महान पुरुष हुये जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काफी संघर्ष किया, छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से हमने किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम रखा। जहां तक देहातों में विकास का सवाल है हमारी सरकार काफी चिन्तित है और बजट में भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अधिकांश जनसंख्या देहातों में रहती है और देहातों का विकास होना चाहिए। तो बजट में देहातों के विकास के लिए, शहरों के विकास के तरफ भी विभिन्न योजनाओं के तहत ध्यान दिया गया है। उसमें बजट का प्राविधान अलग से रखा गया है लेकिन देहातों की तरफ भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। डा० अम्बेडकर विकास योजना के तहत अपनी पूर्व की दो सरकारों ने 1995 में और 1997 में ऐसे देहातों को चयनित किया जहां पर देहातों में अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा थी। वहां दूसरे वर्ग के लोग भी रहते थे। हमने 11,500 ऐसे गांवों का चयन किया। हमने उन्हें विकास की हर धारा से जोड़ने का काम किया। हर तरह की सुख-सुविधाएं उनको दी गयीं। वह लगभग पूरे विकसित हो चुके हैं। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत सबसे पहले उन गांवों को लिया जाएगा जो गांव बड़े हैं। इन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जातियों की आबादी कहीं-कहीं पर 20 से 22 प्रतिशत पर रह गयी है। जो गांव बड़े हैं उनको चयनित करने का फैसला कर लिया गया है। इस योजना के तहत 10 हजार गांव चयनित किए गये हैं। जो गांव चयनित किए गये हैं। वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चयनित किए गये हैं। इनको चयनित करते हुए हमने यह सोचा कि किस विधान सभा से किस पार्टी का विधायक चुनकर आया है। हमने प्रत्येक विधान सभा से 26 और 27 देहातों के बीच में हमने देहात चयनित किए हैं। हम दलगत राजनीतिक के चक्कर में फंसकर इस योजना को लागू नहीं करना चाहते। बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि जो देहातों में गरीब लोग हैं उनका विकास होना चाहिए। वहां पर जो कमजोर तबके के लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं उनका विकास होना चाहिए। उनकी इस बात को ध्यान में रखकर ही हमने प्रत्येक विधान सभा से देहातों को चयनित करते हुए 10 हजार गांवों को विकसित करने का लक्ष्य लिया है। आपको बताना चाहती हूं कि जिन 10 हजार गांवों के विकास का लक्ष्य हमने रखा है उसमें लगने वाली धनराशि हमने विभिन्न विभागों को उपलब्ध करा दी है। और इस धनराशि का सदुपयोग हो इस पर सख्ती से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे लोगों को देहातों के विकास के नाम से तो नफरत

नहीं है लेकिन अगर उन्हें नफरत है तो सिर्फ बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम से देहातों को विकसित करने के लिए इस योजना का नाम बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना रखा है । बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के बारे में अभी कल कुछ बातें उठायी गयीं जब आरक्षण विधेयक आया तो कुछ बातें उठीं । खास तौर से पिछड़े वर्ग को लेकर लेकिन विपक्ष में बैठे हुये पिछड़े वर्ग के लोगों को यह मालूम नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है वह भारत के संविधान के तहत जिसमें बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर की बहुत दिलचस्पी थी उनका कहना था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा और जो जातियां सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये । तो बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकिल 340 में व्यवस्था की और उसी के तहत काका कालेलकर कमीशन बना और मण्डल कमीशन बना और मण्डल कमीशन के अन्तर्गत पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिला । यदि बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान में आर्टिकिल–340 की व्यवस्था न करते तो मण्डल कमीशन और काका कालेलकर कमीशन न गठित होता और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ न मिलता । तो यह जो देन है यह भारत के संविधान के निर्माता की देन है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है । मान्यवर, इतना ही नहीं मैं इस बात को बराबर सुन रही हूं, हमने लखनऊ में बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के सम्मान में डाक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाने का फैसला लिया और लगभग 70 प्रतिशत स्मारक निर्मित हो चुका है और 30 प्रतिशत रह गया है । स्मारक बनाने पर पैसा लगता है और उसका बजट में प्राविधान करना पड़ता है । लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा उसको मैंने सुना । उन्होंने यह कहा है कि यदि डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर जो 100 करोड़ रुपया निर्माण पर लगाया जा रहा है यदि यही पैसा गरीबों के उत्थान पर लगाया जाता तो ठीक होता । उनका यह मानना है, लेकिन उनको बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के त्याग और तपस्या और कुरबानी के बारे में उनको ज्ञान नहीं है । यदि उनको ज्ञान होता तो बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के सम्मान में जो हमारी सरकार ने डाक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाने का फैसला लिया उसका स्वागत करते और उसका विरोध नहीं करते । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूं कि बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के सम्मान में 100 करोड़ रुपया, तो छोड़े यदि उससे ज्यादा भी लगाना पड़ेगा तो हमारी सरकार को कोई तकलीफ नहीं होगी । नेता प्रतिपक्ष यह भी कहते हैं कि यह जो अम्बेडकर स्मारक बनाया गया यह घूमने वालों, सैरगाहों का स्थान बन गया है [×××] का अड्डा बताना, महान महापुरूष के बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूं कि इससे बाबा साहब को मानने वाले माफ नहीं करने वाले हैं । ऐसे लोग जो बाबा साहब के नाम पर अपनी उंगली उठाते हैं वह सैफई में जाकर देखें जसवन्त नगर की मांग ही थी तहसील बनाने की लेकिन सैफई तहसील बना दी गई । वहां पर बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची हुई स्टेडियन बना ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कुछ लोग कह रहे हैं कि सन्त कबीर के नाम पर कुछ नहीं किया गया गौतम बुद्ध के नाम पर कुछ नहीं किया गया । उनको मालूम नहीं है हमारी सरकार ने गाजियाबाद, बुलन्दशहर, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, को मिलाकर गौतमबुद्ध नगर जिला बनाया । गौतमबुद्ध के नाम से यूनीवर्सिटी बनाने का हमारी सरकार ने फैसला किया, छत्रपति शाहू जी के नाम पर यूनीवर्सिटी नाम रखा गया, इसके अलावा जिन्होंने आजादी

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी उधम सिंह जी के नाम पर जिला बनाया गया । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि यह जो बजट पर बोलते हुए यह कहा गया है कि बजट में केवल विशेष वर्ग के विकास की बात कही गई है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं । समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

सुश्री मायावती–

हमारी सरकार के ऊपर बात की जाती है कि जाति के आधार पर तबादले किए । बजट पर बोलते हुए विपक्ष की ओर से यह बात कही गई है । माननीय अध्यक्ष जी, शायद विपक्ष को यह मालूम नहीं है कि चाहे बुलन्दशहर का कोई और जिला हो, कोई यह बता दे कि जाति विशेष के लोगों का तबादला किया है, हमारी सरकार हर सजा मानने के लिये तैयार है । हमने नीतिगत आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, नीतिगत आधार पर तबादले किये हैं । उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं । हमारी सरकार के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हमने जाति के आधार पर जिलों में डी०एम०, एस०एस०पी० बनाये हैं, कमिश्नर बनाये हैं । हमने डी० आई०जी० बनाये हैं, आई०जी० बनाये हैं । मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं जिससे आपको मालूम हो जायेगा कि जाति के आधार पर किये हैं कि किस आधार पर किये हैं । जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सर्व समाज के आधार पर, इसको ध्यान में रखते हुए, योग्यता और गुण-दोष के आधार पर हमने तबादले किये हैं । प्रदेश में 70 जिले हैं और हमने 70 डी०एम० बनाये है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है क्योंकि जब विश्वास मत प्रस्ताव पर बोल रही थी तो बहुत कुछ कह दिया था, अब मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहती । माननीय अध्यक्ष जी, हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने जाति के आधार पर तबादले किये हैं । मान्यवर, 70 जिलों में कहा गया कि तबादले जाति के आधार पर किये हैं, बहुत खर्च हो रहा है, बजट में बहुत घाटा हो रहा है । इन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता । मैं इसी सन्दर्भ में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । 70 जिलों में जो डी०एम० हैं उनमें 70 में से हमने अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी 12 बनाये, एस०सी० के 2, बैकवर्ड के 9 माइनारिटीज का एक और हाई क्लास के 46 बनाये । इसी तरह से.....

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने स्थान से जोर-जोर से बोलने लगे और नारे भी लगाये)

इसी तरह से कमिश्नर 17 हैं जिसमें से एस०सी० के 4, मुस्लिम–1 और हाई क्लास के 12 हैं । मान्यवर, हमने डी०एम० बनाये, कमिश्नर बनाये और एस०एस०पी० भी बनाये । एस०एस०पी० के बारे में बता दूं । 70 जिलों में हमने एस०एस०पी०–23 एस०सी० के बनाये, एस०टी के 5 बनाये, बैकवर्ड के 7 बनाये, मुस्लिम–4 बनाये और हाई क्लास के 31 बनाये ।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बीजू पटनायक जी, सदन में ऐसा व्यवहार करिये कि सदन में आपको बैठने को कहूं । ऐसा व्यवहार न करें कि मैं आपको सदन त्याग करने के लिये कहूं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी बजट पेश ....

श्री अध्यक्ष–

अध्यक्ष की बात के ऊपर व्यवस्था नहीं होती है । मुख्य मंत्री जी बजट नहीं पेश कर रही हैं । यह जो बजट पेश किया था उसका उत्तर दे रही हैं । आपने जो आलोचना की है, उसका उत्तर दे रही हैं ।

(व्यवधान)

उत्तर दे रही हैं हो सकता है आपकी पसंद का हो, हो सकता है आपकी पसंद का न हो ।

(व्यवधान)

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आरक्षण के ऊपर खासतौर से नई आरक्षण नीति को लेकर, सरकार की ओर से जो भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं, सरकार के बारे में मैं उनको इस मौके पर दूर करना जरूरी समझती हूं । कल मैं चाहती थी कि मैं इस गलतफहमी को दूर करूं, लेकिन सदन में ऐसा वातावरण नहीं था कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो मैंने सोचा जब मुझे बजट पर बोलना है तो उसी मौके पर जो मेरी सरकार की नीति आरक्षण को लेकर उसको स्पष्ट कर दूंगी । जहां तक आरक्षण नीति का सवाल है मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारी सरकार कोई नई नीति के खिलाफ नहीं है जब हम विपक्ष में थे, सत्ता में नहीं थे तो सत्ता के बाहर रहकर भी हमारी पार्टी ने नई आरक्षण नीति का विरोध नहीं किया था, उसका समर्थन किया था ।

(मेजें थपथपाई गई)

नई आरक्षण नीति के तहत अति दलितों, अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की बात आती है तो इसका हमारी पार्टी ने समर्थन किया था, आज हम सत्ता में हैं तो यह कैसे हो सकता है कि हम इस नई आरक्षण नीति का विरोध करें । यह नई आरक्षण नीति जब लागू की गई तो मामला मा० सुप्रीम कोर्ट में चला गया यह मामला अभी भी मा० सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है जिसके कारण आरक्षण प्रभावित हुआ, तो गठबंधन की सरकार ने यह फैसला लिया कि जब तक इस नई आरक्षण नीति के ऊपर अदालत का फैसला नहीं आ जाता है तब तक हमें पुरानी आरक्षण नीति बहाल करनी चाहिए । तो पुरानी आरक्षण नीति हमने बहाल की । हमारी सरकार आरक्षण के खिलाफ नहीं है जो आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय संविधान के तहत मिला है उसका लाभ इन लोगों को पूरा मिलना चाहिए इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ अड़चनों के कारण पुरानी आरक्षण नीति को लागू करके उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया है कि 6 महीने के अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण कोटा अधूरा पड़ा है, अगर प्रमोशन में उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ है तो विशेष अभियान चलाकर 6 महीने के अन्दर इसको पूरा कराया जाए । इसलिए गठबंधन में जो शामिल बड़े दल हैं, बी०एस०पी० के बाद भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस बात को गम्भीरता से लिया और जो शामिल दल हैं राष्ट्रीय लोकदल और जो दल हैं सत्ता में, उन्होंने गम्भीरता से लेकर, इसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया । कैबिनेट में यह मामला आया पास हुआ । फिर विधेयक बनकर एसेम्बली में आया और अगले दिन पास हुआ । मैं समझती हूं कि इसको लेकर कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए । जिन मुद्दों को लेकर जैसे सूखा, बिजली, परिवहन या उद्योग हैं यह

बजट में घाटे को लेकर जो कुछ बातें कहीं गयी हैं उनके ऊपर भी अपनी बात रखूंगी लेकिन उससे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज नहीं तो कल यह बात जरूर सदन में उठेगी । मैंने अखबारों में पढ़ा है, देने वालों ने अपनी गिरेबान में झांककर नहीं देखा, पहले उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है । अभी माननीय श्री कल्याण सिंह, इस समय वह सदन में नहीं है, आज आये नहीं है, जब हमने अलीगढ़ जिले में नया जिला बनाया हाथरस तो उस जिले का नाम हमने गौतमबुद्ध जी की मां के नाम से रखा महामायानगर । कल्याण सिंह जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है । यदि ज्ञान होता तो श्री कल्याण सिंह जी जब वह मुख्य मंत्री बने थे तो वह नाम को नहीं बदलते । लेकिन जब से यह गठबंधन की सरकार बनी है तो उसने इसको गम्भीरता से लिया और गम्भीरता से लेकर फिर से जिले का नाम बदलकर महामायानगर रख दिया है । लेकिन कल्याण सिंह जी क्या कहते हैं कि यह नाम मुख्य मंत्री जी ने अपने नाम से रखा है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि उन्हें इतिहास का ज्ञान होता तो यह छिछोरी बात नहीं कहते । इसी प्रकार गौतमबुद्धनगर जिले में बादलपुर गांव है जहां के हम रहने वाले हैं । उसमें पालिटेक्निक लड़कियों के लिए बनाया जा रहा है । वहां के लोगों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि मायावती पालिटिक्स में बाद में आयी हैं पहले वह सामाजिक क्षेत्र में आयी थीं इसलिए उसकी समाज में की गयी सेवाओं को ध्यान में रखकर उनके नाम से पालिटेक्निक का नाम रखा जाय । इसे भी अखबारों में छाप दिया गया । मैं नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाना चाहती हूं ।

(व्यवधान)

* श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, यह प्रेम सिंह जी के नाम से विद्यालय है । जिन्दा व्यक्ति के नाम से कोई विद्यालय नहीं होगा कोई संस्था नहीं होगी .....

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को और उनकी पार्टी के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहती हूं कि कभी उनके नेता द्वारा सेफई में एक अभिनेता के नाम पर इण्टर कालेज का नाम करण किया गया था (सत्ता पक्ष की ओर से कुछ शेम-शेम की आवाजें) तो वह तो जिन्दा है इसी प्रकार श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इलाहाबाद के मेयो हाल का नामकरण किया गया जबकि बच्चन से उससे कोई लेना-देना नहीं था । श्री बच्चन खिलाड़ी भी नहीं हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी बताना चाहती हूं कि लखनऊ में, लखनऊ के एक सांसद ने एक पूरा नगर ही बसा दिया है । तो नाम की राजनीति तो प्रतिपक्ष करता है मैं नहीं करती ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप क्यों इतना डरी हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अंग्रेजी में एक कहावत है–व्हाट इज देयर इन ए नेम ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट में सूखे को लेकर बहुत कुछ कहा गया है और विपक्ष की तरफ से पहले तो जब यह हाउस शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले यह कहते थे कि पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए था। लेकिन हमने भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखकर पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया और जब पूरे प्रदेश की सूखाग्रस्त घोषित कर दिया तो इन्होंने सोचा कि हाऊस शुरू होने वाला है एजेण्डा क्या रहेगा ? तो इनको जल्दबाजी में फिर अकालग्रस्त की याद आ गयी कि भाई सूखाग्रस्त तो सरकार ने घोषित कर दिया है अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है तो सरकार को कैसे घेरें ? और बजट के ऊपर सबसे ज्यादा इसी के ऊपर बोलते रहे और यह मांग करते रहे कि सरकार उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करे। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के माननीय नेताओं को अकाल और सूखे के बीच फर्क को समझना चाहिए और दोनों की परिभाषाओं को जानना चाहिए। आप समझते तो शायद मैं ट्यूशन आपको नहीं देती। इस समय जब हमारा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कई प्रदेश सूखे से ग्रसित हैं, उत्तर प्रदेश भी सूखे से ग्रसित है, हमें सूखे की आड़ में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें सूखे से निपटने के लिए हर प्रकार का सहयोग मिल-जुलकर सरकार को देना चाहिए और सरकार के माध्यम से या आप लोग भी जो विपक्ष में बैठे हैं आप लोग भी चाहें तो आप सूखे से जो ग्रसित लोग हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभायेगी, लेकिन आप भी निभा सकते हैं। आपने कहा कि किसानों की वसूलियां की जा रही हैं जब कि ऐसा नहीं है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की सभी वसूलियां रोक दी हैं, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि यह जो गलत प्रचार किया जा रहा है "प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है और वसूली की जा रही है", ऐसा कुछ नहीं है, बिलकुल गलत है। हमारी सरकार ने हर प्रकार की वसूली किसानों से सम्बन्धित रोक दी है और सूखे से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं। जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया कि हमने किसानों की सभी प्रकार की वसूली रोक दी है और रोजगार उपलब्ध कराने के आदेश भी हमारी सरकार ने दिये हैं। एक लाख 80 हजार टन गेहूं जिलों को भेजा गया है, भारत सरकार से 4 लाख 46 हजार टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित किया गया है। पेयजल के लिए 57 करोड़ रुपया जिलों को भेजा गया है। ऊर्जा विभाग को निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 45 करोड़ रुपया दिया गया है, किसानों के बीज के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, खाद की व्यवस्था भी अलग से की गयी है, बीमारी की रोकथाम व उपचार के लिए 71 लाख 40 हजार रुपया आवंटित किया जायेगा, कर भी दिया गया है, पशुओं की दवाओं के हेतु 4 करोड़ 60 लाख रुपया हमने भेज दिया है, पशुओं के आहार के लिए 10 करोड़ आवंटित किये गये हैं, 40 पम्प कैनाल को ठीक कराए चालू किया गया है, 3 हजार सरकारी नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराया गया है, 14,300 तालाबों को भरा गया है, वन क्षेत्रों में पशुओं को चरने की अनुमति दी गयी है, सरकार को पशुओं के चारे में कमी की कोई सूचना नहीं है।

पूरे प्रदेश में पिछले सप्ताह थोड़ी बरसात हुई है उससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन फिर भी सभी जिलाधिकारी, मण्डलायुक्तों को सूखे से निपटने के स्पष्ट आदेश जिनका मैंने जिक्र किया है, इसके बारे में दे दिये हैं। भारत सरकार से भी हमारी सरकार ने 5601 करोड़ रुपये की मांग की है और इस सम्बन्ध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी को चिट्ठी लिखी है और आवश्यतानुसार मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सूखे से जो प्रभावित लोग हैं, उनकी राहत के लिए, उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार पैसे की कोई कमी नहीं आने देगी। बिजली के बारे में भी यह कहा गया है कि सरकार बिजली की तरफ कोई ध्यान

नहीं दे रही है । इस बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली की स्थिति खराब हुई वह यकायक मेरी हुकूमत में नहीं लम्बे अर्से से खराब है । इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार में श्री नरेश अग्रवाल की है जिन्होंने इसका भट्ठा बैठाया, अब वह समाजवादी पार्टी में हैं और उसका भी भट्ठा बैठा देंगे । उत्तर प्रदेश में लम्बे अर्से से बिजली की स्थिति खराब है । हमारी सरकार बिजली के सुधार के बारे में जी-जान से लगी हुई है और इसके लिए हर प्रकार के कदम हमारी सरकार उठा रही है । विद्युत चोरी को रोकने के लिए, जो बकाया पड़ा है उसकी वसूली के लिए किसानों को छोड़कर बाकी जिन लोगों के पास बिजली का बकाया है उनसे वसूली सख्ती से की जा रही है । बिजली चोरी रोकने के लिए स्टेप्स उठाये जा रहे हैं । बिजली के ऊपर आज मुझसे बोलने से पहले विपक्ष के एक माननीय नेता बोल रहे थे कि बिजली की जो हालत खराब हुई है, उसमें अधिकारियों का भी बहुत बड़ा हाथ है । उनका यह मानना है कि जो छोटे से लेकर बड़े अधिकारी हैं वह करेप्शन में लिप्त हैं, यदि उनकी जांच करायी जाये तो मालूम पड़ जायेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है तथा वह कहां से आयी है । मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं भी बिजली सुधार के मामले में काफी गम्भीर हूं, हमारी सरकार काफी गम्भीर है और मैंने सरकार की ओर से बिजली महकमे को एक महीने का नोटिस दिया है कि या तो आप बिजली के मामले में सुधार लाने का प्रयास करें और यदि मुझे एक महीने में कोई सुधार नजर नहीं आयेगा तो मजबूरन हमारी सरकार को बिजली क्षेत्र में निजीकरण करने के बारे में सोचना पड़ेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह अधिकारियों का प्रदेश नहीं है, कि सिर्फ अधिकारियों को दण्डित करने के लिए आप पूरे प्रदेश को बेच दीजिये । आप उनको जेल भेजिये ।

सुश्री मायावती–

अभी विपक्षी की ओर से एक सदस्य बोल रहे थे कि निजीकरण के मामले में सांठगांठ हो रही होगी । लेकिन विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग भी बैठें हैं, उनको पूछना चाहिये कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कुछ दिन पहले उनकी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में निजीकरण किया तो उनकी मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खाया है ? उन्होंने बिजली सुधार के मामले में यह स्टेप लिया था । हमने भी एक महीने का नोटिस दिया है और इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है । हमारे मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट भी किया है और जितने भी कदम उठा सकते थे, स्पेशल स्टेप्स लिये हैं ।

परिवहन के बारे में कहा गया कि जो गरीब लोग हैं, वह तो ज्यादा तर बसों से सफर करते हैं । एक तरफ तो बसों की बेहतर व्यवस्था नहीं है, यह भी कहा गया और जब हमारी सरकार 800 नई बसें खरीदने की बात करती है, तो उसमें भी इन्हें तकलीफ होती है । (विपक्ष द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर) अभी यह तो आपको मालूम होगा, आप लोग अपने पुराने तर्जुबे को बता रहे हैं कि आप लोग किस किस्म के फैसले लेते थे ।

बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिये, हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और उसका बजट में भी जिक्र किया है । साथ ही कुछ धनराशि भी स्वीकृत की है । हमारी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 स्पेशल इकानामिक जोन बनाये हैं ताकि ज्यादा से उद्योगपति आकर उद्योग लगायें, उनको हर प्रकार की सुविधायें देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और इन तीनों जोनों को स्थापित हमारी सरकार ने कर दिया है । इस पर जो खर्च आयेगा, उसकी भी

बजट में हमने व्यवस्था की है। उद्योगों के बारे में जब प्रतिपक्ष के नेता कल जिक्र कर रहे थे तो बरेली मुरादाबाद का, तो उनको रामपुर भी याद आ गया, क्योंकि वह रामपुर के रहने वाले हैं तो कुछ मुद्दों को लेकर कहने लगे कि बरेली के बीच में ले लिया, मुरादाबाद को ले लिया लेकिन रामपुर को छोड़ दिया और उन्होंने रामपुर में जो कहा कि छुरी बनाने का एक उद्योग था वह भी खत्म हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष को रामपुर के छूरी उद्योग के खत्म होने पर बड़ा कष्ट है। उन्होंने उसके कई गुण बताये हैं। रामपुर की छुरी किन-किन कामों में आती है उसके बारे में वह ज्यादा जानते हैं क्योंकि पीठ में छूरी भोंकने में उनकी पार्टी को महारत हासिल है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहती हूं कि रामपुर के छूरी उद्योग पर प्रतिबन्ध शायद इनकी ही सरकार ने लगाया था, कम से कम मेरी सरकार ने इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। विपक्ष में अभी हमारे वह नेता मौजूद नहीं हैं, श्री राम गोविन्द चौधरी, तो वह बजट पर बोलते हुए कुछ आपत्ति कर रहे थे कि बजट में पूर्वांचल निधि का कोई अता-पता नहीं है। उन्होंने यदि बजट को ध्यान से पढ़ा होता तो मैं समझती हूं कि ऐसी बात उनको कहनी नहीं पड़ती। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि बजट में खण्ड–5 के पृष्ठ 59 पर दिए गए विवरण को पढ़े तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी।

फिर भी मैं मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह स्पष्ट करना जरूर चाहूंगी कि इस बजट में पूर्वांचल के लिए 150 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जहां तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है और आर्थिक स्थिति को लेकर और खासतौर से बजट में जो घाटा है को लेकर कल प्रतिपक्ष के नेता ने अपने बजट में आधे से ज्यादा समय घाटे के आंकड़ों के ऊपर ही लगाया था कि आंकड़े सही नहीं दिए गए हैं, बजट में बहुत ज्यादा घाटा है। ये सरकार कैसे विकास कार्य कर पायेगी ? मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन मेरी सरकार बनते ही या पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी सरकार बनते ही आर्थिक स्थिति यकायक खराब हो गयी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आर्थिक स्थिति वर्षों से खराब होती चली आ रही है और अब इसका ज्यादा प्रभाव लोगों को नजर आ रहा है। स्वभाविक है कि जब आर्थिक स्थिति खराब होगी और आय और व्यय में संतुलन नहीं होगा तो घाटा बढ़ेगा। लेकिन हमें घाटे को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है या उसे कैसे कम करना है या प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें आर्थिक स्रोतों की तरफ, संसाधनों की तरफ क्या कदम उठाने हैं और क्या-क्या उठाये हैं इसका हमने बजट में जिक्र किया है। उनको मैं दोहराना नहीं चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, बजट को पढ़े तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। हमने जो भी आंकड़े दिये हैं वह बिल्कुल सही आंकड़े हैं, आंकड़ों में कोई हेरा-फेरी नहीं है।

गन्ने को लेकर तथा और भी स्थानीय समस्यायें हैं, उन पर बजट के समय बोलते हुए माननीय सदस्य मेरे संज्ञान में लाये हैं, कुछ का जवाब तो इस बजट में है लेकिन फिर भी हम प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखकर जो भी सही सुझाव उनके होंगे उनको हम जरूर मानेंगे। मेरा नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के जो अन्य नेतागण और सदस्यगण हैं, उनसे यही कहना है कि जो आपने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, आंकड़ों को लेकर, यदि आप बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो आपकी सभी आशंकायें दूर हो जायेंगी। गन्ना मूल्य की बात हो चाहे किसानों की दूसरी समस्यायें हों, किसानों की सारी समस्याओं को गम्भीरता से ले रही हूं और एक-एक करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हूं। इन्हीं लफ्जों के साथ सरकार की ओर से जो मैंने बजट रखा है इसको आप स्वीकार करें। मैं उम्मीद करती हूं कि यह बजट प्रदेश की जनता के हित में है और इस बजट को विपक्ष के लोगों से भी अपील है कि इसको वह स्वीकार करें। धन्यवाद।

(श्री मोहम्मद आजम खां, नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक अनुरोध है कि जैसे प्रतिपक्ष ने शांतिपूर्वक माननीय नेता सदन के भाषण को सुना है, नेता प्रतिपक्ष को भी आप लोग शांतिपूर्वक सुन लेंगे ।

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, टण्डन जी ने एक कहावत को शेर में पढ़ा था । नेता सदन के तकरीबन पौने दो घण्टे के भाषण में मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि–

"औसत निकला ज्यों का त्यों,

आखिर कुनबा डूबा क्यों । .....

मान्यवर, नेता सदन ने अपना भाषण खत्म करने से पहले यह कहा है कि मैंने जब बजट पर अपनी राय रखी थी 2002-2003 के बजट पर तो उसमें आधे से ज्यादा आंकड़े थे । मैं इसे अपनी उपलब्धी मानता हूं यह उपलब्ध इसलिए मानता हूं कि बजट भाषण और आम भाषण में या चौराहों पर दिए जाने वाले भाषण में संसद और विधान सभा में दिए जाने वाले भाषण में कुछ अन्तर होना चाहिए ।

(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्य इस टिप्पणी पर एतराज प्रकट करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने इसलिए आंकड़े रखे थे कि मैं समझता हूं कि इस सदन में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो जोड़-घटाना जानते हैं । यह जो बजट उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पेश हुआ है । यह बजट की मात्र एक किताब भर नहीं है, केवल 400 सदस्यों की पहुंच तक यह नहीं है बल्कि यह इस सदन और इमारत से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने बहस के लिए जाएगा और जब यह जनता के सामने बहस के लिए जाएगा तो वहां बहस बड़ी होगी । इसलिए मैंने यह बताने और समझाने की कोशिश की कि जो बजट पेश हुआ है वह पूरी तरह से धोखा है, फरेब है और पूरी तरह से झूठा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इस बात के लिए नेता सदन का शुक्रिया अदा करूंगा और प्रोसीडिंगस देखी जा सकती हैं कि नेता सदन ने मेरे आंकड़ों पर एक शब्द भी नहीं कहा कि मैंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने इस सच्चाई को माना है कि सिर्फ तादात के बल पर दो छोटे दलों ने मिलकर एक नापाक गठबंधन के तौर पर यह सरकार बनाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह भी कहा माननीय सदन ने।

* खादी एवं ग्रमोद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, सरकार न बनने की वजह से ही इनको .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हो जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने कई रोज पहले कहा था कि हमें इस बात का कष्ट है कि हमारी सरकार नहीं है। नेता सदन ने कहा कि मैंने डेवलपमेंट के सुझाव नहीं रखे। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है। मैंने डेवलपमेंट के सुझाव रखे और इसी वजह से तीन दिन तक यह सदन नहीं चल सका। यह इसलिए कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाये। और मैंने अकालग्रस्तता के अन्दर क्या-क्या सहूलियतें मिलनी चाहिये यह भी सुझाव रखे थे। मैंने मान्यवर, यह भी जानना चाहा था और सुझाव रखे थे कि परकैपिटा इन्कम हमारे प्रदेश में रहने वाले लोगों की गिर रही है। लेकिन माननीय नेता सदन ने अकाल के सम्बन्ध में, सूखे के सम्बन्ध में या परकैपिटा इन्कम के मुतालिक कोई बात नहीं कही है। मैंने कई बार जानना चाहा था कि प्रदेश के जो बेरोजगार हैं जिनके हाथों में काम नहीं है, जो यूनीवर्सिटीज, कालेज, स्कूलों से निकल कर आये हैं उनको काम देने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है। इसका कोई जिक्र नहीं आया!

(कई सदस्यों के टोकने पर)

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर यही माहौल रहा तो नेता सदन को आगे बोलना है सदन में।

एक सदस्य–

आप धमकी दे रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को जैसा सुना और समझा उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जैसा सुना और समझा उनकी अपनी प्रतिक्रिया है जो और वह अपनी प्रतिक्रिया को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चुटकी तो चलती है लेकिन व्यवधान न उत्पन्न करें। आप धैर्यपूर्वक, शान्तिपूर्वक बात सुन लीजिए।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष अनुमति दें तो मैं भी एक चुटकी ले लूं।

(नेता विरोधी दल के बैठ जाने पर)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, 20वीं शताब्दी के शुरू में एक ड्राउट एक्ट अकाल एक्ट बना था। अगर माननीय नेता विरोधी दल उसके आधार पर अकालग्रस्त लागू कराना चाहते हैं तो उनके कहने पर हम अकालग्रस्त घोषित कर देंगे। उसके अन्दर जो परिभाषा है अकाल के वक्त के जो निदान बताए गए हैं। 25 पैसे मजदूरी के ऊपर लोग कुएं खोदेंगे, तालाब खोदेंगे। आज 55 रुपए पर मजदूरी का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मुझे याद है नेता विपक्ष ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि अगर नए मानक बनाने की जरूरत हो तो नए मानक बनाए जाएं। पुराने मानक असंगत हो गए हैं। तो नए मानक बनाए जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

टण्डन जी लगता है ज्यादा बुजुर्ग होने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष–

उस समय सदन में नहीं रहे होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने कहा था जो हाथ बेकार हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है पूरे बजट में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे बेरोजगारों को काम के लिए, शिक्षित बेरोजगारों को काम के लिए, बन्द कारखानों को चलाने के लिए नए, कारखाने खोले जाने के लिए, कुटीर उद्योग कायम करने के लिए, या जो हमारे दस्तकारी का काम चलाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक भी स्कीम बजट में नहीं है। हमने यह भी कहा सरकारें हर बेरोजगारों को हर पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकती हैं, यह बिल्कुल सच्चाई है। न कल की सरकार दे सकती थी न आज की सरकार दे सकती है। लेकिन सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि काम दे। काम देने के लिए हर सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने यहां पूछा कोई एक स्कीम ऐसी है जिसमें बैंक लोन की व्यवस्था की गई हो। इसके अलावा कोई सुझाव सरकार की तरफ से आया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने डेढ़ पौने दो घंटे के भाषण में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द क्या कहा ? हम किसानों के लिए यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह कहना आसान है, जितना गन्ना का बकाया है अदा कर देंगे। लेकिन बताना तो चाहिए कि कैसे होगा। जबसे यह बजट पेश हुआ है उसके बाद से आज तक किसानों का कितना बकाया अदा किया। कितनी उधार में कमी हुई [illegible] के लिए कौन सा काम [illegible]

चुनाव के समय की घोषणाएं थीं हम कानपुर के जे०के० मिल को किसी भी तरह चलायेंगे । बन्द कारखाने खोलेंगे । कितने कारखाने बन्द हैं हजारों मजदूर बन्द कारखानों में तनख्वाहें पाता है । यह सारा बोझ पड़ता है बजट पर व यह बोझ पड़ता है जनता पर ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

सरकार के जितने शुगर कारखाने इस वक्त बन्द हैं । उन कारखानों की बन्दी से कितना नुकसान हो रहा है । कारखाने भी नहीं चल रहे हैं । बिल्कुल बन्द भी नहीं है, सारे मजदूर निकाले नहीं गए हैं । लाक आउट कहीं, कहीं ले आउट है । कहीं आधी तनख्वाह दी जा रही है कहीं चौथाई तनख्वाह दी जा रही है । यह सारी तनख्वाहें सरकार के खजाने से निकल रही है । उसके ऊपर सरकार की ओर से एक शब्द सुझाव का नहीं आया । गरीबों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । सबसे बड़ी जरूरत थी मैंने सदन में कहा था मैं समझता था नेता सदन जिस समाज से आई है । आज तो बहुत बड़ी आदमी हैं । लेकिन जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक जिन्दगी की शुरूआत की थी या जहां से उन्होंने अपनी जिन्दगी की शुरूआत की थी । जिस घर से, जिस मकान से निकल कर वह स्कूल गई होंगी, कालेज गई होंगी फिर राजनीति में आई होंगी । उसके सफर में बहुत कष्ट उठाये होंगे । कभी अस्पताल भी जाना पड़ा होगा । आज भी अस्पताल की नई शक्ल इनको मालूम है कि नहीं, अगर मालूम होती तो यह मालूम होता कि आज अस्पताल में गरीब आदमी को पर्चा बनवाने के लिये 7 रुपये देने पड़ते हैं और आज एक गरीब आदमी सिर्फ पर्चा बनवाने के लिये भुखमरी के इस आलम में, अकाल के इस आलम में प्रदेश का मजदूर और किसान इस 7 रुपये का पर्चा बनवाने की हैसियत नहीं रखता । एक्स-रे करवाने, बलगम, थूक, पेशाब और टट्टी की जांच करवाने की हैसियत नहीं रखता । मैंने इस सदन में कई बार कहा । यही सबसे बड़ा दुख है कि संविधान में हमको स्वास्थ्य का प्रोटेक्शन मिला है । राइट टू लाइफ हमको संविधान ने दिया है । मैंने जैसा सदन में पहले कहा था, उसको फिर दोहरा रहा हूं कि इसके बारे में बजट में नेता सदन ने कुछ नहीं कहा है । एक अहसास इंसान के तौर पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । हिन्दुस्तान का एक सबसे गरीब शहरी होने के नाते पेशकश करना चाहता हूं कि जो 7 रुपये का पर्चा नहीं बनवा सकता है अस्पताल में वह 35 रुपये का एक्स-रे, 25 रुपये बलगम की जांच के नहीं दे सकता है । यह सारे टी०बी० के मरीज, दिल के मरीज, कैंसर के मरीज बड़े लोग नहीं होते । 70 प्रतिशत हिन्दुस्तानी टी०बी० से ग्रस्त हैं । 70 प्रतिशत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले इन्फैक्शन का शिकार होते हैं । में कहना चाहता हूं कि जो 7 रुपये का पर्चा नहीं बनवा सकता है वह इन जांचों के लिये 500 रुपये कहां से लायेगा । इन इंतिहाई दर्दमन्द लोगों का इलाज कैसे होगा । रिक्शा चलाने वाले टी०बी० का शिकार है, बीड़ी बनाने वाला मजदूर टी०बी० का शिकार है । किसान के बेटे का इलाज कैसे होगा ? खेती का काम करने वाले किसान की मां, बेटी और बहू का इलाज कैसे होगा ? इसके बाद नेता सदन यह कहेंगी कि गरीबों के उद्धार के लिये इसमें प्राविधान रखा है । जो सरकार अस्पताल के पर्चा का दाम 7 रुपये से घटा नहीं सकती है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है । मान्यवर, यही काम क्यों नही हो सकता ? इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि बजट घाटे का है, बजट खर्चे का है । इसमें प्राविधान होना चाहिए था गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये, किसानों के लिए ...

श्री [illegible] [illegible]–

[illegible], आजम खां साहब को गुस्सा क्यों आता है ।

श्री अध्यक्ष–

गुस्सा नहीं आता है। वह तो शैली है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लेकिन मान्यवर, इन किसानों के लिये, इन मजदूरों के लिये, इन गरीबों के लिए, इस बजट में, इस किताब में कुछ नहीं दर्शाया गया है। सच्चाई छिपाई गई है इस किताब में। मान्यवर, अब की नई मोटरें खरीदी जायेंगी इस साल। प्रदेश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि सूखाग्रस्त प्रदेश, अकालग्रस्त प्रदेश है। सरकार किसान के लिये एक पैसे का प्राविधान नहीं कर सकती है अपने बजट में और एक अरब रुपये की नई गाड़ियां खरीदी जायेंगी। मान्यवर, आपने सबके नाम गिनाये। दलितों के पिछड़ों के और धार्मिक अल्पसंख्यकों के। हमने सीखा, आपसे। डिक्शनरी में एक शब्द बढ़ गया। आपकी इल्म, आपकी तालीम, आपकी सोच, आपकी इन्टीलैक्चुअल के हम कायल हो गये। धार्मिक अल्पसंख्यक। सर सें उतर गया। संविधान में अल्पसंख्यकों ...

श्री अध्यक्ष–

संविधान में लिग्विस्टिक माइनारिटी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को भाषाई अल्पसंख्यक से अलग करने के लिये दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं आपकी बात को बल दे रहा हूं बल्कि मेरे ख्याल से अध्यक्ष होने के नाते आपने जिस खूबसूरती से ऐतराज किया है। मैं आपकी जहानत को मानता हूं और कहना चाहता हूं जो आपने कहा है वही मैं भी कह रहा हूं। इसलिये कह रहा हूं मैंने सोचा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी आते हैं जिन 14 [× × ×] विधायकों की वजह से सरकार अपनी टूटी टांगों पर टिकी है।

(व्यवधान)

मैं यह बात मान्यवर, इसलिये कहने को मजबूर हुआ ..

श्री अध्यक्ष–

शान्ति बनाए रखें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं यह बात इसलिये कहने को मजबूर हुआ क्योंकि अभी नेता सदन ने आंकड़े पेश किए वह हैं थानाध्यक्ष रखे गये हैं 8 प्रतिशत 5 प्रतिशत थानाध्यक्ष माइनारिटी या धार्मिक अकलियत से रखे जाने के आदेश दिए हैं। मान्यवर, इन्होंने नारा दिया था "जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" विधायक [× × ×] 14.....

(15 की आवाजें)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायक [× × ×] 15 थानाध्यक्ष 5 प्रतिशत । मान्यवर, आप हम सबसे ऊपर बैठे हैं (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कुछ कहने पर, व्यवधान) । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह इसलिये बोल रहे हैं कि यह इनामी [× × ×] हैं यह घोषित [× × ×] हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द निकाल दिया जायगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं ।

एक सदस्य (समाजवादी पार्टी)–

अगर बीजू पटनायक को बाहर करने की बात की जा सकती है तो इन्हें भी करिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्ति बनाये रखें । माननीय नेता प्रतिपक्ष की अपनी बात कहने की शैली है । कोई-कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जो शान्त वातावरण में दूसरे भाव से लेते हैं और उत्तेजना का वातावरण होता है, तो दूसरे भाव से लेते हैं, इस समय सदन में थोड़ी गर्मी है इसलिये उस शब्द को नहीं कहना चाहिए था । भले ही संसदीय हो अथवा नहीं । लेकिन यह हमारा सबका दायित्व है कि सदन में शान्ति बनायें ।

(व्यवधान)

* (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अभी तक तो यह पता था कि दिमागी रूप से दिवालिया हैं लेकिन नेता विरोधी दल ने आज यह बता दिया है कि इन्हें दौरा भी पड़ता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जब अपना भाषण कर रही थीं तो उस समय कुछ सदस्यों ने टोका टाकी की । ठीक है, यह उचित बात नहीं है आपने निर्देश दिया और वह शान्त हो गये । आपने एक सदस्य का नाम लेकर टोका और हमने उसका बुरा नहीं माना । अब आपके समक्ष मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, कई माननीय मंत्री भी जिसमें हैं, वह उस तरीके की हरकत कर रहे हैं । तो, जिस तरह से, आपने हमारे सदस्य को इंगित करने का काम किया उसी तरह से उन्हें भी इंगित करने का काम करें । नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जाइये । जब किसी माननीय सदस्य के आचरण पर मुझे आपत्ति होती है तो उसे इंगित करने का दायित्व मेरा है । क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कई बार व्यवधान उत्पन्न किया तो मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उन्हें चेतावनी दे दी । यही इधर के माननीय सदस्यों के लिये भी होगा । इसमें सत्ता और विपक्ष का कोई अन्तर नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि थोड़े हल्के फुल्के से लें, आप तो बड़े दुःखी हो रहे हैं । मान्यवर, नेता सदन ने अपने और अपनी पार्टी को एक खास वर्ग और एक खास जाति का चैम्पियन बताया और उसे खास जाति के लिये बजट लेकर, यह ठीक है कि जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, उपेक्षित हैं उनके लिये होना चाहिये । अम्बेडकर पार्क के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर उनको मेरी वन्डी की जरुरत पड़े जो मेरे पास हैं मैं उसको देने के लिये तैयार हूं । क्योंकि अभी माननीय नेता सदन ने घोषणा किया और उस घोषणा के बाद मेरी वन्डी ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की खाल उतर जायेगी । आपने ही कहा था कि सौ करोड़ तो क्या अगर एक हजार करोड़ भी देना पड़े तो मैं दूंगी । आपने देखा सिर्फ दो ही मेजें थपथपायी गयीं । इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि जनता की खाल खींचकर कोई यादगार बनाया जाय तो उधर के बैठे हुए सदस्यों को भी यह कबूल नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो अकलियतों की चैम्पियन बन रही है उन्हें मैं यह बता देना जरूरी समझता हूं कि और समाजवादी पार्टी ने इसी दल को हराने के लिये कैन्डीडेटस नहीं खड़े किये बी०एस०पी० ने 100 मुस्लिम खड़े किये और जीत कर आये 14 समाजवादी पार्टी ने मान्यवर, केवल 46 मुस्लिमों को टिकट दिया जिनमें 50 प्रतिशत जीत कर आये, 23 विधायक आये । मान्यवर, 49 पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के 36 विधायक आये । मान्यवर, यह रिकार्ड है कि अनुसूचित जाति के 36 विधायक समाजवादी पार्टी से जीत कर आये हैं । (समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और क्षत्रिय विधायक हमारे 17, 11 ब्राह्मण, भूमिहार और त्यागी 5, वैश्य, (व्यवधान) जाट-1 और 13 चमार जीत कर आये । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

बैठ जाइये । मुझे इंगित करना पड़ जायेगा और जब मैं इंगित करूंगा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव ले आना पड़ेगा इसलिये वह स्थिति नहीं आने दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 1990-91 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गयी थी और उसी जमाने में अनुसूचित जाति का आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया । यह जो कुछ किया गया था यह कोई एहसान नहीं था, पिछड़ों को आरक्षण का, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का, क्योंकि वह इसके मुस्तहिक पात्र थे । ऐतिहासिक सच्चाइयों से इंकार नहीं करना चाहिये अगर आज भी सब पीछे आ जायें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सत्ता पर कब्जा हो सकता है । लेकिन इसके लिये कौन जिम्मेदार है किसने

मुलायम सिंह जी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया था (व्यवधान) 15 [xxx] विधायक जिनकी वजह से आज यह सरकार चल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार चल रही है सामूहिक बहुमत के आधार पर किसी जाति के विधायक के लिये यह कहना उचित नहीं है । फिर आप कहेंगे कितने अनुसूचित जाति के विधायक से यह सरकार चल रही है । आप जिम्मेदार आदमी हैं । यह उचित नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरे कहने का मान्यवर, आशय यह है कि वह नारा बनाया कि "जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ।" इस पूरे बजट में मुसलमान अकलियत या मुसलमान अल्पसंख्यकों के बारे में एक शब्द नहीं है पूरे भाषण में, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये, उनकी नौकरियों के लिये क्या हुआ ? साढ़े पन्द्रह हजार उर्दू अनुवादक रखे गये थे और जैसे हमारी सरकार गयीं तो नेता सदन जो इस समय नेता हैं वह उस समय भी थीं इनके आदेश से भर्तियों पर पाबन्दी लगा दी गयी जिन लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था वह भी नहीं मिल सका । यह उपलब्धि है अल्पसंख्यक के बारे में और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में । लिहाजा मैं बात को यहीं खत्म करते हुए कहना चाहता हूं –

"इशारा और ही कुछ कर रहा था डूबने वाला,

मगर याराने साहिल तो सलाम आखिरी समझें ।"

मगर मसला यह है कि जो आज इस दलदल में डूब रहे हैं उनको बचाने के लिये एक तिनके का सहारा भी मयस्सर नहीं है और यही हमारी पीड़ा है । मैंने जो कुछ कहा था कल और जो उसके पहले, मैं उस पर बल देना चाहता हूं, बल दे रहा हूं । फिर नेता सदन से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो बजट अधिकारियों के हाथों से लिखा हुआ इस सदन में पेश किया है वह इस सदन का अधिकार और बपौती नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब छोटा बड़ा आदमी, खेत खलिहान और शहरों में जहां रोशनी का नामोनिशान नहीं, बिजली नहीं, कानून व्यवस्था नहीं है, का है । उत्तर प्रदेश के लिये यह बजट की किताब एक धोखा है, फरेब है ।

* कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक बात पूँछना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने कहा कि यह बजट अधिकारियों के द्वारा लिखा गया और यहां पेश किया गया । मान्यवर, मुझे भी 30-32 साल हो गये यहां आते हुए कोई बजट ऐसा है जो अधिकारियों ने न लिखा हो, इन्होंने अपने हाथ से लिखा हो । (हंसी)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जो बिन्दु उठाये गये थे मैं ऐसा समझता हूं कि उनका कोई समुचित उत्तर नहीं आ पा रहा है और इसलिये मुझे खड़े होने की आवश्यकता पड़ी और आपसे निवेदन करने की । जब इस बात को स्वीकार किया जाता है कि हमारा शुद्ध घाटे का बजट 959 और कुछ करोड़ रुपये का है, इधर से यह

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आया था कि 959 करोड़ के शुद्ध घाटे का बजट कैसे पूरा किया जाय केवल सस्ती लोकप्रियता के लिये यह आया कि कोई कर नहीं लगाया गया है लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कर लगेगा । इसलिये माननीय नेता सदन को यह जबाब देना चाहिये था कि घाटे को पूरा करने का कौन श्रोत होगा ? इसका उत्तर नहीं आया है । दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि एक साल के अन्दर, हमारे टण्डन जी बहुत मजबूर हैं क्योंकि नरेश जी इधर आ गये तो इनको लगता है कि जिम्मेदारी इधर आ गयी । बिजली के सारे मामले जिसके बारे में चर्चा हो रही थी और इधर से बात आई तो सारी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की ही थी । दूसरा प्रश्न है कि एक साल के अन्दर 72 हजार कुछ करोड़ था 2001 तक 83 हजार करोड़ रुपये हो गया 2003 में, तो यह जो 11 करोड़ रुपये बढ़ा है एक साल के अन्दर, नेता सदन बतायें कि कैसे इस ऋण की पूर्ति होगी और क्या गारण्टी है इस बात की कि मद (1) 15 करोड़ रुपये नहीं हो जायेगा, तो फिर विकास की दर किस आधार पर बढ़ेगी ? चौथी बात यह है कि अभी नेता सदन ने कहा कि कोई पूरा बजट पढ़ता नहीं है इसलिये जानकारी नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे बजट भाषण में कहीं भी एक शब्द भी हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के लिये नहीं है । कैसे होगी उनकी तरक्की । आज उनके सामने जो संकट है उस संकट को दूर करने के लिये सूखे से जो परेशान हैं उनकी परेशानियों के निदान के लिये क्या उपाय किये गये हैं । कैसे चलेगी उनकी आजीविका, कैसे आगे बढ़ाया जायेगा उन्हें । इस बात के लिये एक शब्द भी भाषण में नहीं है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन अच्छी तरह से इन सारे विन्दुओं पर जवाब दें । यह बजट दिशाहीन है, किसान विरोधी है, कहीं पर किसानों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । गन्ने का बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय वित्त मंत्री बजट के भाषण के दौरान अपना भाषण दें तो स्पष्टीकरण के लिये इतने लम्बे भाषण की परम्परा नहीं रही है ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर जो आंकड़ें बताये हैं उसमें काफी त्रुटियां हैं । वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्ति–27,705.97 करोड़ है, इसका 13.23 प्रतिशत होता है और 3,664.89 करोड़ बनते हैं । इसलिये वर्ष 2002-2003 में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 27,705.97 करोड़ +3,664.89 करोड़ है जोकि कुल मिलाकर 31,370.86 करोड़ होता है । यही राशि बजट अनुमानों में दिखायी गयी है । इसके लिये जिन और बातों का जिक्र किया गया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहती, मैं उसका जबाब दे चुकी हूं । खुद अपने गिरेबान में झांककर देखिये कि लोकसभा और असेम्बली के इलेक्शन में कितने टिकट उनको देते हैं । हमने मुसलमान समाज को बराबर की भागीदारी दी है, जो भी सुविधा दी गई है, वह हमारी सरकार ने दी है । बाकी सारी बातों का जबाब दिया जा चुका है, अब मुझे उनका जवाब देने की जरुरत नहीं है । बजट में सब कुछ दिया गया है, यह बजट को ध्यानपूर्वक पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश विनियमन विधेयक, 2002

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।"

(इस समय 7 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, शिक्षा की व्यवस्था हमारे प्राचीन भारतवर्ष में प्राचीनकाल से एक चली आ रही है । पहले शिष्य गुरुओं के आश्रम में जाकर वहां शिक्षा प्राप्त करते थे और वहां से लौटते समय वह अपने गुरू को गुरूदक्षिणा भी देते थे । समय-समय पर 15वीं और 14 वीं शताब्दी में धीरे-धीरे इसका स्थान मदरसों ने ले लिया । इसके बाद जब अंग्रेज आये तो उन्होंने कालेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसकी परम्परा आज तक चल रही है । मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने रखा है, इससे शिक्षा के उन्नयन में, शिक्षा के विकास में ज्यादा बड़ा योगदान नहीं हो पायेगा । बल्कि इससे हानि भी हो सकती है । मान्यवर, विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया गया । विद्यालयों से जो अध्यापक रिटायर हुये हैं, चाहे इन्टरमीडिएट कालेज हो, हाईस्कूल हो, उनके स्थान पर प्राध्यापकों की नियुक्ति का विधेयक लाते, स्पेशल नियुक्ति विधेयक लाते, लेकिन वह नहीं है । बल्कि यह है कि जो छात्र किसी भी तरह से, जब अध्यापक नहीं है, उससे ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसको भी प्रतिबंधित करने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं ।

मान्यवर, यह अध्यापकों की ट्यूशन को प्रतिबंधित करते हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि वह सरकारी खजाने से बहुत बड़ी धनराशि वेतन के रूप में पाते हैं और इसके बाद भी बड़ी संख्या में ट्यूशन करके पैसा लेते हैं । मान्यवर, ट्यूशन पढ़ने का मौका कब आता है, जब विद्यालयों की पढ़ाई का स्तर गिरने लगता है, कक्षाओं में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, जब गार्जियन या संरक्षक जो हैं, वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिये अच्छे व्यक्ति का सानिध्य लेकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं । इस समय जो ट्यूशन हो रही है, वह सरकार की शिक्षा नीति की विफलता का परिणाम है । अगर आप शिक्षा में अच्छी व्यवस्था करते तो कौन ऐसा गार्जियन है जो जबरदस्ती 200-500 रुपये देकर ट्यूशन करायेगा । छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षा विभाग की है और माननीय मंत्री जी आपकी है । पहली बात तो मान्यवर, इससे नुकसान यह होगा कि जो अच्छे विद्यार्थी विद्वान लड़के किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं हो पाये, वह कहीं बैठकर 4-10 विद्यार्थियों के बीच में बैठकर शिक्षा देते हैं, उनको भी आप प्रतिबंधित करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह रजिस्ट्रेशन करायें । मान्यवर, अध्यादेश किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में रखा जाता है और उसी दिन से लागू हो जाता है, आपने नियम बनाने की बात भी की है, गजट नोटीफिकेशन के बारे में भी आप विस्तार से बतायेंगे, इसके नियम बने कि नहीं बने, उसकी कितनी फीस है । मान्यवर, यह भी कह दिया कि तीन छात्र भी अगर कहीं बैठकर पढ़ा रहे हों तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस भी अखबारों में निकली थी । ग्रामीण अंचलों में तो मान्यवर, शहरों की भांति ज्यादा कोचिंग सुविधा होती नहीं है इसलिये कई छात्र, एक छात्र के घर में बैठ जाते हैं और वह उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पढ़ाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। क्योंकि शहरों में लोग ज्यादा-ज्यादा फीस देकर भी कोचिंग कर लेते हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में तो कोई इतनी ज्यादा फीस भी नहीं दे पाता है। मान्यवर, आपको तो सिर शर्म से झुका लेना चाहिये कि आखिर छात्र कोचिंग, ट्यूशन पढ़ने पर क्यों विवश हैं वह इसलिये कि आज विद्यालयों में, कालेजों में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। अध्यापक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। एक बात और मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से यह परम्परा चली आ रही है कि अध्यापक जब विधायक हो जाता है तो दोहरा वेतन लेते हैं, एक तो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं और दूसरा वेतन भी लेते हैं इसलिये आप यह व्यवस्था कर दें कि जो अध्यापक एम० एल० ए० हो जाएगा पांच साल के लिये या जितने भी दिन विधान सभा चलेगी, तो उतने दिनों तक वह स्कूल से वेतन नहीं लेगा और उसकी जगह एडहाक पर भर्ती करके उसके द्वारा पढ़ाई करवाते। ये एक काम के लिये दो वेतन क्यों लेते हैं, इसको भी प्राविधानित करना चाहिये। इसी के साथ मान्यवर, मैं अपने अननुमोदन पर बल देता हूं।

* सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उन्हीं कमियों को गिनाया है जिन कमियों को दूर करने के लिये इस विधेयक की मूल मन्शा है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की कोचिंग प्रतिबन्धित नहीं की जा रही है बल्कि शिक्षकों को कोचिंग पढ़ाने पर प्रतिबन्धित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी पहले मद संख्या–11 पढ़ दें, उसके बाद अपने विचार रखें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं अननुमोदन के प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहा हूं।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने विचार रख दिये हैं, आप इसको पास करा कर अगला मद लें।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, मद संख्या–11 पहले पढ़ दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पहले अननुमोदन के प्रस्ताव पर अपने विचार रख दूं। मान्यवर, जो माननीय सदस्य कि चिन्ता है, वही मेरी चिन्ता है और वही इस विधेयक के पीछे मंशा है। गरीब छात्र को ट्यूशन न पढ़ना पड़े और विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था सुधरे। इसी के लिये यह कोचिंग विधेयक लाया गया है। इसमें जो गैर शिक्षक हैं और जो सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनको छोड़कर बाकी किसी के कोचिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोचिंग सेन्टर्स का पता चल जाये इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है । ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लड़के भी कोचिंग चला सकें । इसलिये साल में एक बार ही नहीं बल्कि सदैव के लिये, एक बार का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिये काम करेगी । उसके लिये 250 रुपये का शुल्क रखा गया है । इसमें जो गैर शिक्षक हैं उनकी किसी की कोचिंग प्रतिबन्धित नहीं होगी लेकिन शिक्षक किसी दूसरे लोगों के बहाने से, आड़ में कोचिंग न कर सके, इसको रोकने के लिये जो छोटे-बड़े सेन्टर्स हैं वह सरकार के संज्ञान में आ जायं, मात्र इतना ही है । हमारी प्रतिबन्धित करने की इच्छा नहीं है । जो आपकी इच्छा है कि गरीब परिवार के लड़के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें । शिक्षकों की कोचिंग पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने के लिये यह अधिनियम लाया गया है । इसके पीछे समाज के बेरोजगार नौजवानों को ट्यूशन करके आय करने की व्यवस्था पर कोई रोक नहीं है ।

(इस समय 7 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अननुमोदन के प्रस्ताव पर उत्तर दिया है, अगर अननुमोदन के प्रस्ताव के बारे में कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें ।

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर दो बातें पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बात को माननीय सदन के माध्यम से पूरे समाज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोचिंग करने वाले दो वर्ग हैं । एक वर्ग है जो सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का शिक्षक और एक वर्ग है जो अनइम्पलायड है और विभिन्न प्रकार की कोचिंग दे करके लोगों को शिक्षा देता है । इस विधेयक की मंशा केवल पहले वर्ग के लोगों की कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने की है । दूसरे लोगों की कोचिंग पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की कोई मंशा नहीं है । रजिस्ट्रेशन की बाध्यता शासन के सामने इसलिये है कि वह सेण्टर्स पता चल जायं जहां कोचिंग चल रही है अन्यथा सबका पता लगाना कठिन है । पहले रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में रु० 1000, रु० 40,000/- और 25,000/- रखी गयी थी । जब माननीय सदस्य ने, अनइम्प्लायड लोगों ने भी कहा और मैंने चारों शिक्षक संगठनों के ग्रुप शर्मा ग्रुप, पांडेय ग्रुप, ठकुरई ग्रुप और जो राष्ट्रीय शिक्षक संघ है के सदस्यों के प्रतिनिधियों से भी बात की है । इन सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से यह सहमति प्रदान की है कि जो शिक्षक कोचिंग करते हैं और सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं, वे समाज के ऊपर कलंक हैं । जो गरीब छात्र हैं ट्यूशन कर रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध का असर न हो इसलिये एक हजार रुपये जिसके लिये रखा गया था उसको कम करके 250 रुपये कर दिया गया है । 4000 रुपये जो कम करके 1000 रुपये कर दिया गया है । 10000 रुपये को कम करके 5000 रुपये कर दिया गया है

25 हजार को 20 हजार कर दिया गया है । यानी 200 से जो ज्यादा छात्र पढ़ाएंगे उनके लिये 20 हजार होगा बाकी के लिये कम है । इस पर पुलिस-विभाग व्यर्थ परेशान न कर सकेगा । इसके लिये उसमें पुलिस की व्यवस्था नहीं की गयी है । बेसिक विद्यालयों को, छात्रों के ऊपर कोई अधिक दबाव न पड़े इसलिये केवल जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा निदेशक को उसके नियंत्रण के लिये बनाया है । बाकी जो माध्यमिक के हैं, उच्च शिक्षा के हैं इन दोनों के लिये यदि कोई शिक्षा देता है और पारिश्रमिक नहीं लेता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अभिभावक परेशान है कि शिक्षक विद्यालयों में पैसा भी लेते हैं और अलग से ट्यूशन पढ़ाकर पैसा भी वसूलते हैं । मैं इसे अपराध मानता हूं और ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं । एक अपराधी तो एक घर को नुकसान पहुंचाता है लेकिन उसकी तुलना में जो शिक्षक सरकार से तनख्वाह लेता है और बच्चों को पढ़ाता नहीं है, उनका शोषण करता है इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है । इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिये पहले कोई कानून नहीं था, एक लाचारी थी इसलिये यह अधिनियम लाया गया है । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि गरीब छात्र हैं उनको यदि ट्यूशन की आवश्यकता होगी यदि उनके लिये इस अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बाद में भी इसमें संशोधन किया जा सकता है । हम तो केवल इतना चाहते हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन हो जाए जिससे कि जो शिक्षक ट्यूशन चला रहे हैं और सरकार से तनख्वाह भी ले रहे हैं तो उन पर अंकुश लगाया जा सके । सदन से मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का कष्ट करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इसे सदन की समिति के सुपुर्द इसलिये करने के लिये कहा है क्योंकि इस विधेयक में कई खामियां हैं । इसमें माननीय मंत्री जी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं यह नहीं पता चलता है । पहले नकल के नाम पर अधिनियम बना दिया फिर कोचिंग के नाम पर अधिनियम बना दिया । मान्यवर, आप इस अधिनियम को लागू करायेंगे पर क्या आपके पास अध्यापकों के आंकड़े हैं । आपके पास आंकड़े नहीं हैं । माननीय मंत्री जी आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है । अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी के घर चला जाता है और 4-5 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और वह कुछ बताने लगता है तो क्या आप उसको कोचिंग सेन्टर मानेंगे । इसके अलावा इसमें मौन स्वीकृति की बात कही गयी है । अगर कोई फर्म या उसका डायरेक्टर विरोध न करे तो यह माना जायगा कि मौन स्वीकृति है और उस पर 1 लाख 50 हजार का जुर्माना रखा गया है । मान्यवर, इसमें धारा–2–ङ (तीन) में कहा गया है कि ललित कला, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, टंकण, आशुलिपि या उसी प्रकृति की किसी तकनीकी शिक्षा में शिक्षण प्रदान कर रहा कोई संस्थान या अकादमी चाहे उसको किसी नाम से पुकारा जाय । तो यदि कम्प्यूटर की कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको आप कोचिंग सेन्टर मान लेंगे कम्प्यूटर की ट्रेनिंग कोचिंग सेन्टर कैसे माना जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो नहीं माने जायेंगे उसे आप पढ़ रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

ठीक है । एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके 12(2) में कहा गया है कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के निदेशक, सचिव या प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्पति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा । तो मान्यवर, यह जो व्यवस्था की गयी है, यह मौन स्वीकृति क्या है ? इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जिनके निराकरण के लिये इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय । इसके अलावा मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि आपने चारो शिक्षक संगठनों से बात किया है, जो लोग पढ़ाते नहीं हैं और विधायक हैं उनको 2-2 तनख्वाह मिलती हैं । इसी सदन में मान्यवर, जब मुख्य मंत्री माननीय श्रीपति मिश्र जी थे और शिक्षा मंत्री माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी जी थीं तो दोहरे वेतन का मामला आया था जिसको बन्द कर दिया गया था पर बाद में उसको फिर चालू किया गया । आप साहसी हैं, प्रभावशाली हैं, यह लोग जो एक दिन भी नहीं पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं उनको आप रोज दण्डित करते हैं तो जो नहीं पढ़ाते हैं उनके बारे में भी आप बतायें ।

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज विशेष परिस्थिति है । सबको जाना भी है, मेरा एक सुझाव है कि पाण्डेय जी और माननीय मंत्री जी रह जायं और दोनों तय कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

दो माननीय सदस्यों ने अपने नाम भेजे हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये, एक माननीय विजय बहादुर पाल हैं और दूसरे माननीय उदयराज जी हैं । माननीय अवधेश जी खड़े हो गये हैं । आप बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखिये ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में और देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है । आपको भी इस बात का अनुभव होगा कि तमाम महाविद्यालयों के लड़के जो पढ़ाई में फर्स्ट होते हैं, अच्छे होते हैं अपने मुहल्ले और पड़ोस के दो तीन लड़कों को पढ़ा देते हैं । इस विधेयक के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है तो श्रीमन मेरा इसमें एक सुझाव है कि या तो संख्या निर्धारित हो जाए कि एक से लेकर 50 तक विद्यार्थियों को जो पढ़ाएगा उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट है । इसमें यह हुआ कि तीन चार लड़कों को कोई पढ़ाता है तब भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है । यह बेरोजगार नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है । इसका दुरुपयोग शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी करेंगे । यह जो एक लाख पचास हजार दस रुपये दण्ड रखा गया है यह पूरी तरह से अन्याय है । उन नौजवानों के साथ जो बड़ी-बड़ी शिक्षा लेकर यूनीवर्सिटी और कालेजों से मेहनत के साथ पढ़कर फर्स्ट पास होते हैं, टाप करते हैं उनको सर्विस नहीं मिलती है तो उनकी विद्वता का फायदा दूसरे पड़ोसी लोग उठाते हैं । यह विधेयक उचित नहीं है । इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो डिग्री कालेज और कालेज के छात्र पढ़ाने वाले हैं उन पर इसका दुरुपयोग होगा । ऐसी स्थिति में इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए । वह इस पर विचार करे ।

श्री विजय बहादुर पाल–

अध्यक्ष जी, यह विधेयक स्वर्णिम शब्द जाल है । व्यक्तिगत कीर्ति पताका फहराने का सुनियोजित प्रयास है । छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिये किताब पर प्रतिबन्ध लगा दो । उच्च शिक्षा, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की पहले बढ़िया व्यवस्था कर देते, उसके बाद यह अंकुश लगाते । चोरों, लुटेरों, हत्यारों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं । पढ़ाने वालों पर अंकुश लगाने की तीव्र लालसा इतनी तीव्र जाग गई । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं । इस समय दो श्रेणी के लोग पढ़ाते हैं एक तो वह जो परिश्रमी छात्र होता है, जो सरस्वती का कृपा पात्र होता है जिनको पेट भरने तन ढकने के लिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पढ़ाना पड़ता है । जो डाक्टर तैयार करता है, इंजीनियर तैयार करता है । उन पर अंकुश लगाकर सरकार क्या करना चाहती है ? जिनकी करोड़ों रुपये आमदनी है, जो आयकर देते हैं, वह इनको धता बताकर इस कानून के कीड़े को पतंग में लपेटकर फुर्र हो जायेंगे । जो मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें निगाह नहीं जाएगी । ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के अलावा सब काम करते हैं उन पर आपकी निगाह नहीं जाएगी । यह जो केरवेर, केचुआ, नागिन की सरकार है, यह मालामाल हो जाना चाहते हैं । अपराधियों पर इनकी निगाह नहीं जाएगी । यह नियंत्रण लाना चाहते हैं । जो स्वतः नियंत्रित नहीं है वह दूसरो को नियंत्रित नहीं कर सकती है । शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक जेब भर सकते हैं लेकिन जो वास्तव में बड़ी बड़ी कोचिंग चलाते हैं, डाक्टर जुनेजा, एस० पी० सिंह और दूसरे लोग । ऐसे लोग पहले तपस्या करते हैं, उन्होंने वर्षों तपस्या की है, वह विशेषज्ञ हैं । लोग उनके तलवे चाटते हैं और रुपये देते हैं जाकर । वह जेब काटने नहीं जाते । अफसोस की बात है कि बीमारी कुछ है और दवा कुछ दी जा रही है । पेट में दर्द है और दवा कान को डाल रहे है । मुझे बड़ा अफसोस होता है और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बहुत गम्भीर मामला है । मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपके दल बी०जे०पी० में यह बात उठाई गई । पढने, पढ़ाने वालों पर क्या जरूरत है कि अंकुश लगाया जाय ? आप तो खुद ही डुलमुल हो रहे हैं । कभी कहते हैं कि 25 के लिए 4 हजार रुपये और 50 के लिये 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपका मन खुद कांप जाता है क्योंकि आप गलत कानून बनाने जा रहे हैं । माननीय मुलायम सिंह जी की तरह गर्जना कर सकते कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे । रोजगार नहीं दे पायेंगे तो बेगारी का भत्ता देंगे । अगर इस तरह की घोषणा करते तो मैं आपके तलवे चाट लेता । इन गरीबों के परिश्रमिक प्रतिभाशाली बच्चों को कोचिंग चलाने के लिये 50 हजार रुपये देने का प्राविधान करते तो कोई बात होती ।

कोचिंग कोई ऐसे ही सड़क पर नहीं चल जाती है । इस तरह के झूठे वायदों की बरसात करने, झूठ की खेती करने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है । इससे कोई सुधार नहीं कर सकता है । होना यह चाहिये था कि कोचिंग चलाने वाले देनाकारी के शिकार बेकारी प्रतिभाशाली छात्रों को रोजगार तो दिया नहीं, कम से कम उनको रोजगार चलाने के लिये 50 हजार रुपये दिये जाने चाहिये । ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते । आप क्या चाहते हैं कि वे डकैत बन जायं ? एम०एल०ए० की गाड़ियां सड़क पर लूट लें, अपराधी बन जायं ? यह बहुत गम्भीर मामला है । मान्यवर, आपकी बहुत बड़ी दया होगी, अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । अभी तो यह खुद ही उधेड़बुन में हैं । कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं । कथनी करनी में अंतर है । माल लूटने के धंधे बना रहे हैं । दूसरों के लिये सिद्धान्त और आचरण की रचना यह लोग नहीं कर सकते हैं । यह अन्याय मत होने दीजिये । इसको प्रवर समिति के सुपुर्द .....

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बात आ गई है, अब समाप्त करें ।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, कहते हैं कि रोक लगायेंगे डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करवायेंगे । आज तक नहीं बन्द करवा पाये अस्पतालों में डाक्टर सही इलाज करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों हो ? स्कूलों में शिक्षक ठीक से पढ़ायें तो कोचिंग की जरूरत क्यों हो । स्कूल की पढ़ाई में जो सुधार करना चाहिये, उसको तो करवा नहीं पाये और जो प्रतिभाशाली छात्र बेरोजगार हैं, शिक्षा देकर अपनी जीविका चला रहे हैं, डाक्टर इंजीनियर बनाने में मदद कर रहे हैं, उन पर रोक लगायेंगे । यह महत्वपूर्ण है । भारत के नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये । उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिये । आप स्वयं विधि वेत्ता हैं । उच्च शिक्षा शास्त्री हैं, शब्द जाल को सच्चाई से समझकर न्याय करते हैं । कानून के वेत्ता हैं । आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । इस संघर्ष को रोकिये । रोकिये कि उनके खून से रेल की पटरियां न रंगे, रस्सी का फंदा उनके गले में न पड़ने पाये । मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और फिर से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी । कल के भारत के भाग्य विधाताओं के साथ न्याय कीजिये ।

श्री उदयराज–

मान्यवर, यह जो विधेयक उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखा गया है और उस पर जो संशोधन माता प्रसाद पाण्डेय जी ने रखा है ....

संसदीय कार्य एवं वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, एक चिन्ता तो मुंह नोचवा के बारे में व्यक्त की गई है लेकिन यह जो समय नुचवा हो रहा है, उसके बारे में कुछ कीजिये ।

श्री उदयराज–

मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं विरोध पक्ष का हूं इसलिये इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मान्यवर, विधेयक लाने के पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह सोचना चाहिये था । माध्यमिक विद्यालय का जो परीक्षाफल हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट का आ रहा था उसके बारे में सोचना चाहिये आखिर इतना खराब परीक्षा परिणाम क्यों आ रहा है । माननीय शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिये । हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्कूल जो हैं वहां जो शिक्षकों की संख्या होनी चाहिये थी, उतने शिक्षक उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिये विद्यालयों में नहीं है चाहे वह डिग्री कालेज हों, विश्वविद्यालय हों अध्यापकों की कमी है । जहां अध्यापक नहीं हैं, पढ़ने वाले लड़के, गांव में रहने वाले लड़के यदि किसी पढ़े लिखे लड़के से जानकारी करना चाहते हैं तो उन पर बन्दिश लगाने का काम मंत्री जी द्वारा किया जायेगा, जो लड़के पढ़ना चाहते है उन पर पाबन्दी लगाने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की यह मंशा होनी चाहिये थी कि जो लोग कोचिंग चलाने का काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाने का काम किया जाये । लखनऊ में तमाम कोचिंग चल रही हैं, जो लोग कोचिंग चलाने का काम कर रहे हैं वह दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर कोचिंग को चलाने का काम करेंगे । माननीय मंत्री जी इनको नहीं रोक पायेंगे जो पढ़े लिखे लड़के गली-गली ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से

रोजगार चला रहे हैं जो लड़के पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिये अध्यापक नहीं हैं उनको पढ़ाते हैं इस पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया । मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक पर बल देता हूं साथ ही कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्यवाही न हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

छोटी मछलियां फंस जायेंगी मगरमच्छ जल में पड़े रह जायेंगे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

एक फार्म लेकर रजिस्ट्रेशन कराना है जिन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहे हैं वह शिक्षक हैं, रजिस्ट्रेशन कराने की बात है चेक कराने की कोई बात नहीं है यहां तक कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों-करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उनको भी यही बात कही गई है कि किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं पढ़ायेंगे । रजिस्ट्रेशन कराना है इसमें थोड़ी फीस रख दी है जो सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं वह कोचिंग कर रहे हैं तो वह बन्द होगी और जो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करायेगा उसको चेक कराने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

पूरा अधिनियम मौन है इस बारे में, पंजीकरण के बाद कोई प्राविधान नहीं है किसी प्रकार के मुआवजे का प्राविधान नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिस कोचिंग में अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या संशोधन वापस ले रहे हैं माता प्रसाद पाण्डेय जी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दूसरी बात कहना चाहूंगा शिक्षक प्रतिनिधि के नाते जो विधायक हैं उनके लिये एक नियम है उनको सदन के सत्र के समय विशेष छुट्टी मिलेगी, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि दोनों जगह से वेतन लें यह नैतिकता की बात है जहां काम कर रहे हैं वहीं से वेतन लें, वेतन कहीं से लें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । एक-एक कदम चलने दीजिये हम आपकी इच्छा के अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे । कोई शिक्षक अपनी पत्नी के नाम से अपने बच्चों के नाम से कोचिंग खुलवा दे, पढ़ाने में कौन समर्थ है, पत्नी बेटा के नाम से जो कोचिंग चला रहे हैं उसमें प्रतिबन्ध किया जा रहा है अगर शिक्षक है तो वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है परिवार के नाम पर कोचिंग नहीं चला सकता है, परिवार की आड़ में कोचिंग नहीं चला सकता है । क्योंकि वह आड़ न ले पाये इस बात को प्रतिबन्धित किया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, तमाम स्टूडेन्ट ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं । मैं स्वयं एम०ए० में पढ़ रहा था तो ट्यूशन करता था । यह गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है । रजिस्ट्रेशन हो जायेगा तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे । एक तरफ तो गरीब लड़का है वह ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई करता है अगर इस तरह

का काम करेंगे तो उसके साथ अन्याय होगा । यह जो गरीबों का नारा देने वाली सरकार है यह गरीबों का खून चूस रही है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, निरीक्षण की बात आयी तो हम यह देखेंगे कि वहां पर शिक्षक पढ़ा रहा है कि नहीं । हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को रोकना है । उनको रोकने के लिये कोई कानून नहीं था इसलिये वह कानून बनाना पड़ा और इससे बहुत सारे शिक्षक सहमत भी हैं । वह यह कहते हैं कि यह जरूरी है जो लोग गलत काम कर रहे हैं उस पर अंकुश लगे जो स्लेव की बात कही गई है तो सबसे कम स्लेव 250/–रुपये का है । एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर शुल्क नहीं लिया जायेगा । जो रजिस्ट्रेशन करायेगा उससे अन्डरटेकिंग ली जायेगी कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है । अगर नहीं पढ़ा रहा होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । इसलिये जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसको छोड़ दीजिये अगर इस साल भी यह रह जायेगा तो कोचिंग करने वालों को छूट मिल जायेगी और यह अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन होगा । क्योंकि गरीब छात्रों का शोषण हो रहा है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है इसको बचायें । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माता प्रसाद जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं संशोधन के प्रस्ताव पर इसलिये बल दे रहा हूं कि यह सरकार स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती । आजादी में विश्वास नहीं करती । यह अंकुश लगाकर पढ़ने और पढ़ाने की आजादी को प्रतिबन्धित करने का काम कर रही है इसलिये इस संशोधन पर मैं बल देता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह काला कानून है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–16 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(2) यह 27 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) ''सम्बद्ध महाविद्यालय'' का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से है;

(ख) ''सहयुक्त महाविद्यालय'' का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सहयुक्त किसी महाविद्यालय से है;

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य–

(एक) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है;

(दो) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है; या

(तीन) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है; या

(घ) ''कोचिंग'' का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में तीन या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रदान किये जाने वाले अध्यापन, शिक्षण या मार्गदर्शन से है किन्तु इसके अन्तर्गत परामर्श देना नहीं है;

(ङ) ''कोचिंग केन्द्र'' का तात्पर्य कोचिंग के प्रयोजनों के लिये अनुरक्षित, आरक्षित या व्यवस्थित किसी स्थान से है, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :–

(एक) कोई संस्था;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन मान्यता प्राप्त, पोषित या स्थापित कोई अन्य विद्यालय या महाविद्यालय;

(तीन) ललित कला, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, टंकण, आशुलिपि या उसी प्रकृति की किसी अन्य तकनीकी शिक्षा में शिक्षण प्रदान कर रहा कोई संस्थान या अकादमी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;

(च) ''सक्षम अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र के लिये या ऐसी संस्था या कोचिंग केन्द्र के संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है;

(छ) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय से है;

(ज) ''परामर्श देना'' का तात्पर्य किसी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा विद्या के किसी क्षेत्र में यदा-कदा शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करने से है किन्तु उसके अन्तर्गत किसी पारिश्रमिक के बदले में नियमित आधार पर शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करना नहीं है;

(झ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी संस्था के किसी कर्मचारी से है;

(ञ) ''संस्था'' का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय घटक महाविद्यालय या किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या नियंत्रित या उससे सम्बद्ध या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त किसी अन्य शैक्षिक संस्था से है;

(ट) किसी संस्था के संबंध में ''अध्यापक'' का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में शिक्षण प्रदान करने, मार्गदर्शन करने या शोध कार्य के संचालन के लिये संस्था द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत संस्था के यथास्थिति प्राचार्य, निदेशक या प्रधानाध्यापक भी है;,

(ठ) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है ।

कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण

3—(1) जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, कोचिंग प्रदान करने या किसी कोचिंग केन्द्र को स्थापित करने, चलाने, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने का इच्छुक है, वहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये रजिस्ट्रीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से कोचिंग प्रदान करने वाला या कोई कोचिंग केन्द्र चलाने, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जायेगी जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित किये जायें ।

(3) सक्षम अधिकारी अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है और रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर ली हैं, उक्त प्रयोजनों के लिये विहित रजिस्टर में उसे दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उसे रद्द या निलम्बित न कर दिया जाय ।

रजिस्ट्रीकरण के लिये शर्तें

4—धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह लिखित रूप से यह वचन नहीं दे देता है कि वह कोचिंग के लिये किसी संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी को न लगायेगा, न नियोजित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण और निलम्बन

5—(1) सक्षम अधिकारी, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से, धारा 3 के अधीन दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द या निलम्बित कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि,–

(क) संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत न हो कि संबंधित व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र निलम्बित या रद्द किया जाय, वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा ।

6—धारा 5 के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। अपील

7—(1) कोई व्यक्ति जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, धारा 4 के अधीन जारी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना– कोचिंग पर प्रतिबन्ध

(क) पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक के कोचिंग प्रदान नहीं करेगा;

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करायेगा।

(2) कोई अध्यापक या कर्मचारी,–

(क) उस संस्था से भिन्न जिसमें वह तत्समय नियोजित है, किसी कोचिंग केन्द्र या किसी अन्य स्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा ;

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करायेगा; या

(ग) यथास्थिति, अध्यापक या कर्मचारी, के रूप में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारिश्रमिक या फीस स्वीकार नहीं करेगा।

8—(1) सक्षम अधिकारी, कोचिंग केन्द्र के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा। निरीक्षण

(2) कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अपेक्षा की जाय।

(3) इस धारा के अधीन निरीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा पायी गई त्रुटियों या अनियमितताओं को, यदि कोई हो, दर्शाया जायगा और उसकी एक प्रति कोचिंग केन्द्र के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को और एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों या अनियमितताओं को दूर करेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शास्ति

9—(1) जो कोई धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा ।

(2) जो कोई धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा ।

(3) जो कोई धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से जो, दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा ।

(4) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम अधिकारी के या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

सक्षम अधिकारी लोक सेवक होंगे

10—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत सक्षम अधिकारी को लोक सेवक समझा जायगा ।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

11—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम या दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

13—किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे । अध्यारोधी प्रभाव

14—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों । कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

15—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2002

16—(1) उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 16 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, इस पर आप को चर्चा प्रारम्भ करनी है ।

(कई आवाजें, मान्यवर, आज इसे स्थगित कर दें ।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इस चर्चा को स्थगित करते हैं । सोमवार 19 अगस्त के लिये ।

अब हम उठते हैं दिनांक 19 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का स्थगन 7 बजकर 45 मिनट पर सोमवार दिनांक 19 अगस्त, 2002 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

दिनांक 17 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 366 विधान सभा (620)–27-1-03–813 (डी०टी०पी०) ।